भारत

के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या 1

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

अध्याय - 3 राज्य आबकारी

अध्याय - 4 वाहनों,माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय - 5 स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

अध्याय- 6 भू-राजस्व

अध्याय - 7 अन्य कर प्राप्तियां

अ. विद्युत शुल्क

ब. गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार

अध्याय - 8 वन प्राप्तियां

अध्याय - 9 अन्य विभागीय प्राप्तियां

अ . सहकारिता विभाग

ब. सिंचाई विभाग

स. बित्त विभाग

प्रस्तावना

31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए है ।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्तव्य , शक्तियों और सेवा शर्त) अधिनियम , 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संपन्न की जाती है । यह प्रतिवेदन राज्य के व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर , स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क , भू-राजस्व , विद्युत शुल्क , गन्ने के क्रय पर कर , वन प्राप्तियों एवं राज्य की अन्य विभागीय प्राप्तियों को समाहित करते हुये प्राप्तियों की लेखा परीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है ।

प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से है जिन्हे वर्ष 1995-96 में तथा पूर्ववर्ती वर्षो में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया , किन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किया जा सका ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 4 समीक्षाओं सहित कर के अनारोपण/ कम आरोपण , ब्याज , अर्थदण्ड आदि से संबंधित 436.18 करोड़ रुपए के 46 प्रस्तर सम्मिलित है । कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित है:

1. सामान्य

* वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व , दोनो कर (5468.92 करोड़ रुपए) , तथा कर-भिन्न (2399.41 करोड़ रुपए) विगत वर्ष के दौरान 6767.64 करोड़ रुपए के विपरीत 7868.33 करोड़ रुपए की राशि का था । कर राजस्व में व्यापार कर (2335.38 करोड़ रुपए) तथा राज्य आबकारी (1158.61 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत प्राप्तियों का अंश प्रमुख था । कर भिन्न प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियां , विविध सामान्य सेवाओं (1162.15 करोड़ रुपए) , ब्याज प्राप्तियां (463.77 करोड़ रुपए) तथा अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग (148.11 करोड़ रुपए) से थी । 2312.86 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान सहित , वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्तियां 7346.88 करोड़ रुपए थी ।

वर्ष 1995-96 में कर प्राप्तियों की वृद्धि दर , विगत वर्ष के 18 प्रतिशत के विरुद्ध 12 प्रतिशत थी ।

(प्रस्तर 1.1)

* वर्ष 1995-96 के अन्त में राजस्व के प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत बकाया राजस्व 3730.67 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 1705.59 करोड़ रुपए 5 वर्षो से अधिक समय से लम्बित थी ।

(प्रस्तर 1.6)

* वर्ष 1995-96 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत कर , गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियां तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर 55.27 करोड़ रुपए के अवनिर्धारण, कम आरोपण से राजस्व-हानि के 1528 मामलों का पता चला । संबंधित विभागों ने 22.01 करोड़ रुपए के 1237 अवनिर्धारण आदि के मामलों को स्वीकार किया, जिसमें से 15.66 करोड़ रुपए के 92 मामले वर्ष 1995-96 से संबंधित थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो से ।

(प्रस्तर 1.7)

* 397.56 करोड़ रुपए की सन्निहित धनराशि के 3964 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (31 दिसम्बर 1995 तक जारी) जिसमें 11078 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 1996 के अन्त तक समाधान हेतु लम्बित थे । इनमें से 153.38 करोड़ रुपए धनराशि के 4495 प्रस्तरों सहित 1401 लेखा

परीक्षा प्रतिवेदन 5 वर्षो से भी अधिक समय से लम्बित थे ।

(प्रस्तर 1.8)

2. व्यापार कर

(i) "खाद्यान्न, दलहनों एवं तिलहनों पर व्यापार कर का आरोपण" पर समीक्षा ने निम्नलिखित तथ्य प्रकट किया ।

* व्यापारियों को पंजीयन निर्गत करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के परिणामस्वरुप 26.95 करोड़ रुपए की राजस्व-हानि हुयी ।

(प्रस्तर 2.2.6)

* छिपाये गये टर्नओवर पर अर्थदण्ड के अनारोपण के परिणामस्वरुप 13.18 करोड़ रुपए की हानि हुयी ।

(प्रस्तर 2.2.7)

* अर्न्तराज्यीय तथा अंतःराज्यीय बिक्री पर कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरुप 3.33 करोड़ रुपए के राजस्व तथा ब्याज की हानि हुयी ।

(प्रस्तर 2.2.8 तथा 2.2.9)

(ii) शोधित स्पिरिट/मद्यसार तथा विकृत स्पिरिट की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर के अनारोपण के फलस्वरुप 70.17 लाख रुपए की राजस्व-हानि ।

[प्रस्तर 2.3 (ग) (i) व (ii)]

(iii) त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाये जाने के कारण 15.63 लाख रुपए के कम कर तथा 17.52 लाख रुपए के ब्याज की राशि का कम आरोपण।

(प्रस्तर 2.6 क)

(iv) माल के गलत वर्गीकरण से चार मामलों में 9.66 लाख रुपए के कर तथा 5.55 लाख रुपए के ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण ।

(प्रस्तर 2.10)

(v) राज्य के बाहर से अनियमित रुप से माल की खरीद पर अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण 98.28 लाख रुपए की हानि हुई ।

[प्रस्तर 2.11 (ब) (क)]

3. **राज्य आबकारी**

* निर्यात शुल्क/ निर्यात पास शुल्क की गलत दर लगाये जाने के कारण 13.69 लाख रुपए की राजस्व की हानि ।

[प्रस्तर 3.2 (अ) व (ब)]

* आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान के फलस्वरुप 10 मामलों में 11.61 लाख रुपए की हानि ।

(प्रस्तर 3.3)

* न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क की कम वसूली से 18.18 लाख रुपए के आबकारी राजस्व की हानि हुयी ।

(प्रस्तर 3.5)

4. **स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस**

* 15 निबंधन प्राधिकारियों द्वारा कृषि/कृषि इतर भूमि के अवमूल्यन के परिणामस्वरुप 19 मामलों में 31.37 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना ।

(प्रस्तर 5.2)

5. **गन्ने की खरीद पर कर**

* चीनी मिलों द्वारा गन्ने पर 4.41 करोड़ रुपए के क्रय कर के भुगतान किये बिना बिक्री हेतु चीनी निकालने के लिये आदेश दिये गये ।

(प्रस्तर 7.5)

6. **वन प्राप्तियां**

(i) "रेजिन की टिपान व बिक्री" पर समीक्षा ने निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित किये।

* रेजिन की टिपान तथा एकत्रीकरण में हुये बिलम्ब के परिणामस्वरुप 52.67 लाख रुपए की राजस्व-हानि हुयी ।

(प्रस्तर 8.2.5)

* चैनल्स के टैपिंग न होने के कारण रेजिन के टिपान न होने के फलस्वरुप 7.21 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुयी ।

(प्रस्तर 8.2.8)

* 87241 कुन्तल रेजिन के निपटान न होने के फलस्वरुप 10.64 करोड़ रुपए की राजस्व-हानि हुयी ।

(प्रस्तर 8.2.13)

(ii) काष्ठ के आयतन के त्रुटिपूर्ण आगणन के फलस्वरुप 33.63 लाख रुपए की राजस्व-हानि हुयी ।

(प्रस्तर 8.5)

7. विभागीय प्राप्तियां

क. सिंचाई विभाग

(i) "वृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियां " पर समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

* वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान नियंत्रण उपायों में कमी के कारण उपलब्ध जल शक्ति का सदुपयोग नही हुआ जिससे 56.80 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुयी ।

[प्रस्तर 9.4.6 (अ) (ब)]

* नहरों में अवैध कटान के फलस्वरुप 4.45 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 9.4.7)

* वर्ष 1983 से 1994 के दौरान सिंचाई की दरों में पुनरीक्षण न होने के कारण राज्य सरकार को वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में 139.62 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व से वंचित होने पड़ा ।

(प्रस्तर 9.4.8)

* उपभोक्ता इकाइयों के साथ जलापूर्ति हेतु अनुबंध न करने के फलस्वरुप 10.34 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुयी ।

[प्रस्तर 9.4.9 (ब)]

* निर्धारित सीमा से अधिक जल की मार्गस्थ हानि के फलस्वरूप 6.62 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुयी ।

[प्रस्तर 9.4.10(ब)]

ख. वित्त विभाग

"ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की वसूली" विषयक समीक्षा ने निम्न तथ्य उद्घाटित किये:

* ऋण की शर्तों में दण्ड का विधान न होने से 3.48 करोड़ रुपए के दण्डक ब्याज की हानि हुयी।

[प्रस्तर 9.8.3(अ)]

* दण्डक ब्याज के अनारोपण के फलस्वरूप3.91 करोड़ रुपए की राजस्व-क्षति हुयी ।

(प्रस्तर 9.8.4)

* वर्ष 1980-81 से 1986-87 तक की अवधि में "पिकप" को स्वीकृत किये गए ऋणों पर ब्याज के त्रुटिपूर्ण आगणन से 1.10 करोड़ रुपए की हानि हुयी ।

[प्रस्तर 9.8.6 (ब)]

* ऋण प्राप्त कर्त्ताओं से अनुबन्ध न करने के फलस्वरूप 24.19 करोड़ रुपए के ब्याज की वसूली नहीं हुयी ।

(प्रस्तर 9.8.7)

* उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ऋण के अनुदान में त्रुटिपूर्ण परिवर्तन के कारण 2.44 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुयी ।

[प्रस्तर 9.8.8 (स)]

9 A.G.—1

रेखाचित्र–I

राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1993-94 से 1995-96

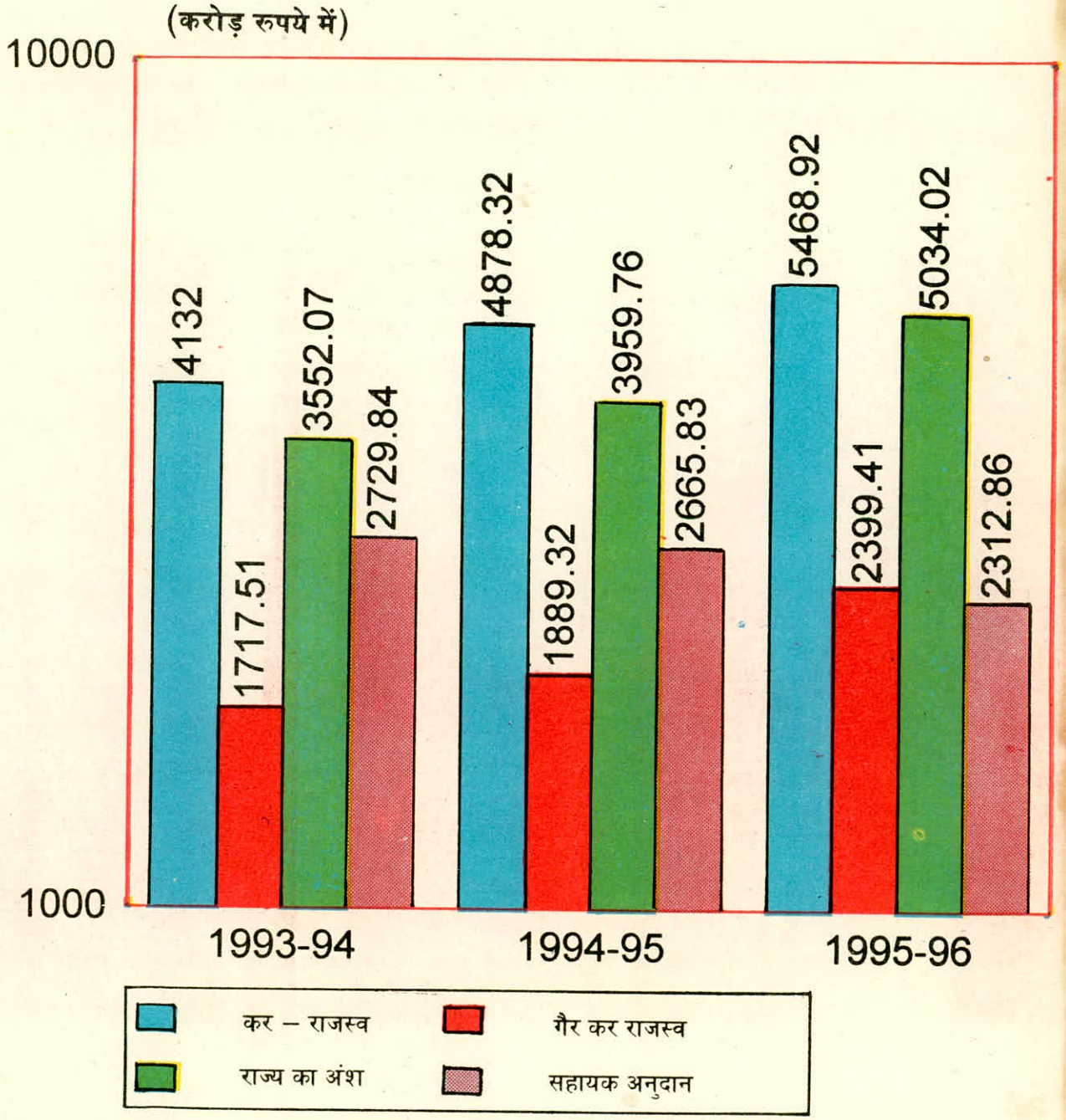

(संदर्भ : प्रस्तर I.I पृष्ठ 3)

अध्याय - 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान उगाहा गया कर एवं गैर- कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तद्नुरुपी आंकड़ें नीचे दिए गए हैं तथा रेखाचित्र - । में भी दर्शित है :

I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व

		1993-94	1994-95	1995-96
			(करोड़ रुपये में)	
(क)	कर-राजस्व	4132.00	4878.32	5468.92
(ख)	गैर कर राजस्व	1717.51	1889.32	2399.41
	योग	**5849.51**	**6767.64**	**7868.33**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**			
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3552.07	3959.76	5034.02*
(ख)	सहायक अनुदान	2729.84	2665.83	2312.86
	योग	**6281.91**	**6625.59**	**7346.88**
III.	**राज्य की कुल प्राप्तियां** (I + II)	12131.42	13393.23	15215.21
IV.	**I से III की प्रतिशतता**	48	51	52

* विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1995-96 के वित्त लेखों में "लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या 11" देखें । इस विवरण में वित्त लेखे में, लेखाशीर्ष क- कर राजस्व के अंतर्गत "0021 - निगम कर से भिन्न आय पर कर-राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के हिस्से" के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है ।

(i) वर्ष 1995-96 के लिए कर राजस्व का विवरण साथ ही पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तथा रेखाचित्र-II में भी दर्शाये गए हैं:

राजस्व शीर्ष	1993-94	1994-95	1995-96	1994-95 के संदर्भ में 1995-96 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	1994-95 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)				
1. व्यापार कर	1755.26	2046.79	2335.38	(+) 288.59	14.10
2. राज्य आबकारी	957.04	1104.64	1158.61	(+) 53.97	4.89
3. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस	531.62	631.54	734.78	(+) 103.24	16.35
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	336.58	501.00	558.52	(+) 57.52	11.48
5. माल एवं यात्रियों पर कर	194.55	194.79	228.37	(+) 33.58	17.24
6. वाहनों पर कर	98.49	108.06	125.46	(+) 17.40	16.10
7. गन्ने के क्रय पर कर	57.40	57.64	72.87	(+) 15.23	26.42
8. विद्युत पर कर और शुल्क	56.43	68.69	75.71	(+) 7.02	10.22
9. भू-राजस्व	47.76	53.80	62.53	(+) 8.73	16.23
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	00.001	2.88	0.03	(-) 2.85	(-)98.96
11. कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	00.06	7.19	0.87	(-) 6.32	(-)87.90
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	96.81	101.30	112.97	(+) 11.67	11.52
13. अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर)	-	-	2.82	(+) 2.82	-
योग	**4132.00**	**4878.32**	**5468.92**	**(+) 590.60**	**12.11**

रेखाचित्र–II

कर-राजस्व की बढ़ोत्तरी

1993-94 से 1995-96

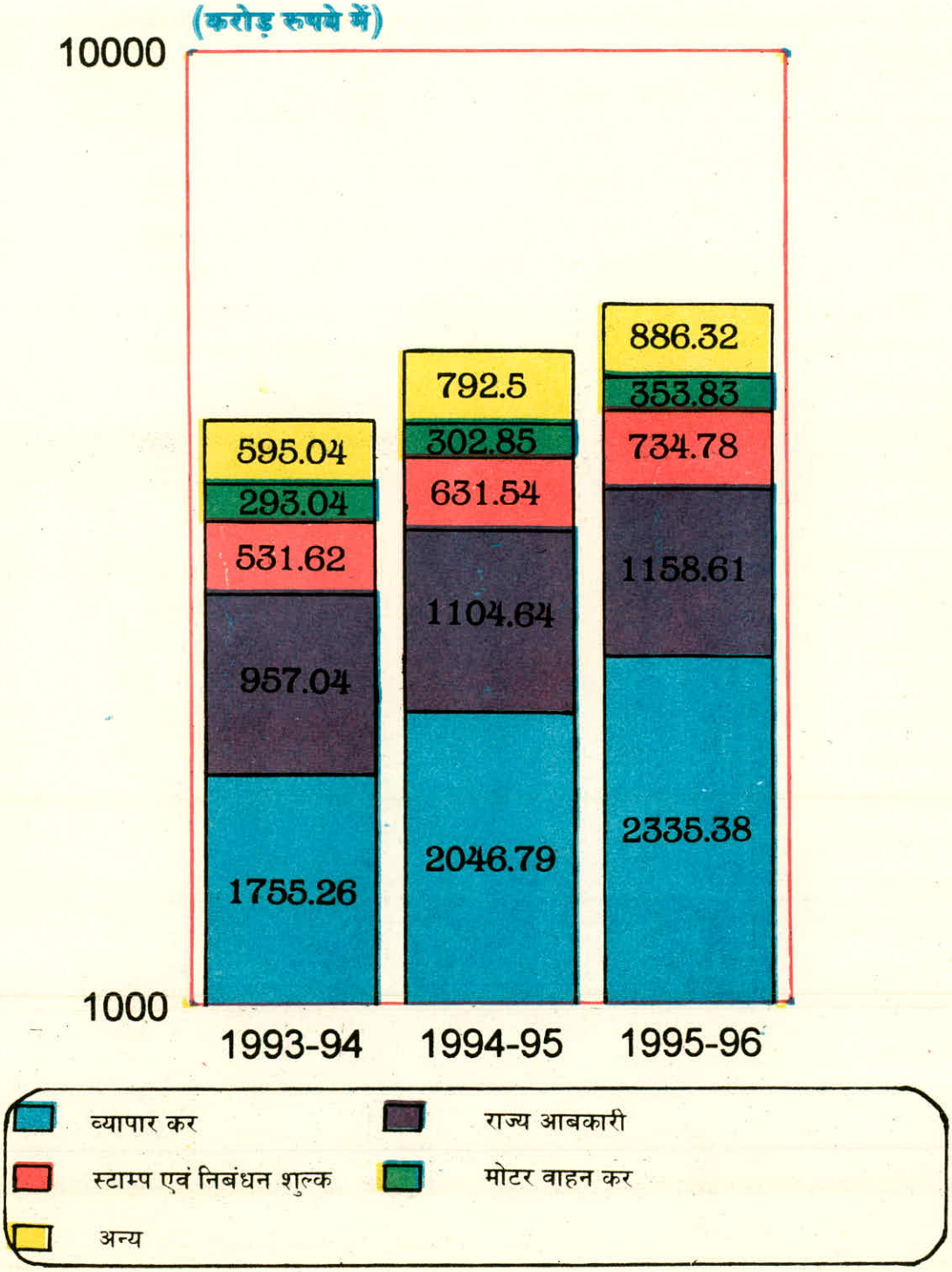

(संदर्भ : प्रस्तर I.I (I) पृष्ठ 4)

रेखाचित्र–III

गैर कर राजस्व की बढ़ोत्तरी

1993-94 से 1995-96

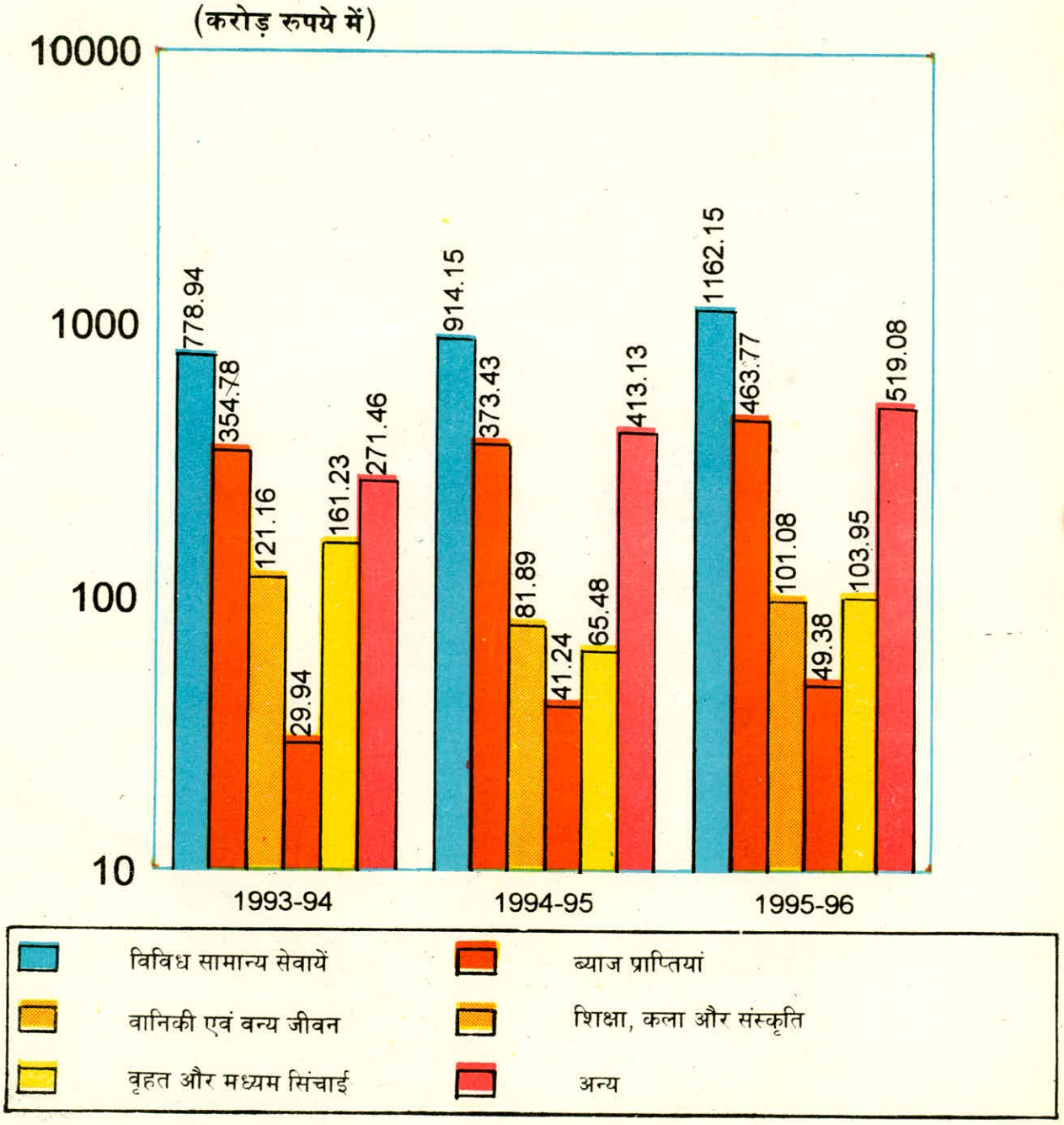

(संदर्भ : प्रस्तर I.I (II) पृष्ठ 5)

महत्वपूर्ण भिन्नता का कारण , यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया है, प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

(ii) वर्ष 1995-96 के लिए गैर-कर राजस्व का विवरण साथ ही उन विभागों के संबंध में पूर्व के दो वर्षो के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गये है तथा रेखा-चित्र-III में दशयि गए हैं :-

राजस्व शीर्ष	1993-94	1994-95	1995-96	1994-95 के संदर्भ में 1995-96 में वृद्धि(+) या कमी (-)	1994-95 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)				
1. विविध सामान्य सेवायें	778.94	914.15	1162.15	(+) 248.00	27.13
2. ब्याज प्राप्तियां	354.78	373.43	463.77	(+) 90.34	24.19
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	121.16	81.89	101.08	(+) 19.19	23.43
4. वृहत और मध्यम सिंचाई	161.23	65.48	103.95	(+) 38.47	58.75
5. शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	29.94	41.24	49.38	(+) 8.14	19.74
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	20.72	70.09	83.58	(+)13.49	19.25
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	61.16	120.31	148.11	(+) 27.80	23.11
8. पुलिस	27.41	17.92	30.62	(+) 12.70	70.87
9. क्राप हसबेण्ड्री	15.61	27.17	21.21	(-) 5.96	(-) 21.94
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.45	3.46	5.73	(+) 2.27	65.61
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	14.77	18.95	13.79	(-) 5.16	(-)27.23
12. लघु सिंचाई	21.91	27.94	40.58	(+) 12.64	45.24
13. सड़क एवं सेतु	17.32	18.18	16.02	(-) 2.16	(-) 11.88

राजस्व शीर्ष	1993-94	1994-95	1995-96	1994-95 के संदर्भ में 1995-96 में वृद्धि(+) या कमी (-)	1994-95 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपए	में)		
14. लोक निर्माण	14.92	13.79	25.85	(+) 12.06	87.45
15. सहकारिता	5.98	7.30	9.21	(+) 1.91	26.16
16. अन्य	67.21	88.02	124.38	(+) 36.36	41.31
योग	**1717.51**	**1889.32**	**2399.41**	**(+) 510.09**	**27.00**

महत्वपूर्ण भिन्नता का कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया है, प्राप्त नहीं हुआ हैं (अगस्त 1996) ।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कर-राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर तालिका में दिया गया हैं :-

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता वृद्धि(+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर राजस्व	5155.46	5468.92	(+) 313.46	6.1
ख. गैर कर राजस्व	1815.24	2399.41	(+) 584.17	32.2

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत भिन्नता का विभाजन निम्नवत् है :

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर राजस्व				
1. ब्यापार कर	2131.00	2335.38	(+) 204.38	(+)9.6
2. राज्य आबकारी	1167.18	1158.61	(-) 8.57	(-)0.7
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	647.66	734.78	(+) 87.12	(+) 13.5
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	560.06	558.52	(-) 1.54	(-)0.3
5. माल एवं यात्रियों पर कर	238.53	228.37	(-) 10.16	(-)4.3
6. वाहनों पर कर	114.64	125.46	(+) 10.82	(+)9.4
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, मनोरंजन कर	113.94	112.97	(-) 0.97	(-)0.9
8. गन्ने के क्रय पर कर	75.05	72.87	(-) 2.18	(-)2.9
9. विद्युत पर कर और शुल्क	72.56	75.71	(+) 3.15	(+)4.3
10. भू-राजस्व	31.39	62.53	(+) 31.14	(+) 99.2
ख गैर-कर राजस्व				
1. विविध	805.40	1162.15	(+) 356.75	(+) 44.3
2. ब्याज प्राप्तियां	359.82	463.77	(+) 103.95	(+) 28.9
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	105.75	101.08	(-) 4.67	(-)4.4

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)			
4. वृहत एवं मध्यम सिंचाई	100.94	103.95	(+) 3.01	(+)3.0
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	47.49	49.38	(+) 1.89	(+)4.0

भिन्नता का कारण, जहां कही भी महत्वपूर्ण रहा, यद्यपि राज्य सरकार से मगाया गया है , प्राप्त नहीं हुआ हैं (अगस्त 1996) ।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1993-94 , 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुये व्यय तथा सकल संग्रह पर हुये व्यय के प्रतिशत के साथ-साथ वर्ष 1994-95 के दौरान सकल संग्रह पर हुये व्यय की अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1994-95 के आधार पर अखिल भारतीय औसत
		(करोड़ रुपए में)			
1. ब्यापार कर	1993-94	1755.26	42.85	2.4	
	1994-95	2046.79	45.00	2.2	1.2
	1995-96	2335.38	62.95	2.7	
2. वाहनों पर कर	1993-94	98.49	4.80	4.9	
	1994-95	108.06	5.78	5.3	
	1995-96	125.46	8.72	6.9	2.5
3. माल तथा यात्रियों पर कर	1993-94	194.55	2.70	1.4	
	1994-95	194.79	2.04	1.0	
	1995-96	228.37	2.42	1.1	
4. राज्य आबकारी	1993-94	957.04	10.85	1.1	
	1994-95	1104.64	12.01	1.1	3.1
	1995-96	1158.61	13.40	1.2	
5. स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	1993-94	531.62	1.98	0.4	
	1994-95	631.54	9.32	1.5	3.6
	1995-96	734.78	9.54	1.3	

"वाहनों पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह पर हुए व्यय में वृद्धि 1993-94 में सकल संग्रह के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 5.3 प्रतिशत हुई, पुनः 1995-96 में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई।

1.4 कर निर्धारण के बकाया मामले

(क) व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(i) कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर

निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत है :-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु अपेक्षित मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 6 की 4 से प्रतिशतता
1991-92	7,18,433	3,76,111	10,94,544	4,50,354	6,44,190	59.0
1992-93	7,10,790	3,87,506	10,98,296	4,16,982	6,81,314	62.0
1993-94	7,41,996	3,94,868	11,36,864	3,94,101	7,42,763	65.0
1994-95	8,01,418	4,11,320	12,12,738	3,72,718	8,40,020	69.0
1995-96*	9,41,134	4,28,990	13,70,124	8,07,277	5,62,847	41.0

स्पष्ट है कि वर्ष 1991-92 से 1994-95 के लिए अन्तशेष में उत्तरवर्ती वर्षो के आदि शेष से भिन्नता है । विभाग ने बताया कि यह स्थिति मामलों की संवीक्षा, त्रुटि सुधार तथा पिछली तिथि से पंजीयन देने के कारण है। यह आवश्यक है कि विभाग अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था को ठीक करे जिससे कि आंकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके ।

31 मार्च 1996 को लम्बित कर निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन अगले पृष्ठ पर दिये गये विवरण अनुसार था:

---

* अनंन्तिम

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1990-91 तक	6,544
1991-92	16,484
1992-93	14,485
1993-94	2,31,277
1994-95	2,89,941
पुन: कर निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रति प्रेषित मामले	4,116
योग	**5,62,847**

(II) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के प्रथम नौ माह के दौरान तथा शेष तीन माह के दौरान निष्पादित कर निर्धारणों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गयी है :

	1994-95			1995-96		
अवधि	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर निर्धारणों की प्रतिशतता
अप्रैल से दिसम्बर	1,34,790	223.67	36	4,97,581	402.75	62
जनवरी से मार्च	2,37,928	806.88	64	3,09,696	1,795.30	38
योग	3,72,718	1,030.55		8,07,277	2,198.05	

यह स्पष्टत: परिलक्षित है कि माह अप्रैल से दिसम्बर के मध्य मामलों के निस्तारण की दर (औसतन 55,287 मामले प्रति माह) वर्ष के अन्तिम तिमाही से (औसतन 1,03,232 मामले प्रति माह) बहुत कम रहा । 1995-96 के प्रथम तीन तिमाही में उठाई गई अतिरिक्त मांग (402.75 करोड़ रुपए) अन्तिम तिमाही के दौरान उठायी गई मांग (1795.30 करोड़ रुपए) से भी बहुत कम थी । यह दर्शाता है कि अधिक धनराशि से सन्निहित कर के लम्बित वादों का निस्तारण वर्ष के अंतिम समय में किया गया ।

(III) जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है , निष्पादित मामलों के विभाजन से स्पष्ट है कि प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति रही है । विभाजन दर्शाता है कि निपटाए गए मामलों में से 32 प्रतिशत से अधिक मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने थे जो यदि उसी वर्ष के दौरान निस्तारित न किए गए होते तो वे कालातीत हो जाते :

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष	जिस वर्ष से सम्बन्धित है, उन वर्षों के अनुसार निस्तारित मामलों का विभाजन		
	वर्ष	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
1995	1990-91 तक	2,18,593	59
	1991-92	40,030	10
	1992-93	44,885	12
	1993-94	62,318	17
	प्रति प्रेषित मामले	6,892	2
	योग	**3,72,718**	
1996	1990-91 तक	31,321	4
	1991-92	2,28,597	28
	1992-93	2,87,649	35
	1993-94	1,24,777	16
	1994-95	1,27,557	16
	प्रति प्रेषित मामले	7,376	1
	योग	**8,07,277**	

वर्ष 1996 में प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने से हड़बड़ी में किये गये कर-निर्धारण, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्यपगत होने के फलस्वरूप व्यापारियो के दिवालिया या गुम हो जाने की संभावना रहती है ।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक के अपील एवं पुनरीक्षण के मामले जो व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित किये जाने थे, तथा जो मामले निस्तारित किये गये, की संख्या तथा साथ ही साथ वर्ष 1995-96 के अन्त में अपील एवं पुनरीक्षण के निष्पादन हेतु लम्बित तथा विभाग द्वारा सूचित मामलों की संख्या तालिका में प्रदर्शित है :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की सं०	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
अपील के मामले						
1991-92	79122	45957	125079	57103	67976	46
1992-93	67976	45219	113195	48765	64430	43
1993-94	64430	45017	109447	46775	62672	43
1994-95	62672	30150	92822	36520	56302	39
1995-96*	56302	36715	93017	36130	56079	39
पुनरीक्षण के मामले						
1991-92	54177	25087	79264	18837	60427	24
1992-93	60427	23537	83964	19324	64640	23
1993-94	64640	22212	86852	19483	67369	22
1994-95	67369	16442	83811	16458	67353	20
1995-96	67353	14374	81727	19853	61894	24

अवलोकनीय है कि 1990-91 के अंत में लम्बित अपील के मामलों की संख्या 79122 से घट कर वर्ष 1995-96 के अन्त में 56879 हो गयी तथा 1990-91 के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित पुनरीक्षण के मामलों में 54177 से 1995-96 के अन्त में 61894 होने पर 14 प्रतिशत की बढोत्तरी हुयी ।

---

* अनन्तिम

1.5 संग्रह का विश्लेषण

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1995-96 के दौरान ब्यापार कर के सकल संग्रह का विभाजन , (पूर्व निर्धारण की अवस्था तथा नियमित निर्धारण के पश्चात) पूर्व के दो वर्षो के तदनुरुपी आंकड़ों के साथ सारणी में दिया गया है ।

करशीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था में संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि	अन्य प्राप्तियां	प्रत्यार्पित धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम 3 की 7 से प्रतिशतता
		(	करोड़	रुपए	में	)	
ब्यापार कर	1993-94	1699.74	121.32	23.48	7.49	1837.05	93
	1994-95	1952.92	102.09	15.54	10.50	2060.05	95
	1995-96*	2212.38	116.71	18.95	17.33	2330.71	95

मार्च 1996 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षो की व्यापार कर विभाग द्वारा दी गयी राजस्व वसूली की स्थिति यह बताती है कि पूर्व निर्धारण अवस्था का राजस्व संग्रह का प्रतिशत 93 से 95 हो गया, यह करदाताओं की स्वेच्छिक अनुपालन की जागरुकता तथा आय के उच्च लक्ष्य प्राप्ति में संलग्न व्यापार कर विभाग के कर संग्रह साधनों के सीमित कर्तव्यों को प्रकट करती है ।

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षो के अन्तर्गत 31 मार्च 1996 को राजस्व बकाया , जैसा संबंधित विभाग द्वारा सूचित किया गया, अगले पृष्ठ के अनुसार था :-

---

* अनन्तिम

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
	(करोड़ रुपए में)		
1. व्यापार कर	3619.54	1674.01	3619.54 करोड़ रुपए में से 557.74 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 493.33 करोड़ रुपए तथा 67.96 करोड़ रुपए की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी । प्रार्थना पत्रों की समीक्षा/ परिशोधन के कारण 82.55 करोड़ रुपए की वसूली रुक गयी थी। 105.92 करोड़ रुपए की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र अन्य राज्यों को निर्गत किये गये थे । 107.22 करोड़ रुपए के लिए मांग के अपलिखित होने की संभावना थी । 2204.82 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यावाही का विवरण मांगा गया था (जून 1996) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नही दी है (अगस्त 1996) ।
2. गन्ने पर क्रयकर (चीनी मिले)	12.80	10.74	12.80 करोड़ रुपए में से 2.73 करोड़ रुपए के बकाये की भू राजस्व की भांति वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 6.01 करोड़ रुपए की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 4.06 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के संबंध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण मांगा गया था (जुलाई 1996) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (अगस्त 1996) ।

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया (करोड़ रुपए में)	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	11.42	7.99	11.42 करोड रुपए में से 6.21 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.65 करोड़ रुपए की वसूली न्यायलयों तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.09 करोड़ रुपए की एक मांग को हस्तगत जमानत के विरुद्ध समायोजित की जा रही थी। 0.12 करोड़ रुपए की मांग अपलिखित होने की संभावना थी । 4.35 करोड़ रुपए के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण मांगा गया था (जुलाई 1996), जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (अगस्त 1996) ।
4. मनोरंजन कर	9.27	0.24	9.27 करोड़ रुपए में से 1.59 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 6.92 करोड़ रुपए की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.76 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण मांगा गया था (जुलाई 1996) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (अगस्त 1996) ।
5. विद्युत कर	13.19	12.61	13.19 करोड़ रुपए में से 0.15 करोड़ रुपए की मांग को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। 66 करोड़ की मांग को भू राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 12.38 करोड़ रुपए का अवशेष वसूली की प्रक्रिया में है ।

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया (करोड़ रुपए में)	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
6. राज्य आबकारी	64.45	--	64.45 करोड़ रुपए में से 13.51 करोड़ रुपए के के लिए मांग को भू राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 47.97 करोड़ रुपए की मांग न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई थी । 0.02 करोड़ रुपए की मांग अपलिखित होने की संभावना थी । 2.95 करोड़ रुपए के संबंध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण मागा गया था (जुलाई 1996) , जिसके संबंध में विभाग ने सूचना नही दी है । (अगस्त 1996) ।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मांगी गयी थी (जून 1996) किन्तु प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 1996) ।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण से 1528 मामलों में 55.27 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण/ कम आरोपण / राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये । 1995-96 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 1237 मामलों में 22.01 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिसमें से 15.66 करोड़ रुपए के 92 मामले वर्ष 1995-96 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये और शेष विगत वर्षो से सम्बन्धित थे ।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज , अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 4 समीक्षा को सम्मिलित करते हुए 46 प्रस्तर है जिनमें 436.18 करोड़ रुपए की धनराशि सन्निहित हैं। विभाग / सरकार ने 3.71 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है जिसमें सें अगस्त 1996 तक 8.34 लाख रुपए की वसूली कर ली गयी थी । अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

(i) त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, कर के कम आरोपण , शुल्क, फीस आदि पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां और साथ ही लेखापरीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गयी कमियाँ जिनका स्थल पर समाधान न हो सका , को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है । अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है । कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(ii) राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1995 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या तथा जिनके निस्तारण 30 जून 1996 तक विभागों द्वारा लम्बित रहे, साथ ही पूर्व के दो वर्षों के तद्नुरुपी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

	माह जून के अन्त में		
	1994	1995	1996
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2746	3390	3964
2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	8964	10168	11078
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपयें में)	271.99	359.82	397.56

(iii) लेखा परीक्षा आपत्तियों तथा अनिस्तारित (30 जून 1996 को) निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्षवार विभाजन अगले पृष्ठ पर दिया गया है -

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये)	अनिस्तारित संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियां	निहित राजस्व (करोड़ रुपए में)
1991-92 तक	1401	4495	153.38
1992-93	447	1631	57.19
1993-94	590	1454	46.17
1994-95	755	2024	99.17
1995-96	771	1474	41.65
योग	**3964**	**11078**	**397.56**

(iv) 30 जून 1996 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विभाजन सारणी में दिया गया है :-

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन	आपत्तियां	सन्निहित राजस्व की राशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नही हुए
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	525	1804	253.87	1988-89 से 1995-96	शून्य
2. ब्यापार कर	831	3448	50.25	1987-88 से 1995-96	शून्य
3. सिंचाई	241	638	17.92	1984-85 से 1995-96	108
4. राज्य आबकारी	418	614	15.81	1984-85 से 1995-96	54
5. भू-राजस्व	301	730	12.29	1984-85 से 1995-96	शून्य

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन	आपत्तियां	सन्निहित राजस्व की राशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नही हुए
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	277	1052	7.77	1984-85 से 1995-96	50
7. लोक निर्माण	254	551	12.52	1985-86 से 1995-96	118
8. गन्ने के क्रय पर कर	116	133	5.73	1985-86 से 1995-96	12
9. स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	585	1484	8.79	1984-85 से 1995-96	217
10. अन्य विभाग					
(क) कृषि	101	201	5.59	1985-86 से 1995-96	44
(ख) विद्युत शुल्क	131	153	3.99	1985-86 से 1995-96	11
(ग) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	87	148	0.77	1985-86 से 1995-96	44
(घ) सहकारिता	54	72	1.78	1985-86 से 1995-96	13
(च) मनोरंजन कर	43	50	0.48	1986-87 से 1995-96	3
योग	**3964**	**11078**	**397.56**		**674**

इसे , शासन के संज्ञान में अप्रैल 1996 में लाया गया था ; अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ

अध्याय-2

व्यापार कर

अध्याय - 2

व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान व्यापार कर के कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में कर के अवनिर्धारण तथा अर्थदण्ड व ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 576 मामले पाये गये जिनमें 842.14 लाख रुपए की राशि निहित थी, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	207	144.85
2.	अनियमित छूट	71	478.69
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	34	26.40
4.	कर की गलत दर	29	36.73
5.	माल का गलत वर्गीकरण	21	20.76
6.	आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	1	00.33
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से संबंधित अनियमितताएँ	14	53.98
8.	कर का अवनिर्धारण	4	2.51
9.	कर का कम आरोपण	96	8.25

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
10.	क्रय कर का अनारोपण	11	2.41
11.	अन्य अनियमितताएँ	88	67.23
		576	**842.14**

वर्ष 1995-96 के दौरान संबंधित विभाग ने 374 मामलों में निहित 177.36 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 10 मामलों में निहित 4.76 लाख रुपए 1995-96 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षो में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे । "खाद्यान्न , दलहन तथा तिलहन पर ब्यापार कर का आरोपण" पर की गयी समीक्षा सहित कुछ निदर्शी मामले, जिनमें 4683.75 लाख रुपए का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है , निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

2.2 खाद्यान्न , दलहन तथा तिलहन पर व्यापार कर का आरोपण

2.2.1 प्रस्तावना

व्यापार कर, जो अन्य राज्यों में बिक्रीकर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) के राजस्व का मुख्य स्रोत है, जो संम्पूर्ण कर राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत है । यह उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0व्या0कर अधि0) तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 (के0बि0कर अधि0) के अन्तर्गत आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है । खाद्यान्न , दलहन तथा तिलहन के संबंध में व्यापार कर प्रथम क्रय के बिन्दु पर आरोपित किया जाता है । अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में कर , केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित किया जाता है ।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शीर्ष स्तर पर, कमिश्नर, ब्यापार कर, विभाग का प्रधान अधिकारी होता है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है जिसे अपने कार्य में अतिरिक्त कमिश्नरों , उप कमिश्नरों , सहायक कमिश्नरों तथा व्यापार कर अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है । प्रशासनिक नियंत्रण हेतु राज्य को

22 परिक्षेत्रों में बांटा गया है , जो एक उप कमिश्नर (शासकीय) द्वारा संचालित होता है । परिक्षेत्र को पुनः मण्डलों तथा मण्डलों को खण्डों में उपविभाजित किया गया है। प्रत्येक खण्ड एक कर निर्धारण अधिकारी यथा सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) / व्यापार कर अधिकारियों (व्या0 क0 अधि0) के प्रभार में रहता है ।

2.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहन पर व्यापार कर आरोपित तथा संग्रहित किये जाने की कार्यपद्धति की पर्याप्तता निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन को सत्यापित किये जाने के उद्देश्य से दिसम्बर 1995 से अप्रैल 1996 के दौरान एक समीक्षा की गई । इस उद्देश्य से 22 में से 14 परिक्षेत्रों के वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक के अभिलेखों की नमूना जांच की गई ।

2.2.4 प्रमुख अंश

(i) व्यापारियों के पंजीकरण संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के परिणामस्वरुप 26.95 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.2.6)

(ii) छिपाये गये टर्नओवर पर 13.18 करोड़ रुपए के अर्थदण्ड का आरोपण न किये जाने से हानि ।

(प्रस्तर 2.2.7)

(iii) अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर अनारोपित/कम आरोपित कर के परिणामस्वरुप 3.17 करोड़ रुपए (कर 1.35 करोड़ तथा ब्याज 1.82 करोड़ रुपए) के राजस्व की हानि ।

(प्रस्तर 2.2.8 (क) और (ख))

(iv) प्रान्तीय संब्यवहारों पर कम करारोपण के परिणामस्वरुप 15.76 लाख रुपए के राजस्व की हानि ।

(प्रस्तर 2.2.9)

(v) केन्द्रीय बिक्रीकर के विरुद्ध क्रयकर के अनियमित समायोजन के परिणामस्वरुप 12.64 लाख रुपए के राजस्व की हानि ।

(प्रस्तर 2.2.10)

b 2.2.5 राजस्व का रुझान

वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में राज्य की संम्पूर्ण कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान, उसके विरुद्ध व्यापार कर से प्राप्त राजस्व तथा खाद्यान्न , दलहन तथा तिलहन पर कर से मिलने वाली राजस्व प्राप्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहन पर कर से प्राप्त राजस्व	स्तम्भ 4 से 3 की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपए	में)	
1990-91	1159.40	1415.36	93.66	6.62
1991-92	1582.20	1641.83	92.12	5.61
1992-93	1720.00	1654.35	93.30	5.64
1993-94	1820.00	1755.26	110.81	6.31
1994-95	1929.00	2046.79	114.35	5.59

2.2.6 पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण राजस्व - हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायी व्यापारी स्वयं को पंजीकृत करवायेगा । इस उद्देश्य हेतु वह सम्बन्धित खण्ड के व्यापार कर अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में पूरे विवरण सहित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। व्यापार कर अधिकारी व्यापारी के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण करने, उसकी विश्वसनीयता, सही एवं पूरे स्थानीय तथा स्थायी पते , पूर्व का इतिहास एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में सन्तुष्ट होकर पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा । सरकारी राजस्व की अभिरक्षा हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पूर्व व्यापारी से प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूतियां भी ली जाती है । केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भी व्यापारियों के पंजीयन हेतु इसी प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित है ।

यह पाया गया कि 7 मण्डलों * के 32 मामलों में, विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्धारित जाँच तथा सत्यापन नही किया गया । फलस्वरुप व्यापारियों ने अपना पंजीयन कराने के पश्चात बड़ी संख्या में विधिक प्रपत्र लिये , थोड़े ही समय में अच्छा खासा व्यापार किये तथा अपना प्रतिष्ठान बंद करके लापता हो गये । इन व्यापारियों के द्वारा वर्ष 1984-85 से 1994-95 के विभिन्न कर निर्धारण वर्षो में 26.95 करोड़ रुपए का कर देय था ।

2.2.7 अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया है अथवा जानबूझ कर टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है , तो वह आवश्यक जांच - पड़ताल के पश्चात निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, अर्थदण्ड के रुप में, कर के अतिरिक्त, ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो न्यूनतम बचाये गये कर की धनराशि के 50 प्रतिशत , किन्तु 24 अप्रैल 1990 तक डेढ़ गुने तथा 25 अप्रैल 1990 से दो गुने से अधिक नहीं होगी ।

व्यापार कर के 8 ** मण्डलों में यह देखा गया कि वर्ष 1988-89 से 1994-95 की अवधि में 33 व्यापारियों ने खाद्यान्नों, दलहनों तथा तिलहनों के क्रय तथा विक्रय के टर्नओवर को छिपाया था जिस पर विभाग द्वारा 26.37 करोड़ रुपए का कर आरोपित किया गया (छिपाये गये टर्नओवर का पता चलने पर) यद्यपि 13.18 करोड़ रुपए का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय था , किन्तु इसे न तो आरोपित किया गया और न ही संग्रहीत किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (दिसम्बर 1995 से अप्रैल 1996) कि अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जायेगा ।

---

* इलाहाबाद, बरेली, झांसी, लखनऊ, महोबा, उरई (जालौन) एवं वाराणसी

** बरेली , वाराणसी, कानपुर , महोबा , झांसी , इलाहाबाद , हापुड़ , एवं उरई (जालौन) ।

2.2.8 प्रान्तीय विक्री पर कर का अनारोपण/कम आरोपण

(क) केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम , 1956 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत , अन्य प्रान्तों में प्रेषित ऐसे माल के संचलन पर जिसे बेचा नहीं गया है, बल्कि व्यापारी के दूसरे स्थान पर स्थित व्यापार-स्थल को अथवा उनके एजेन्ट को अथवा उसके निर्देष्टा को स्टाक से स्थानान्तरित किया गया है पर व्यापारी द्वारा कोई कर देय नही है । कर-मुक्ति का दावा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित है कि वह दूसरे व्यापार-स्थल के निर्देष्टा अथवा एजेन्ट जैसा भी मामला हो के द्वारा , जैसा भी मामला हो, हस्तान्तरित तथा सम्यक रुप से भरे हुए प्रपत्र "एफ" में घोषणा, माल के प्रेषण के साक्ष्य के साथ, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे ।

व्यापार कर के 5 मण्डलों * में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 एवं 1993-94 की अवधि में 17 व्यापारियों (वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दो ऐसे प्रतिप्रेषित मामलों को समाविष्ट करते हुए जो मार्च 1995 में निस्तारित किये गये थे) ने घोषित किया कि उन्होंने 1685.94 लाख रुपए का खाद्यान्न आदि प्रान्त बाहर के निर्देष्टाओं के लिए खरीदा और उन्हें भेजा । तथापि, विभाग द्वारा कोई करारोपण नहीं किया गया, यद्यपि कि व्यापारी अपेक्षित घोषणा अथवा माल भेजे जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे । फलस्वरुप 132.38 लाख रुपए का कर तथा 180.43 लाख रुपए ब्याज (दिसम्बर 1995 तक आगणित) आरोपित नहीं हुआ ।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत, घोषित मालों की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर , जो निर्धारित घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से समर्थित नही है, ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रान्त के अन्दर लागू कर के दो गुने की दर से आरोपणीय है । यदि प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत क्रय कर का भुगतान कर दिया गया है, तो इसे केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत आरोपित कर के विरुद्ध समायोजित कर दिया जायेगा । 1 अप्रैल, 1992 से दालों के प्रथम क्रय पर 3.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

व्यापार कर मण्डल, शाहजहांपुर में यह देखा गया कि वर्ष 1992-93 में, एक व्यापारी ने 66.98 लाख रुपए की स्वनिर्मित दाल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की जो घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से समर्थित नही थी। इस बिक्री पर प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये 2.34 लाख रुपए क्रय कर को समायोजित करते हुए 7 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था, जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया । फलस्वरुप 2.34 लाख रुपए का कर तथा 2.15 लाख रुपए का ब्याज (फरवरी 1996 तक) आरोपित नहीं किया गया ।

---

* कानपुर , बरेली, बुलन्दशहर, बदायूं एवं झांसी

इंगित किये जाने पर (मार्च 1996) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि चूंकि "तूर" की खरीद पर प्रान्त में कर पहले ही भुगतान किया जा चुका है, अतः दाल की अंर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर कर आरोपणीय नही था । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रान्त के अन्दर प्रभारित कर केन्द्रीय बिक्री कर का स्थान नहीं ले सकता ।

2.2.9 अन्तःप्रान्तीय संव्यवहारों पर कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश के अन्दर की गयी प्रत्येक खरीद चाहे सीधे की गयी हो अथवा किसी एजेन्ट के माध्यम से, चाहे अपने लिए की गयी हो अथवा किसी दूसरे के लिए , प्रथम खरीद मानी जायेगी जब तक कि व्यापारी, क्रेता / विक्रेता व्यापारियों से प्राप्त निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर के कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अन्यथा नहीं सिद्ध कर देता । यह देखा गया कि निम्नवर्णित मामलों मे व्यापारियों को , बिना निर्धारित घोषणा प्रमाण पत्र प्राप्त किये , कर मुक्ति / रियायती दर का लाभ प्रदान किया गया जिसके फलस्वरुप 7.88 लाख रुपए के क्रय कर का अनारोपण हुआ तथा 7.88 लाख रुपए ब्याज लगने से रह गया ।

क्रम सं0	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	टर्नओवर	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपणीय ब्याज की धनराशि (दिसम्बर 1995 तक)
			(लाख रुपए में)		
1.	स0क0(क0नि0) व्या0क0, महोबा	1990-91 व 1991-92	58.50	2.20	2.50
2. (i)	स0क0 (क0नि0) व्या0क0 सीतापुर	1992-93	35.84	1.43	1.29
(ii)	व्या0क0अ0 खण्ड-I सीतापुर	1989-90 व 1992-93	9.86	0.40	0.48
3.	स0क0 (क0नि0) व्या0कर शाहजहांपुर	1992-93	64.21	1.38	1.16

क्रम सं0	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	टर्नओवर	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपणीय ब्याज की धनराशि (दिसम्बर 1995 तक)
			(	लाख रुपए	में)
4.	व्या0क0अ0 खण्ड-I बरेली	1992-93	29.14	1.17	1.03
5. (i)	व्या0क0अ0 खण्ड-3 इलाहाबाद	1990-91 से 1992-93	15.24	0.61	0.63
(ii)	व्या0क0अ0 खण्ड-7 इलाहाबाद	1988-89 व 1989-90	1.50	0.06	0.09
6.	व्या0क0अ0 खण्ड-2 बदायूं	1991-92 व 1992-93	12.57	0.50	0.52
7.	व्या0क0अ0 खण्ड-2 वाराणसी	1990-91	3.22	0.13	0.18
	योग		**230.08**	**7.88**	**7.88**

2.2.10 कर का अनियमित समायोजन

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत , जहां प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर कर आरोपित कर दिया गया हो तथा जिसे अर्न्तप्रान्तीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा गया हो एवं ऐसी बिक्री पर कर भी जमा कर दिया गया हो , वहां कर के जमा करने की तिथि

से 6 माह के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देने पर प्रांतीय अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित कर वापस कर दिया जायेगा ।

3 व्यापार कर मण्डलों * में पाया गया कि 7 मामलों में कर निर्धारण अधिकारियों ने घोषित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्री के संबंध में कर निर्धारण करते समय प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत 12.64 लाख रुपए के आरोपित क्रय कर को अनियमित ढंग से केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित कर के विरुद्ध समायोजित कर दिया ।

2.2.11 अनियमित कर- मुक्ति प्रदान किया जाना

राज्य में उत्पादन बढाने एवं कतिपय उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के टर्नओवर पर एक निर्धारित अवधि तक कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की अनुमति दी है । 27 जुलाई 1991 की विज्ञप्ति के अनुसार, सभी प्रकार की दालों का निर्माण करने वाली नई इकाईयों , रोलर आटा मिलों के अतिरिक्त सभी प्रकार की आटा मिलों तथा हलर टाइप चावल मिलों को कर-मुक्ति अथवा कर की दर में रियायत का लाभ उठाने हेतु हकदार नहीं है ।

व्यापार कर मण्डल, लखनऊ, में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में हलर टाइप चावल मिलों में चावल का निर्माण करने वाले दो निर्माताओं को पूर्ण कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता प्रमाण - पत्र स्वीकृत किया गया , यद्यपि 27 जुलाई 1991 की विज्ञप्ति के अर्न्तगत इस प्रकार की हलर टाइप चावल मिलों को विशेष रुप से ऐसे लाभ के उद्देश्य से निकाल दिया गया था । इन दोनों व्यापारियों के 151.53 लाख रुपए के विक्रय टर्न ओवर पर कर - मुक्ति प्रदान कर दी गयी । परिणामस्वरुप 9.11 लाख रुपए की अनियमित कर - मुक्ति स्वीकृति की गई।

---

* महोबा, झांसी एवं उरई (जालौन)

2.2.12 रिटर्न/कर के विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

कर का दायी प्रत्येक व्यापारी, अनुगामी माह के समाप्त होने के पहले , कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्वीकृत टर्नओवर पर देय कर के जमा किये जाने के चालान के साथ निर्धारित प्रपत्र में टर्नओवर का मासिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा । ऐसा करने में विफल रहने वाला व्यापारी अर्थदण्ड के रुप में ऐसी धनराशि का दायी होगा जो देय कर के 10 प्रतिशत से कम किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक न होगी , यदि देय कर 10 हजार तक हो, किन्तु देय कर का 50 प्रतिशत, यदि देय कर 10 हजार से अधिक हो।

व्यापार कर के 3 मण्डलों * में यह देखा गया कि 21 व्यापारियों ने न तो निर्धारित अवधि के अन्दर अपने रिटर्न जमा किये और न ही 13.68 लाख रुपए के देय कर की धनराशि को आगामी मासों के अंतिम दिवस तक जमा किया । इसके लिए , वे अर्थदण्ड के रुप में, 6.74 लाख रुपए की धनराशि के भुगतान के दायी थे , जिसे न तो आरोपित किया और न ही संग्रहीत किया गया ।

2.2.13 विभागीय निर्देशों का पालन न किया जाना

(क) संव्यवहारों की यथार्थता को सुनिश्चित करने तथा करापवंचन का पता लगाने के उद्देश्य से, विभाग ने कर निर्धारण अधिकारियों को घोषणा प्रपत्रों से आच्छादित खरीद एवं बिक्री के संव्यवहारों के सत्यापन हेतु उनकी द्वितीय प्रतियों को निर्गत कर्ता कार्यालय को प्रेषित कर के घोषणा प्रपत्रों से आच्छादित क्रय एवं विक्रय संबंधी संव्यवहारों का प्रति- सत्यापन (क्रास वेरीफिकेशन) कराने का निर्देश जारी किया था (जुलाई 1984, अक्तूबर 1992 तथा जून 1993) । यदि कोई घोषणा पत्र फर्जी पाया जाता है तो, कर आरोपित करने/अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही एवं पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी जानी अपेक्षित है ।

व्यापार कर मण्डल वाराणसी, महोबा, बदायूं एवं आगरा में, यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि में 35.91 करोड़ रुपए के संव्यवहारों पर, प्रपत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों से फार्मों के प्रति सत्यापन के बिना, कर मुक्ति और कर में रियायत की सुविधा प्रदान की गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 1996 से मार्च 1996) कर निर्धारण अधिकारियों ने बताया (जनवरी 1996 से मार्च 1996) कि प्रति - सत्यापन करा लिया जायेगा और यदि अन्यथा पाया गया, तो कर आरोपित किया जायेगा ।

---

* इलाहाबाद, झांसी एवं उरई (जालौन)

(ख) इसी प्रकार, व्यापार कर अधिनियम , 1948, के प्रावधानों के अन्तर्गत, सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसरण में, अपनी अधिकृत एजेन्सी यथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (आर0 एफ0 सी0) के माध्यम से खाद्यान्न , चावल की करमुक्त खरीद कर सकती है तथा बिक्रेता को कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है । कर मुक्ति प्रदान करने के पूर्व, ऐसे प्रमाण पत्रों का समुचित सत्यापन क्रय एजेन्सी के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कराया जाना अपेक्षित है ।

व्यापार कर के 10 मण्डलों * में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि में 99 व्यापारियों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना ही 55.17 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर कर मुक्ति प्रदान कर दी गयी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया कि सत्यापन करा लिया जायेगा एवं यदि अन्यथा पाया गया तो कर आरोपित कर दिया जायेगा ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया है (मई 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

2.3 कर का अनारोपण

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम , 1948 के अनुसार ऐसे माल की बिक्री पर जो अन्यत्र वर्गीकृत न हो, 7 सितम्बर, 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त, 1 नवम्बर, 1985 तथा 1 अगस्त, 1990 से क्रमशः 10 तथा 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। यदि स्वीकृत रुप से देय कर , निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं किया जाता है, तो कर की बकाया राशि पर जमा तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है । न्यायिक रुप से यह निर्णीत ** है कि आयात लाइसेन्स वस्तु है अतः कर योग्य है ।

---

* आगरा, इलाहाबाद, बदायूं, बरेली, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रामपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर तथा वाराणसी ।

** मेसर्स भारत फ्रिट्ज वार्नर लिमिटेड बनाम कमिश्नर आफ कामर्शियल टैक्सेज व अन्य। (1992) - 86 - एस0 टी0 सी0 170 (कर्नाटक) ।

(i) व्यापार कर के 5 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1994 तथा नवम्बर 1994 के मध्य) कि 1989-90 से 1992-93 की अवधि में 5 व्यापारियों नें आयात लाइसेंस की बिक्री की । इस बिक्री पर 31 जुलाई, 1990 तक अतिरिक्त कर सहित 8.8 प्रतिशत की दर से तथा 1 अगस्त, 1990 से 10 प्रतिशत की दर से (अतिरिक्त कर सहित) कर आरोपणीय था, जिसे आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप 4.82 लाख रुपए का कर तथा 5.51 लाख रुपए का ब्याज आरोपित नहीं हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	आयात लाइसेंस की बिक्रय राशि (लाख रुपए में)	आरोपणीय कर की दर (अतिरिक्त कर सहित)	आरोपणीय कर की राशि	आरोपणीय ब्याज की राशि (लेखा परीक्षा की तिथि तक)
					------(लाख रुपए में)------	
1.	बस्ती	1990-91	17.96	8.8	1.58	1.74
2.	अलीगढ़	1991-92 तथा 1992-93	9.38	10.00	0.93	0.75
3.	फिरोजाबाद	1989-90	7.18	10.00	0.71	0.99
4.	मुरादाबाद	1989-90	10.43	8.8	0.91	1.20
5.	मिर्जापुर	1990-91	6.92	10.00	0.69	0.83
	योग		51.87		4.82	5.51

मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1995 तथा जून 1996 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 4- ख कतिपय शर्तों को पूरा करने पर मान्यता प्रमाण - पत्र धारक निर्माताओं को विज्ञापित माल के निमार्ण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर कर में विशेष राहत का प्रावधान करता है । अग्रेतर, जहां ऐसी बिक्री (पूर्ण कर मुक्ति के लिए) घोषणा प्रपत्र III ख से समर्थित है, तो बिक्रेता किसी कर का देनदार नही होता है ।

व्यापार कर मण्डल , इलाहाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1994) कि 1990-91 में एक व्यापारी ने801.40 लाख रुपए के लोहा तथा स्टील की बिक्री की । उस बिक्री में से 601.30 लाख रुपए की बिक्री बैध III- ख (पूर्ण कर मुक्ति के लिए) प्रपत्रों से समर्थित थी और इस प्रकार 200.10 लाख रुपए की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने सम्पूर्ण टर्नओवर पर कर मुक्ति प्रदान कर दिया । इसके परिणामस्वरुप 8 लाख रुपए का कर आरोपित नहीं हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अकतूबर 1994), विभाग ने 8 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया , जिसमें से व्यापारी द्वारा 7.66 लाख रुपए जमा भी कर दिया गया (अक्तूबर 1995)। 34,533 रुपए की शेष राशि तथा 9.70 लाख रुपए के ब्याज (20 अक्तूबर 1995 तक) की वसूली भी की जानी थी (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1995 और जुलाई 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

(ग) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत , यदि राज्य के बिक्रीकर कानूनों के अन्तर्गत यदि कोई वस्तु आमतौर पर कर मुक्त होती है तो उस वस्तु की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर भी कर मुक्ति अनुमन्य होगी । रेक्टीफाइट स्प्रिट और ऐब्सोल्यूट अल्कोहल , जो पूर्व में यू0पी0 सेल्स आफ मोटर स्प्रिट डीज़ल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 के अन्तर्गत कर योग्य थे, परन्तु उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कर मुक्त थे, उन्हे पूर्वगामी प्रभाव 1 अप्रैल 1978 से इस अधिनियम के अन्तर्गत ले आया गया है, और इस प्रकार इन वस्तुओं की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर कोई कर मुक्ति अनुमन्य न होगी ।

(i) व्यापार कर मण्डल , सीतापुर , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1995) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1990-91 के दौरान 179.46 लाख रुपए के रेक्टीफाइट स्प्रिट और ऐब्सोल्यूट अल्कोहल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की । उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत इसे कर मुक्त वस्तु मानते हुए कोई कर आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरुप 40.95 लाख रुपए का कर आरोपित नहीं हुआ ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1995 और अप्रैल 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 1996) ।

(ii) व्यापार कर मण्डल , सहारनपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1994) कि 1989-90 के दौरान एक व्यापारी ने 197.12 लाख रुपए के अल्कोहल और डिनेचर्ड स्प्रिट की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की । 110.41 लाख रुपए एवं 86.71 लाख रुपए के विक्रय टर्नओवर पर क्रमशः 4 प्रतिशत और 28.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था परन्तु ऐसा नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरुप 29.22 लाख रुपए के कर का अनारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1995), विभाग ने कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित कर दिया तथा 29.22 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (मार्च 1995) । व्यापारी ने उप कमिश्नर (अपील) , सहारनपुर, की अदालत में अपील की जहां उस आदेश की पुष्टि की गयी (जून 1995) परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान कर दिया गया है.(जून 1995)। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1994 और मार्च 1996); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

2.4 अतिरिक्त कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत 1 अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है । अग्रेतर , स्वीकृत रुप से देयकर , यदि देय तिथि तक जमा नही किया जाता है , तो कर के जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है । अर्न्तप्रान्तीय बिक्री के मामले में राज्य अधिनियम के अन्तर्गत कर के रुप में जो कुछ भी देय होता है, वही केन्द्रीय बिक्रीकर के रुप में भी देय होगा ।

व्यापार कर मण्डल , आगरा , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1995) कि वर्ष 1992-93 के दौरान एक व्यापारी ने 151.27 लाख रुपए के सरसों के तेल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की। उस बिक्री पर अतिरिक्त कर सहित 2.5 प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया गया है । अतिरिक्त कर न लगाये जाने के परिणामस्वरुप 75635 रुपए का कर कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा की तिथि तक (अक्तूबर 1995) 55,970 रुपए का ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करते हुए 75,635 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (नवम्बर 1995) । व्यापारी ने पुनरीक्षित कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध उपायुक्त (अपील) व्यापार कर की अदालत में एक अपील दायर की जिस पर उपायुक्त द्वारा स्थगन दे दिया गया (जनवरी 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1995); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996)।

2.5 कर की गणना में त्रुटियां

तीन व्यापार कर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान कर की गणना में त्रुटियों को देखा गया, यद्यपि कि मालों का वर्गीकरण तथा उसपर लगाये गये कर की दर सही थी । इसके परिणामस्वरुप 12.20 लाख रुपए के कर तथा 15.18 लाख रुपए के ब्याज का कम आरोपण हुआ । विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण की अवधि	कर योग्य टर्नओवर (लाख रुपए में)	त्रुटि की प्रकृति	कम आरोपित धनराशि (लाख रुपए में)	लेखा परीक्षा की तिथि तक अर्जित ब्याज (लाख रुपए में)
1.	गोरखपुर	1990-91	10.11	1.01 लाख रुपए के स्थान पर 10,108 लिखा गया	0.91	0.98
2.	हापुड	1989-90	64.61	2.84 लाख रुपए के कर के स्थान पर2.24 लाख लिखा गया	0.60	0.73
3.	कानपुर	1988-89	90.00	11.88 लाख रु0 के कर के स्थान पर 1.19 लाख रुपए लिखा गया	10.69	13.47
			योग		12.20	15.18

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 1994 और अप्रैल 1995 के बीच) विभाग ने सभी मामलों में त्रुटियों को संशोधित कर दिया और 12.20 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी। मांग की वसूली एवं ब्याज की मांग के सृजन के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996)।

उपरोक्त मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1994 और मार्च 1996 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996)।

2.6 गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

(अ) उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत

8 व्यापार कर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1992 से अगस्त 1995 के बीच) कि 8 मामलों में गलत दर से करारोपण किया गया था। इसके परिणामस्वरुप 15.63 लाख रुपए का कर तथा 17.52 लाख रुपए के ब्याज का कम आरोपण हुआ। विवरण तालिका में दिया गया है :

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर	आरोपित कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा की तिथि तक अर्जित ब्याज
				(लाख रुपए में)			---(लाख रुपए में)---	
1.	गोरखपुर	1989-90	लैमिनेटेड जूट बैग्स	34.67	8.8	6.6	0.76	0.90
		1990-91	--तदैव--	139.28	10.0	7.5	3.48	4.10
		1991-92	--तदैव--	121.50	10.0	7.5	3.04	2.80
2.	मोदीनगर	1986-87	कोयले की राख	24.25	8.8	4.0	1.15	1.63
3.	लखनऊ	1988-89	---तदैव---	13.54	10.0	4.0	0.65	0.74
4.	मुजफ्फर नगर	1988-89	इण्डक्शन फरनेंस	33.00	13.2	5.5	2.54	3.25
5.	वाराणसी	1989-90	नारियल	24.80	8.8	4.0	1.19	1.36

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर	आरोपित कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा की तिथि तक अर्जित ब्याज
				(लाख रुपए में)			---(लाख रुपए में)---	
6.	सहारनपुर	1992-93 तथा	मच्छर भगाने की अगरबत्ती	38.18	10.0	7.5	0.95	0.61
		1993-94		32.51	10.0	7.5	0.82	0.33
7.	कानपुर	1992-93	मोनोफिलामेन्ट यार्न	6.82	10.0	2.5	0.51	0.35
8.	झांसी	1980-81	ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त पुर्जे	8.14	11.0	4.4	0.54	1.45
	योग						15.63	17.52

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने क्रम संख्या 5 और 8 के मामलों में 2.31 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया जिसमें से 0.54 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है ।

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1993 और अप्रैल 1996 के मध्य) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996) ।

(ब) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर जो प्रपत्र "सी" अथवा "डी" की घोषणा प्रपत्रों से आच्छादित न हो, 10 प्रतिशत की दर से अथवा संबंधित राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लागू दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है । यदि बेचा गया माल घोषित वस्तु है , तो राज्य के अन्दर लागू दर के दो गुने की दर से कर आरोपणीय होता है । स्वीकृत रुप से देय कर , यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया है, तो कर के जमा की

तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

(i) व्यापार कर मण्डल , आगरा की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1994) , कि 1991-92 में एक व्यापारी ने 21.95 लाख रुपए के आल्टरनेटर एवं जेनेरेटर की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की, जिस पर राज्य के अन्दर अतिरिक्त कर सहित 15 प्रतिशत की दर से कर देयता है। इस बिक्री पर 15 प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । कर की गलत दर लगाये जाने से 54,866 रुपए के कर तथा अक्तूबर 1994 तक 40,600 रुपए के ब्याज का कम आरोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1994) , विभाग ने कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित कर दिया (मार्च 1995) , और 54,866 रुपए की नयी मांग सृजित कर दिया । व्यापारी ने पुनरीक्षित आदेश के विरुद्ध एक अपील (उपकमिशनर व्यापार कर) दायर की, और व्यापारी को कर के 90 प्रतिशत जमा करने का स्थगन स्वीकृत किया गया है ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1995 और फरवरी 1996) ; उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अगस्त 1996) ।

(ii) व्यापार कर मण्डल , औरय्या (इटावा) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1993) कि 1988-89 में एक व्यापारी ने घोषणा प्रपत्र "सी" से अनाच्छादित 25.00 लाख रुपए के खाद्यान्न की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की । इस बिक्री पर 8 प्रतिशत की दर के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया । परिणामस्वरुप 1.00 लाख रुपए के कर तथा दिसम्बर 1994 तक 1.50 लाख रुपए के ब्याज का कम आरोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1993) , विभाग ने बताया कि 1.00 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया गया (दिसम्बर 1994) । कर की वसूली तथा ब्याज की मांग के सृजन के संबंध में सूचना प्राप्त नही हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1994 और फरवरी 1996) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996)।

(iii) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 , की धारा 8 (5) , सपठित अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 1990 के अन्तर्गत , 15 सितम्बर , 1990 से, सरसों के तेल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री , यदि घोषणा प्रपत्र "सी" से आच्छादित है तो 1 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा अन्यथा कर की देयता 10 प्रतिशत होगी । स्वीकृत रुप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नही किया गया है तो , कर के जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

व्यापार कर मण्डल , आगरा की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया , (सितम्बर 1995) कि 1990-91 के दौरान , 15 सितम्बर 1990 के पश्चात एक व्यापारी ने 6.99 लाख रुपए के सरसों के तेल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की जो निर्धारित घोषणाओं से आच्छादित नहीं थी । उस बिक्री पर 10 प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया । इसके परिणामस्वरुप 62,873 रुपए के कर का कम आरोपण हुआ । इसके अतिरिक्त 66,645 रुपए का ब्याज (फरवरी 1995 तक आगणित) भी प्रभार्य था ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1995 और जून 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

2.7 आवर्तन पर कर लगने से रह जाना

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 , के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0 एम0 एफ0 एल0) की बिक्री पर 7 सितम्बर , 1981 से 26 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर, 1985 तथा 1 अगस्त , 1990 से क्रमशः 10 और 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । भारत निर्मित विदेशी मदिरा के व्यापारी के मामले में आबकारी शुल्क , लाइसेंस फीस एवं व्यापारिक व्यय आदि टर्नओवर के भाग होते हैं ।

व्यापार कर मण्डल , वाराणसी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1993) कि एक व्यापारी ने 1988-89 से 1990-91 के दौरान 218.34 लाख रुपए के "बीयर" की बिक्री की । इस बिक्री पर 3.30 लाख रुपए के लाइसेंस फीस को छोड़ते हुए करारोपण किया गया । इसके परिणामस्वरुप 94,380 रुपए के कर का कम आरोपण हुआ इसके अतिरिक्त 66,768 रुपए का ब्याज (मार्च 1995 आगणित) भी प्रभारी था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1993) विभाग ने कर निर्धारण आदेश पुनरीक्षित करते हुए 94,380 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (नवम्बर 1993) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1993 और फरवरी 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 1996) ।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत , घोषित वस्तुओं से भिन्न माल निर्धारित घोषणाओं से अनाच्छादित वस्तुओं की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा प्रान्त के अन्दर ऐसी वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लागू कर की दर से - जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है ।

व्यापार कर मण्डल, लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1993) कि 1989-90 में एक व्यापारी ने 68.20 लाख रुपए के वाटर मीटर की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की । केवल 47.70 लाख रुपए के टर्नओवर पर ही कर आरोपित किया गया और 20.50 लाख रुपए के आर्वतन पर कर लगने से रह गया । इसके परिणामस्वरुप 2.05 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त 1.89 लाख रुपए का ब्याज (जुलाई 1993 तक आगणित) भी प्रभार्य था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1993) विभाग ने त्रुटि को संशोधित करते हुए (जुलाई 1993) 2.0 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1994 और अप्रैल 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996) ।

2.8 अनियमित छूट

(i) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम , 1948, के अन्तर्गत , ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर , जो अन्यत्र वर्गीकृत न हो , 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । यदि राज्य के अन्दर खरीदे गये माल का प्रसंस्करण किया जाता है , चाहे कोई नयी वस्तु बने अथवा नही , ऐसी वस्तु की बिक्री पर कर आरोपणीय है ।

व्यापार कर मण्डल , फिरोजाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1994) कि 1989-90 में एक व्यापारी ने 89.49 लाख रुपए के "ग्लास बीड्स" की खरीद कर के उसका प्रसंस्करण किया और 10.57 लाख रुपए मूल्य के माल का अवशेष रख कर उसे 90.65 लाख रुपए में बेच दिया। उस बिक्री पर अतिरिक्त कर सहित 8 .8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था परन्तु उस बिक्री को कर मुक्त मानते हुए, करारोपण नही किया गया । विभाग द्वारा दी गयी इस अनियमित छूट के परिणामस्वरुप 7.98 लाख रुपए की हानि हुयी ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1994) , विभाग ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद , द्वारा दिनांक 24 फरवरी 1995, को धारा 21 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही पर स्थगन प्रदान कर दिया गया है ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1995 तथा नवम्बर 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

(ii) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1982 से एच0 बी0 वायर की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । यदि बिक्री प्रपत्र III - ख से आच्छादित है तो कोई कर आरोपित नही किया जाता है ।

व्यापार कर मण्डल , इलाहाबाद , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1992) कि 1985-86 में एक व्यापारी ने 49.16 लाख रुपए के एच0 बी0 वायर की बिक्री की जिसमें से 25.93 लाख रुपए का बिक्रय टर्नओवर प्रपत्र III - ख से आच्छादित है । चूंकि 23.23 लाख रुपए का टर्नओवर किसी घोषणा प्रपत्र से आच्छादित नहीं था, अतः 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था, जिसे आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरुप 92,939 रुपए का कर आरोपित नही हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1992) , विभाग ने 92,939 रुपए का कर आरोपित कर के उपरोक्त राशि की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (दिसम्बर 1993) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1994) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

2.9 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 ख में प्रावधान है कि मिथ्या अथवा गलत घोषणा प्रपत्रों को जारी करने की स्थिति में जिसके कारण वस्तु की खरीद अथवा बिक्री पर लगने वाला कर आरोपणीय नही रह जाता है तो व्यापारी उस राशि के बराबर राशि का देनदार होगा , जो उसने कच्चे माल आदि की खरीद पर कर में राहत के रुप में बचाया है । इसके अतिरिक्त, ऐसी धनराशि जमा की तिथि तक , 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य होता है ।

(क) व्यापार कर मण्डल , फिरोजाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (अगस्त 1994) कि एक व्यापारी ने , जो कांच के सामान एवं चूडियों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण - पत्र धारक था , 1988-89 और 1989-90 के दौरान 11.76 लाख रुपए के मिट्टी के तेल की खरीद कर की रियायती दर पर की यद्यपि वह ऐसा करने के लिये अधिकृत नही था । कर की रियायती दर हेतु घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग के परिणामस्वरुप कर के रुप में बचायी गयी 51,737 रुपए की राशि, का कम आरोपण हुआ । इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा की तिथि तक (जुलाई 1994) 65,719 रुपए का ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1994 और अप्रैल 1996) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996)।

(ख) व्यापार कर मण्डल , मेरठ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1994) कि एक व्यापारी जो पी0 वी0 सी0 पाइप के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक था, कर की रियायत दर पर पी0वी0सी0 ग्रेन्यूल्स , पी0वी0सी0 कम्पाउन्ड आदि की खरीद के लिए अधिकृत था । 1989-90 से 1991-92 के दौरान उसने कर की रियायती दर पर 14.68 लाख रुपए के इन्डोबिन तथा पी0वी0सी0 रेजिन की खरीद की, यद्यपि वह ऐसा करने के लिये अधिकृत नही था । अतः व्यापारी कर के राहत के रुप में बचायी गयी 68,264 रुपए की राशि के बराबर की राशि के भुगतान का दायी था। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा की तिथि तक (फरवरी 1995) 69,812 रुपए का ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1994) विभाग ने एक आदेश पारित कर के 68,264 रुपए की मांग सृजित की (मार्च 1995) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1995); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1996) ।

2.10 मालों के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण / कम आरोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत समय समय पर शासन द्वारा अधिसूचित दर की अनुसूची (शेड्यूल्स आफ रेट) के अनुसार करारोपण किया जाता है । ऐसे मामले में जहां माल वर्गीकृत नहीं है, वहा 7 सितम्बर, 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होता है । इसके अतिरिक्त , 1 नवम्बर , 1985 और 1 अगस्त, 1990 से क्रमशः कर के 10 एवं 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय होता है ।

व्यापार कर के चार मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर की सही दर नही लगायी गयी जिसके परिणामस्वरुप कर का कम आरोपण हुआ । विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:-

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर	आरोपित कर की दर	कम आरोपित कर	लेखा परीक्षा की तिथि तक आरोपणीय ब्याज की राशि
				(लाख रुपए में)	(प्रतिशत)		(लाख रुपए में)	
1.	वाराणसी	1989-90 और 1990-91	नायलान मोनो फिलामेन्ट यार्न	14.82	8.8 तथा 10	2.2 तथा 2.5	1.05	1.23
2.	लखनऊ	1992-93	मच्छर भगाने की अगरबत्ती	66.72	10	7.5	1.67	1.24
3.	बड़ौत (मेरठ)	1993-94	एच0डी0पी0ई0 बैग्स	82.27	10	2.5	6.17	2.47
4.	कानपुर	1990-91 1991-92	रबर युक्त निवाड़	15.70	4.4 तथा 5	-	0.77	0.61
	योग			179.51			9.66	5.55

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 1995 और अप्रैल 1996 के बीच) विभाग ने क्रमशः 1 एवं 4 के मामलों में कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित कर दिया तथा 1.82 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया ।

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1995 और अप्रैल 1996 के बीच); उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अगस्त 1996)।

2.11 अर्थदण्ड का अनारोपण

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत

(I) कच्चे माल के दुरुपयोग हेतु

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948, सपठित शासकीय अधिसूचनाये दिनांक 31 दिसम्बर , 1976 तथा 29 अगस्त, 1987 में निहित कुछ शर्तों को पूरा करने पर , कतिपय विज्ञापित मालों के निर्माण में वांछित कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । यदि कच्चे माल का प्रयोग, मान्यता प्रमाण पत्र में वर्णित वस्तुओं के निर्माण में न करके , किसी अन्य वस्तु के निर्माण में किया जाता है, अथवा उसका निस्तारण किसी अन्य प्रकार से किया जाता है तो , व्यापारी अर्थदण्ड के रुप में, ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा , जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की राशि से कम न होगी परन्तु उस राशि के तीन गुने से अधिक न होगी । कमिश्नर, व्यापार कर उत्तर प्रदेश के दिनांक 17 मई, 1983 के परिपत्र के अनुसार , अर्थदण्ड के आरोपण के समय ब्याज के तत्व भी विचारणीय है ।

(i) व्यापार कर मण्डल , कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1992) कि एक व्यापारी ने , जो पी0वी0सी0 पाइप तथा शीट्स के निर्माण का मान्यता प्रमाण पत्र धारक था, वर्ष 1987-88 में 7.85 लाख रुपए के पी0वी0सी0 रेजिन की खरीद कर की रियायती दर पर की और उसका प्रयोग पी0वी0सी0 कम्पाउन्ड बनाने में किया तथा उस पी0वी0सी0 कम्पाउण्ड को बेच दिया जिसके लिए वह अधिकृत नही था । अतः व्यापारी 1.04 लाख रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1992) , विभाग ने 1.04 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (सितम्बर 1994) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1992) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1996) ।

(ii) व्यापार कर मण्डल , फतेहपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1994) कि एक व्यापारी ने, जो चावल के निर्माण का मान्यता प्रमाण पत्र धारक था, 1989-90 में 19.45 लाख रुपए के धान की खरीद करमुक्त की और उसमें से प्रपत्र III ख के विरुद्ध 14.86 लाख रुपए के धान की बिक्री दूसरे चावल निर्माता को कर दी । क्योंकि व्यापारी ने उक्त वस्तु का निस्तारण अन्यथा कर दिया अतः वह न्यूनतम 59,433 रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था , जिसे आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 77,262 रुपए का ब्याज (मई 1994 तक आगणित) भी प्रभार्य था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने 59,433 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (मार्च 1995) । वसूली एवं ब्याज की मांग के सृजन की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 1995) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

(iii) व्यापार कर मण्डल , कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1996) कि 1989-90 और 1991-92 के बीच एक व्यापारी ने जो "रबर शीट्स" के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक था, 18.60 लाख रुपए का कच्चा माल कर मुक्त खरीदा और उसका प्रयोग "माइक्रो सेल्यूलर शीट" के निर्माण में किया । अतः व्यापारी 2.71 लाख रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जिसे आरोपित नही किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1996) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

(II) माल के अनियमित निर्यात हेतु

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम , 1948, सपठित शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 1987 में निहित कुछ शर्तो को पूरा करने पर कतिपय विज्ञापित मालों के निर्माण में वांछित कच्चे मालों की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । ऐसे निर्मित माल का राज्य मे अथवा अर्न्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के बाहर निर्यात के रुप में बेचा जाना अपेक्षित है । इन शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लघंन की दशा में व्यापारी अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा जो ऐसे माल की खरीद अथवा बिक्री पर देय कर की धनराशि से कम न होगी परन्तु कर के दो गुने की राशि से अधिक न होगी । अर्थदण्ड में से उस राशि को घटा दिया जायेगा जो ऐसे माल की खरीद पर पूर्व में ही कर के रुप में अदा कर दी गयी है ।

व्यापार कर मण्डल , गाजियाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1995) कि वर्ष 1992-93 में एक व्यापारी ने जो "थिनर" के निमांण हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक था , ने 9.13 लाख रुपए के कर मुक्त मेथनाल की खरीद कर के 88.78 लाख रुपए के थिनर का निर्माण किया । इसमें से 23.68 लाख रुपए के थिनर को प्रान्त के बाहर "कन्साइन्मेन्ट" के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया गया जिसके निर्माण में 2.46 लाख रुपए के मेथनाल का प्रयोग हुआ था । क्योंकि व्यापारी थिनर को कन्साइन्मेन्ट करने के लिए अधिकृत नही था अतः वह न्यूनतम 79,821 रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996)।

(III) टर्नओवर को छिपाने हेतु

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यदि किसी कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि व्यापारी ने देय कर की धनराशि को कम करने के उद्देश्य से खरीद अथवा बिक्री के टर्नओवर को छिपाया है, तो वह अर्थदण्ड के रुप में, यदि छिपाये गये आवर्तन का पता न चलता, ऐसी राशि को आरोपित कर सकता है जो उसके द्वारा बचाये गये कर के न्यूनतम 50 प्रतिशत किन्तु 150 प्रतिशत से अधिक न होगी।

व्यापार कर मण्डल, कासगंज (एटा), की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1993) कि विभाग द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र की गयी सूचना के आधार पर वर्ष 1989-90 में एक व्यापारी के खादयान्न का टर्नओवर 44.50 लाख रुपए निर्धारित किया गया और उस पर 3.73 लाख रुपए का कर आरोपित किया गया। इस मामले में व्यापारी न्यूनतम 1.86 लाख रुपए के अर्थदण्ड का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1993), विभाग ने जांच किया तथा और भी छिपाये गये आवर्तन का पता लगाया जिस पर 5.25 लाख रुपए का कर आरोपित किया गया। अतः व्यापारी न्यूनतम 2.62 लाख रुपए के अर्थदण्ड का दायी था। विभाग ने 2.64 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (मार्च 1994)। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1994 और अप्रैल 1996); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996)।

(iv) माल के अनधिकृत आयात हेतु

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य के बाहर से माल के आयात करने का इच्छुक कोई पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से, सड़क, रेल, नदी, वायुयान या डाक से माल लाने पर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रपत्र XXXI में घोषणा प्रस्तुत करेगा। आयातकर्ता माल को तब तक नहीं छुड़ायेगा जब तक की वह कर निर्धारण अधिकारी को अपने द्वारा विधिवत भरी गयी एवं हस्ताक्षरित घोषणा दो प्रतियों में पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर देता। इन प्रावधानों के उल्लघंन की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी यह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी अथवा व्यक्ति अर्थदण्ड के रुप में, आयातित माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक की राशि का भुगतान करेगा।

व्यापार कर मण्डल, गोरखपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया

(मार्च 1993) कि 1987-88 में एक व्यापारी ने राज्य के बाहर से 1.75 लाख रुपए मूल्य के "गनी बैग्स" का आयात, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष बिना प्रपत्र XXXI प्रस्तुत किये ही रेल द्वारा किया। अतः व्यापारी 69,816 रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 1993), विभाग ने 80,000 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (दिसम्बर 1993)। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 1995 और मई 1996); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996)।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत

(क) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि किसी पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन प्रमाण पत्र में किसी माल को पुनर्विक्रयार्थ, निर्माण में प्रयोग हेतु, माल का प्रसंस्करण कर के विक्रय हेतु निर्दिष्ट किया गया है को वह दूसरे राज्य के व्यापारी से निर्धारित प्रपत्र "सी" में घोषणा कर के कर की रियायती दर पर माल खरीद सकता है। ऐसी माल की खरीद हेतु, जिनका उल्लेख पंजीयन प्रमाण पत्र में नही है, प्रपत्र "सी" का जारी किया जाना एक अपराध है जिसके लिए व्यापारी को दण्डित किये जाने का प्रावधान है। दण्ड के स्थान पर पंजीयन प्रदान करने वाला अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है जो आरोपणीय कर की राशि के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी।

व्यापार कर के 13 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 16 मामलों में व्यापारियों ने 616.03 लाख रुपए के ऐसे सामानों की खरीद प्रपत्र "सी" की घोषणाओं के विरुद्ध की जो उनके पंजीयन प्रमाण पत्रों से आच्छादित नही थी। अतः वे 98.28 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जिसे आरोपित नहीं किया गया। विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :-

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	खरीदा गया माल	माल का मूल्य (लाख रुपए मे)	आरोपणीय अर्धदण्ड की राशि
1.	बरेली	1990-91	सल्फर	4.70	0.61
2(i)	लखनऊ	1988-89	रसायन एवं मशीनरी	6.00	0.90
(ii)	लखनऊ	1987-88 तथा 1988-89	मच्छर भगाने की अगरबत्ती	16.82	2.52
(iii)	लखनऊ	1991-92	एम0सी0आई0 इन्सर्टस	26.58	3.99
3.	बिजनौर	1988-89 तथा 1989-90	स्क्रीन , निकिल स्क्रीन एवं तौलने की मशीन	4.49	0.67
4.	मेरठ	1989-90	आयरन एण्ड स्टील, लोहे की ट्यूब आदि	4.36	0.62
5.	देवरिया	1987-88	पीतल की ट्यूब	6.79	1.02
6.	इटावा	1990-91	रसायन, जनरेटर सेट, लैमिनेटेड शीट और औजार	7.60	1.24
7(i)	अलीगढ़	1988-89	अग्निशमन यन्त्र, बाल्टियां, आइसोलेटर्स जीप और कार के पुर्जे	3.64	0.55
(ii)	अलीगढ़	1987-88	इलेक्ट्रोड्स , स्टील बाल, यमाहा 350, स्टील वायर रोप, रबर शीट आदि	65.48	9.82
8.	मथुरा	1986-87 तथा 1987-88	टूटे हुये कैन, सोड़ा ऐश, एम0एस0 शीट और स्टोन पाउडर	4.01	0.60

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	खरीदा गया माल	माल का मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
				(लाख	रुपए मे)
9.	गाजियाबाद	1990-91 तथा 1991-92	मेथनॉल	17.71	8.63
10.	फतेहगढ़	1987-88 तथा 1988-89	मशीनरी पार्ट, स्टोर मेटीरियल और स्पेयर पार्टस	215.19	32.20
11.	फर्रुखाबाद	1989-90	स्टोर स्पेयर्स और स्टोर मेटेरियल	15.58	2.34
12.	पलिया कलां (खीरी)	1986-87	थिनर, रबर शीट एगजाहास्ट फैन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स् आदि	14.51	2.18
13.	आगरा	1981-82 से 1983-84 तक	आर0सी0सी0 पाइप, एल0पी0जी0 सिलिंडर, अग्निशमन यंत्र आदि	202.57	30.39
		योग		616.03	98.28

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1988 से दिसम्बर 1994 के मध्य) विभाग ने बताया की क्रम संख्या 2 (i), 2 (ii), 9, 10 और 14 के मामलों को छोड़ कर 51.66 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है । क्रम संख्या 1 के मामले में व्यापार कर न्यायाधिकरण , बरेली द्वारा स्थगन प्रदान कर दिया गया है (अक्तूबर 1994) ।

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 1992 से मार्च 1996 के बीच) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 , के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीदता है और उसका प्रयोग पंजीयन में दिये गये प्रयोजन से भिन्न करता है, तो कर निर्धारण अधिकारी उस माल पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है ।

(i) व्यापार कर मण्डल, लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1994) कि 1988-89 में एक व्यापारी ने प्रपत्र "सी" के बलपर 4.85 लाख रुपए के सीमेंट का आयात किया और उसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु किया । व्यापारी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है । क्योकि व्यापारी केवल इसकी पुर्नबिक्री हेतु ही इसे खरीदने के लिये अधिकृत था, अतः वह 80,025 रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था , जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

(ii) व्यापार कर मण्डल , भरथना (इटावा) में यह देखा गया (जुलाई 1994) कि एक व्यापारी ने 1989-90 के दौरान घोषणा प्रपत्र "सी" से आच्छादित 3.19 लाख रुपए की इमारती लकड़ी का आयात किया । यद्यपि वह इसकी पुर्नबिक्री हेतु ही आयात करने के लिए अधिकृत था, परन्तु उसने उसका प्रयोग इमारती लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को बनाने में किया । अतः व्यापारी 63,130 रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1994), कर निर्धारण अधिकारी ने 63,130 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (जुलाई 1995) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1995); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्तर 1996) ।

(iii) व्यापार कर मण्डल इटावा , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1993) कि 1988-89 और 1989-90 के दौरान तीन व्यापारियों ने पुर्नविक्रयार्थ 15.77 लाख रुपए की इमारती लकड़ी की खरीद कर की रियायती दर पर की और उसका प्रयोग इमारती लकड़ी से निर्मित होने वाली वस्तुओं में किया। अतएव व्यापारी 3.13 लाख रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1993) विभाग ने 3.13 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (जून 1995) ।

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1994 और अप्रैल 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

अध्याय-3

राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 245.06 लाख रुपये की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 151 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1. अतिशय मार्गस्थ / भंडारण छीजन	11	14.26
2. निर्यात पास फीस का कम आरोपण	9	27.11
3. ब्याज का अनारोपण	23	56.55
4. प्रशमन शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण	27	72.65
5. देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम.जी.क्यू.) का अयुक्त निर्धारण	5	1.36
6. न्यूनतम निर्धारित उत्पादन का बरकरार न रखना	11	5.87
7. अनुज्ञापन शुल्क का वसूल न किया जाना	11	36.89
8. अन्य अनियमितताएँ	54	30.37
	151	**245.06**

वर्ष 1995-96 में संबंधित विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों की लेखा परीक्षा में इंगित 15.23 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि के 131 मामले स्वीकार किये । उदाहरण के लिए कुछ मामले जिसमें 54.36 लाख रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए गये हैं:

3.2 निर्यात शुल्क/निर्यात पास फीस की गलत दर लगाए जाने से राजस्व-हानि

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, आबकारी शुल्क आरोपित किये जाने के उददेश्य से मदिरा को देशी अथवा विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है । स्पिरिट जिसकी तीव्रता 60 अंश ओवरप्रूफ (आयतन दर आयतन 91.27 प्रतिशत से कम अल्कोहल) से कम की है, सादी स्पिरिट तथा 60 अंश ओवरप्रूफ एवं इससे अधिक तीव्रता वाली परिशोधित स्पिरिट (विदेशी मदिरा) के नाम से जानी जाती है । 60 अंश ओवरप्रूफ से कम तीव्रता वाली सादी स्पिरिट चाहे वह शीरा,अंगूर अथवा माल्ट के आसवन से प्राप्त की गई हो, आबकारी शुल्क के लिए देशी मदिरा की श्रेणी में आती है । देशी मदिरा (ताड़ी एवं किण्वीय अल्कोहल को छोड़कर) एवं विदेशी मदिरा के निर्यात पर निर्धारित शुल्क की दरें 30 मार्च 1994 तक क्रमशः 7 रु० एवं 4 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर तथा 31 मार्च 1994 से 8 रुपये एवं 7 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर थीं ।

दो आसवनियों मोहन नगर (गाजियाबाद) एवं रामपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1995 एवं जून 1995) कि इन आसवनियों ने दिसम्बर 1993 एवं जनवरी 1995 के मध्य 5.17 लाख अल्कोहलिक लीटर, 60 अंश ओवरप्रूफ से कम तीव्रता (56.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन से 87.9 प्रतिशत आयतन दर आयतन तक) की सादी स्पिरिट जो देशी मदिरा की श्रेणी में वर्गीकृत है, उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात किया । उक्त स्पिरिट के निर्यात पर 7 रुपये एवं 8 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के सही दर के स्थान पर क्रमशः 30 मार्च 1994 तक 4 रुपये तथा उसके बाद 7 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से शुल्क वसूल किया गया । इसके फलस्वरुप 9 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1995 एवं नवम्बर 1995 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

(ख) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कोई अनुज्ञापी, विकृत स्पिरिट/विशेष विकृत स्पिरिट, सुरासव या औद्योगिक प्रयोजन हेतु परिशोधित स्पिरिट तथा पेय प्रयोजन हेतु परिशोधित स्पिरिट, निर्धारित दर पर निर्यात पास फीस जमा करने के बाद ही निर्यात करेगा । शासन की अधिसूचना दिनाँक 24 मार्च, 1994 से निर्यात पास फीस की दरें 0.75 रुपया, 2.50 रुपये तथा 5 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 2 रुपये, 4 रुपये तथा 6 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दी गई ।

दो आसवनियों हरगाँव (सीतापुर) तथा सिम्भौली (गाजियाबाद) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1995 तथा नवम्बर 1995) कि इन आसवनियों ने 24 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1994 की अवधि में 2.90 लाख बल्क लीटर विकृत स्पिरिट (डी०एस०) तथा विशेष विकृत स्पिरिट

(एस0डी0एस0), 46000 बल्क लीटर परिशोधित स्पिरिट (औद्योगिक) तथा 12680 बल्क लीटर परिशोधित स्पिरिट (पेय) का निर्यात उत्तर प्रदेश के बाहर किया । उपरोक्त स्पिरिट के निर्यात पर, 2 रुपये, 4 रुपये तथा 6 रुपये प्रति बल्क लीटर की सही दर के विरुद्ध क्रमशः 0.75 रुपया, 2.50 रुपये तथा 5.00 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से शुल्क की वसूली की गई । इसके फलस्वरुप 4.69 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई ।

मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किए गये थे (अगस्त 1995 तथा मई 1996 के मध्य), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

3.3 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

29 मार्च, 1985 से यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश, आबकारी अधिनियम, 1910, के प्रावधानों के अंतर्गत, जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है । उस आबकारी राजस्व के संबन्ध में, जो अधिनियम में संशोधन की तिथि के पूर्व देय था, किन्तु संशोधन की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया गया, 29 मार्च 1985 से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित था ।

9 जिला आबकारी कार्यालयों तथा एक आसवनी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1995 तथा दिसम्बर 1995 के मध्य) कि 17.89 लाख रुपये का आबकारी राजस्व 29 मार्च, 1985 से गणना करने पर अपनी देय तिथि से 13 से 125 माह के विलम्ब से अदा किया गया । इस प्रकार आबकारी राजस्व के इन विलम्बित भुगतानों पर 11.61 लाख रुपये का ब्याज आरोपणीय था जिसे निम्न विवरण के अनुसार आरोपित तथा वसूल नहीं किया गया था :

क्रम सं0	जिला आबकारी कार्यालय/ आसवनी का नाम	देय आबकारी राजस्व (लाख रुपये में)	विलम्ब की अवधि (माह मे)	आरोपित/वसूल न की गई व्याज की धनराशि (लाख रुपये में)
1.	इलाहाबाद	2.86	23 से 31	1.12
2.	सुल्तानपुर	4.50	21	1.44
3.	मुजफ्फरनगर	0.40	118	0.71
4.	आजमगढ़	0.48	120	0.86

क्रम सं0	जिला आबकारी कार्यालय/ आसवनी का नाम	देय आबकारी राजस्व (लाख रुपये में)	विलम्ब की अवधि (माह मे)	आरोपित/वसूल न की गई व्याज की धनराशि (लाख रुपये में)
5.	देहरादून	0.43	115	0.75
6.	मिर्जापुर	6.82	81	1.21
7.	कायमगंज आसवनी (फर्रुखाबाद)	4.95	36	2.74
8.(क)	प्रतापगढ़	0.73	119	1.31
(ख)	प्रतापगढ़ (i)	0.03	122	0.06
	(ii)	0.42	19 से 32	0.14
	(iii)	1.58	13	0.31
9.	लखनऊ (i)	0.15	124	0.28
	(ii)	0.36	125	0.68
	योग	**23.71**		**11.61**

नोट क्रम संख्या 6 के संबंध में, 6.82 लाख रुपये की देय धनराशि के विरुद्ध केवल 1 लाख रुपया अदा किया गया था ।

मामले विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए गये थे (अगस्त 1995 तथा मई 1996 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

3.4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण अभिकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत सपठित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बोतल भराई नियम , 1969, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिन की विक्रय हेतु निर्धारित तीव्रता, स्पिरिट की वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित की गई हो । इस प्रकार इंगित तीव्रता का उल्लेख ढक्कनदार एवं मुहरबन्द बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबिलों पर होना चाहिए । व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम की न्यूनतम तीव्रता 25 अंश अन्डरप्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) है । ढक्कनदार एवं मुहरबन्द बोतलों में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा में विद्यमान प्रति लीटर अल्कोहल पर 1993 से प्रभार्य अभिकर 45.00

रुपये हैं ।

रामपुर की एक आसवनी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1995) कि दिसम्बर 1993 से मार्च 1995 की अवधि में 50.05 लाख बल्क लीटर आई0एम0एफ0एल0 का उत्पादन तथा निर्गम किया गया । बोतलों पर चिपकाए गये लेबिलों पर व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम में विद्यमान अल्कोहल 25 अंश अन्डर प्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) प्रदर्शित किया गया तथा आबकारी अभिकर उसी आधार पर आरोपित किया गया यद्यपि रंजक तथा वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्पिरिट की हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक दृष्टिगत तीव्रता 43 प्रतिशत आयतन दर आयतन (आसवनी के अभिलेखों के अनुसार) थी जो निर्धारित तीव्रता से 0.2 प्रतिशत आयतन दर आयतन अधिक थी । वास्तविक विक्रय तीव्रता के अनुसार विद्यमान अल्कोहल 21.52 लाख ए0एल0 आता है, जब कि लेबिलों पर प्रदर्शित तीव्रता के अनुसार 21.42 लाख ए0एल0 था । फलतः अन्तरीय ए0एल0 0.10 लाख पर 4.50 लाख रुपये के अभिकर का कम आरोपण हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996) ।

3.5 अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों तथा उसके अधीन अप्रैल 1991 से यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत, यदि अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) से अधिक मादक पदार्थ का उठान एवं बिक्री करना चाहता है तो मादक पदार्थ की ऐसी अतिरिक्त मात्रा के विक्रय अधिकारों की स्वीकृति के लिए, अतिरिक्त प्रतिफल के रुप में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दर पर , उसके द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित अतिरिक्त धनराशि की दर 11 रुपये प्रति बल्क लीटर थी ।

जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फर नगर, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1995) कि एक अनुज्ञापी ने, मई 1993 से अगस्त 1993 की अवधि में, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से 1.82 लाख बल्क लीटर अधिक देशी मदिरा का उठान तथा विक्रय किया । अतः अनुज्ञापी देशी मदिरा की अधिक उठान तथा विक्रय के लिए 20 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि का दायी था, जिसके विरुद्ध 1.82 लाख रुपये वसूल किया गया । इसके फलस्वरुप अतिरिक्त अभिकर की धनराशि 18.18 लाख रुपये की कम वसूली हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996) ।

3.6 छीजन की अनियमित छूट से आबकारी अभिकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910, तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत लकड़ी के पीपों,धातु पात्रों या टैंकरों में बंध के अंतर्गत राज्य के अन्दर परिवहित मानव उपभोग के योग्य देशी मदिरा की वास्तविक मार्गस्थ छीजन (रिसाव,वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से) पर 0.5 प्रतिशत तक की छूट अनुमन्य है । पाउचों या बंद बोतलों में परिवहित मदिरा पर कोई मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नहीं है ।

दो आसवनियों नन्दगंज (गाजीपुर) तथा मोदी नगर (गाजियाबाद), की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1995 तथा नवम्बर 1995) कि 13.45 लाख अल्कोहलिक लीटर मसालेदार/सादी देशी स्पिरिट, बंद बोतलों तथा पाउचों में बंध-पत्र के अधीन विभिन्न बंधित गोदामों को, अप्रैल 1991 से अक्तूबर 1995 की अवधि में, परिवहित की गई । इन मामलों में 16398 लीटर मार्गस्थ छीजन की छूट दी गयी जो अनियमित थी तथा इसके फलस्वरुप 5.38 लाख रुपये आबकारी अभिकर कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 1995 तथा मई 1996 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

3.7 अनुज्ञापन शुल्क की कम वसूली

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910, तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर सहित) के निर्माताओं को, अपने उत्पाद को थोक विक्रेताओं को विक्रय हेतु प्रपत्र एफ0एल0-I में, अनुज्ञापन प्राप्त करना अपेक्षित है । एक लाख रुपया प्रतिवर्ष के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, जिसे अप्रैल 1995 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया था, जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है ।

जिला आबकारी कार्यालय, लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1995) कि वर्ष 1995-96 के लिए प्रपत्र एफ0एल0-I में भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर सहित) के थोक विक्रय के लिए दो अनुज्ञापन लखनऊ की एक आसवनी तथा एक यवासवनी को 1.50 लाख रुपये प्रत्येक के स्थान पर एक लाख रुपये के भुगतान पर स्वीकृत किए गये । इसके फलस्वरुप एक लाख रुपये के अनुज्ञापन शुल्क की कम वसूली हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ

अध्याय - 4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय-4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 1995-96 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 162 मामले में 628.96 लाख रुपये की धनराशि के करों/ शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना उदघाटित हुआ, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1. यात्री-कर/अतिरिक्त यात्री कर का कम लगाया जाना या न लगाया जाना	70	567.48
2. मार्ग कर का अवनिर्धारण	30	7.73
3. माल-कर का कम लगाया जाना	12	12.43
4. अन्य अनियमिततायें	50	41.32
योग	162	628.96

वर्ष 1995-96 के दौरान विभाग ने 246 मामले में निहित 71.96 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया, जो पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा में इंगित किए गए थे । 12.54 लाख रुपये से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों को उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है :

4.2 अनुबन्धित वाहनों पर यात्री कर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962, के अंतर्गत, राज्य में प्रक्रम वाहनों (अनुबन्धित वाहनों सहित) द्वारा यात्रा करने पर यात्री द्वारा वाहन स्वामियों को देय किराये पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर से यात्री कर देय है । वाहन स्वामी द्वारा कर का संग्रह तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है । अग्रेतर, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) नियमावली, 1962, के अन्तर्गत, अनुबन्धित वाहनों (मोटर कैब को छोड़कर) के संबंध में एकमुश्त अनुबंध के अंतर्गत यात्री कर का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ देय किराया तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है । आगे यह भी प्रावधान है कि यात्री कर के आरोपण में संज्ञान में लिया गया किराया, मोटर यान अधिनियम

1988 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम दर के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4000 किलोमीटर से कम नहीं होगी ।

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1995) कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दो अनुबंधित वाहनों के परमिट 5 वर्षो के लिए स्वीकृत किए गये थे । अनुबन्धित वाहनों के संचालक उप संभागीय कार्यालय में अपने वाहनों के उत्तर प्रदेश में संचालन हेतु मार्गकर का भुगतान कर रहे थे, परन्तु उनके द्वारा यात्री कर का भुगतान नहीं किया जा रहा था । यात्री कर का निर्धारण न किए जाने के फलस्वरुप आरोपणीय अर्थदण्ड के अतिरिक्त, जुलाई 1993 एवं जून 1995 के मध्य की अवधि के लिए एक मुश्त अनुबंध के आधार पर गणना किए जाने पर 2.53 लाख रुपये राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जूलाई 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

4.3 निर्धारित न्यूनतम किराया न अपनाये जाने से यात्री कर की कम वसूली

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962, तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्री कर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किए गए अथवा अदा किए जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो । राज्य सरकार की 10 जून 1992 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण / संभागीय परिवहन अधिकारी को विशेष तथा "क" श्रेणी मार्गो, "ख" श्रेणी मार्गो तथा "ग" श्रेणी मार्गो पर चलने वाले प्रकम वाहनों के लिए किराये की न्यूनतम दर क्रमशः 14.90, 16.30 तथा 19.00 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित करने का निर्देश दिया । पुनः 8 जून, 1994 की अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने न्यूनतम किराये की दर को क्रमशः 17.1, 18.8 तथा 21.9 पैसे बढ़ा दिया । मेला तथा अन्य विशेष अवसरों पर विशेष रुप से चलाए जाने वाले प्रकम वाहनों के लिए किराये की न्यूनतम दर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 22.90 पैसे निर्धारित किया गया ।

(क) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जौनपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1995) कि तीन मार्गो नेवढिया- मड़ियाहूं, जौनपुर - मेहनाजपुर तथा जौनपुर-नोनारी से संबंधित पुनरीक्षित किराये की न्यूनतम दरें नहीं लगाई गई तथा यात्री कर पूर्व-पुनरीक्षित दरों पर या सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर वसूल किया जाता रहा । इसके फलस्वरुप जून 1992 एवं मार्च 1995 की अवधि के मध्य 71,996 रुपये राजस्व की कम वसूली हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 1995) विभाग ने 14373 रुपये की धनराशि की वसूली किया तथा अवशेष धनराशि के लिए माँग सृजित कर दिया (मई 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अक्तूबर 1995); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

(ख) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई/अगस्त 1995) कि बस्ती- विशनाथपुर तथा बस्ती-महुलीनाथ नगर ("ए" श्रेणी मार्गो) से संबंधित किराये की न्यूनतम दरें लागू नहीं की गई तथा यात्री कर पूर्व- पुनरीक्षित दरों पर वसूल किया गया । इसके फलस्वरुप जून 1994 एवं जून 1995 की अवधि के मध्य 79,729 रुपये यात्री कर की कम वसूली हुई ।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1995 तथा पुनः मई 1996 में); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

(ग) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1995) कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने 7 प्रक्रम वाहनों (हमीरपुर महोत्सव के विशेष अवसर के लिए) को 7 परमिट, 6 जुलाई 1994 से 24 अगस्त 1994 अवधि के मध्य 3 से 41 दिनों की वैधता के साथ निर्गत किए गए । यात्रियों को विभिन्न स्थानों से हमीरपुर लाने तथा वापसी के लिए , परमिट इस शर्त के साथ जारी किए गऐ थे कि प्रक्रम वाहन एक वापसी फेरा प्रतिदिन करेंगे । इन वाहनों से निर्धारित न्यूनतम किराये के आधार पर यात्री कर की वसूली नहीं की गई । इसके फलस्वरुप 6 जुलाई , 1994 से 24 अगस्त , 1994 की अवधि के दौरान 81,406 रुपये यात्री कर की कम वसूली हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 1995) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर ने बताया (अप्रैल 1996) कि माँग के लिए नोटिस जारी कर दी गई है ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1995 तथा जनवरी 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

4.4 पंजीयन चिन्ह आवंटित न करने से राजस्व -हानि

मोटर यान अधिनियम , 1988 के अंतर्गत, जब एक राज्य में पंजीकृत कोई मोटर यान, किसी अन्य राज्य में 12 माह से अधिक की अवधि के लिए रखा जाता है तब यान के स्वामी से अपेक्षित है कि वह नवीन पंजीयन चिन्ह के आवंटन के लिए पंजीयन अधिकारी, जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन है, को निर्धारित प्रारुप में प्रार्थना पत्र दें ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर (देहात) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1995) कि सितम्बर 1988 तथा नवम्बर 1994 के मध्य अन्य राज्यों में पंजीकृत 256 वाहन (173 भारी वाहन तथा 83 हल्के वाहन)" अनापत्ति प्रमाण पत्र" लेकर उत्तर प्रदेश में आए

और उनका पंजीकरण सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर (देहात) में किया गया । ऐसे वाहनों से मार्ग कर नियमित रुप से निर्धारित करके वसूला जा रहा था किन्तु न तो उन वाहनों को उत्तर प्रदेश का पंजीयन चिन्ह आवंटित किया गया और न ही इन वाहनों के किसी स्वामी द्वारा इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया यद्यपि ये वाहन राज्य में 12 माह से अधिक समय से चल रहे थे । इसके फलस्वरुप 60,200 रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई । (भारी वाहनों के मामले में 300 रुपये प्रति वाहन तथा हल्के वाहनों के मामलों में 100 रुपये प्रति वाहन निर्धारित आबंटन शुल्क के आधार पर आगणित)

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1995 तथा पुनः मई 1996 में) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

4.5 यात्री कर का न वसूल / कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, किसी प्रक्रम वाहन का किसी मार्ग पर एक मुश्त अनुबंध के अंतर्गत देय यात्री कर, अन्य बातों के साथ साथ संपूर्ण मार्ग पर देय कुल किराया, प्रक्रम वाहन द्वारा लगाये जाने वाले स्वीकृत या प्रत्याशित एकल फेरों की संख्या तथा भार कारक के आधार पर आगणित किया जाता है । मार्ग, फेरों की संख्या, बैठने या खड़े होने की क्षमता या किराया में कोई परिवर्तन होने पर एक मुश्त अनुबंध, ऐसे परिवर्तन की तिथि से, रद्द हो जाता है तथा इसके पश्चात अनुबंध की असमाप्त अवधि के लिए नया अनुबंध किया जाना अपेक्षित है ।

(क) संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1995) कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा ने सितम्बर 1994 के एक प्रस्ताव द्वारा खैरागढ़-जाजम पट्टी वाया कागारोल-किरावली-रुनकता-अछनेरा-ओएब मार्ग का विस्तार कागारोल से फतेहपुर सीकरी तक कर दिया । इस आशय का पृष्ठांकन परमिटों पर अक्तूबर, 1994 में किया गया । परन्तु 21 अक्तूबर, 1994 से 20 जून, 1995 की अवधि के दौरान 29 प्रक्रम वाहनों से बढ़े हुए मार्ग पर बढ़ी दर से देय कर की वसूली करने में विभाग विफल रहा । इसके फलस्वरुप 71,662 रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1995 तथा पुनः मई 1996 में) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

(ख) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, फर्रुखाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1995) कि मोहम्मदाबाद-अलीगंज वाया नवाबगंज-अचरा मार्ग के संचालकों ने नियत प्राधिकारी को 12 फरवरी, 1992 को सूचित किया कि हतियापुर- अलीगंज, मोहम्मदाबाद- अचरा तथा हतियापुर-अचरा के लिए किराया क्रमशः 6.50 रुपये , 4.00 रुपये तथा 4.00 रुपये प्रभारित किया जा रहा था जब कि विभाग द्वारा 12 फरवरी, 1992 से 31 मार्च, 1995 की अवधि के दौरान मार्गो पर संचालित 8 वाहनों

से संबंधित यात्री कर का निर्धारण तथा वसूली निम्नतर दर पर की गई । इसके फलस्वरुप 2.44 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अक्तूबर 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

4.6 स्वीकृत फेरों को न अपनाए जाने से यात्री कर का अनारोपण/कम आरोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988, की धारा 72 (2) के अनुसार, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, परमिट के साथ किसी मार्ग के संबंध में प्रतिदिन लगाए जाने वाले न्यूनतम तथा अधिकतम फेरों की संख्या की शर्त जोड़ सकता है । परमिट की किसी शर्त के विचलन के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962, तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत किसी विशिष्ट मार्ग पर किसी प्रक्रम वाहन के संबंध में एकमुश्त अनुबंध के अंतर्गत देय यात्री कर, अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट अवधि के दौरान एकल फेरों की संख्या तथा संपूर्ण मार्ग पर देय किराये पर निर्भर करता है ।

(क) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1995) कि संभागीय परिवहन प्राधिकारी, फैजाबाद ने बेलसर-टिकैत नगर मार्ग पर वाहनों द्वारा बारी-बारी से 8 एकल फेरे प्रतिदिन लगाये जाने का अनुमोदन किया था (अगस्त 1992)। कर अधिकारी ने तद्नुसार 7 जून, 1994 तक यात्री कर का निर्धारण तथा वसूली किया परन्तु 8 जून, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के लिए कर अधिकारी द्वारा 4 एकल फेरों के आधार पर संभागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना एकमुश्त अनुबंधो को अंतिम रुप दिया गया । अग्रेतर, ऐसे अनुबंधों को 1 जनवरी, 1995 से 7 जुलाई, 1995 तक की अवधि के लिए निष्पादित भी नहीं किया गया । इसके फलस्वरुप 82,126 रुपये यात्री कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1995 तथा मई 1996) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

(ख) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बलिया के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1995) कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी की 22 मार्च, 1994 से प्रभावी 36 एकल फेरे प्रतिदिन की स्वीकृति के बावजूद नगरा-बलिया वाया गड़ढ़ा गढवार-रसड़ा- एकैल मार्ग पर 24 वाहनों के संबंध में एकमुश्त यात्री कर 32 एकल फेरे प्रतिदिन के आधार पर आगणित किया गया । इसके फलस्वरुप 22 मार्च, 1994 से 30 जून, 1995 की अवधि के दौरान 1.31 लाख रुपये यात्री कर का कम आरोपण हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1995) ; उनके उत्तर

प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

4.7 बिना परमिट के संचालित वाहनों के संबंध में यात्री कर का निर्धारण न किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988, के अंतर्गत किसी वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर यात्री या माल ले जाने के लिए वाहन का न तो प्रयोग करेगा या प्रयोग करने की अनुमति देगा, जब तक कि अधिनियम के अनुसार वाहन पंजीकृत न किया गया हो और निर्धारित फीस के भुगतान पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परमिट से आवृत्त न हो । अग्रेतर, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्री कर, प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किए गये अथवा अदा किए जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत समतुल्य दर पर, आरोपणीय है । यात्री कर के अतिरिक्त दुर्घटना की स्थिति में, यात्रियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रम वाहन में ले जाये जा रहे प्रत्येक यात्री से यात्री कर के 5 प्रतिशत की दर से अधिभार भी वसूली योग्य है ।

उप संभागीय परिवहन कार्यालय, मऊ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1995) कि अप्रैल 1994 से जुलाई 1994 की विभिन्न अवधियों के दौरान किराये पर यात्रियों को ले जाने वाले 10 यात्री वाहन बिना परमिट के संचालित पाये गये । विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर उस माह के लिए भी यात्री कर का निर्धारण नहीं किया गया जिसमें इन वाहनों के बिना परमिट संचालन का पता लगा था । इसके फलस्वरुप अप्रैल 1994 एवं जुलाई 1994 की अवधि के मध्या 68473 रुपये यात्री कर का निर्धारण नहीं किया गया ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1995 तथा पुनः मई 1996 में) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

4.8 मार्ग कर एवं माल कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों सपठित उ0प्र0 मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935, के अन्तर्गत भार वाहन के संचालक द्वारा अधिकृत भार क्षमता पर निर्धारित दरों के अनुसार माल कर एवं मार्ग कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। केवल सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को करों के आरोपण से छूट अनुमन्य है न कि, सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों/निगमों को ।

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (आजमगढ़ तथा इटावा) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1994 तथा सितम्बर 1995) कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी/निगम से संबंधित 3 भार वाहनों पर जनवरी 1989 एवं सितम्बर 1995 के मध्य की अवधि के लिए क्रमशः 65,880 रुपये तथा 44,799 रुपये माल कर एवं मार्ग कर का आरोपण नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़ ने बताया (अप्रैल 1996) कि माँग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 1996) ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 1995 एवं जनवरी 1996 के मध्य) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

अध्याय-5

स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला निबंधकों, उप निबंधकों तथा जिला स्टाम्प अधिकारियों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 207 मामलों में 96.62 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1. संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	125	55.23
2. विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	52	24.47
3. अन्य अनियमितताएँ	30	16.92
योग	**207**	**96.62**

वर्ष 1995-96 के दौरान, विभाग ने 69.01 लाख रुपये के 157 मामलों में अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 0.90 लाख रुपये के 9 मामले 1995-96 की लेखा परीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे । उदाहरणस्वरुप 40.18 लाख रुपये के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

5.2 कृषि/कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के अंतर्गत, कृषि भूमि के अन्तरण विलेख में उल्लिखित मूल्य अथवा बाजार मूल्य, इनमें से जो अधिक हो, पर

स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है । अग्रेतर, कृषि इतर भूखण्ड, जो किसी नगर क्षेत्र, नगर पालिका या नगर महापालिका की नगर सीमा के अंतर्गत आते हैं, के हस्तांतरण से संबंधित अन्तरण विलेखों पर, स्टाम्प शुल्क, जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में निर्धारित विलेख के निष्पादन की तिथि को उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आरोपणीय होता है ।

15 उप निबंधक कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1992 एवं अगस्त 1995 के मध्य) कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि का मूल्यांकन न किए जाने से 31.37 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया । विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र0सं0	निबन्धन कार्यालय का नाम	संपत्ति का प्रकार, कृषि/कृषि इतर भूमि	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार संपत्ति का मूल्य (लाख	विलेख में अपनाया गया मूल्य रुपये	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क में)
1.	उप-निबंधक कासगंज (एटा)	कृषि-इतर	5.80	1.20	0.67
2.	(i) उप-निबंधक, अकबरपुर (फैजाबाद)	तदैव	9.76	0.55	1.16
	(ii) उप-निबंधक, अकबरपुर (फैजाबाद)	तदैव	8.16	0.27	0.99
	(iii) उप-निबंधक, अकबरपुर (फैजाबाद)	तदैव	5.72	0.35	0.67
3.	उप-निबंधक, लहरपुर (सीतापुर)	कृषि	6.02	1.81	0.53
4.	उप-निबंधक, कर्नैलगंज (गोंडा)	कृषि इतर	54.29	2.64	6.45
5.	उप-निबंधक, बिसवाँ (सीतापुर)	कृषि	6.56	1.40	0.64
6.	उप-निबंधक चन्दौसी (मुरादाबाद)	कृषि-इतर	7.24	2.62	0.90
7.	(i) उप-निबंधक II मेरठ	कृषि	14.06	3.97	1.46
	(ii) उप-निबंधक I मेरठ	तदैव	10.72	4.21	0.94
	(iii) उप-निबंधक II मेरठ	तदैव	17.79	5.02	1.85

क्र0सं0	निबन्धन कार्यालय का नाम	संपत्ति का प्रकार, कृषि/कृषि इतर भूमि	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार संपत्ति का मूल्य	विलेख में अपनाया गया मूल्य	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
			(लाख	रुपये	में)
8.	उप-निबंधक, गौरीगंज (सुल्तानपुर)	कृषि-इतर	13.88	0.29	1.70
9.	उप-निबंधक, सगड़ी (आजमगढ़)	कृषि-इतर	5.95	0.10	0.72
10.	उप-निबंधक, केराकत (जौनपुर)	तदैव	16.75	0.56	2.03
11.	उप-निबंधक, हसनपुर (मुरादाबाद)	तदैव	26.06	9.85	2.03
12.	उप-निबंधक, बिजनौर	तदैव	8.99	4.50	0.56
13.	उप-निबंधक, मऊ (बाँदा)	तदैव	56.49	1.50	6.87
14.	उप-निबंधक, चकिया (वाराणसी)	तदैव	5.21	0.59	0.58
15.	उप-निबंधक, गाजियाबाद	तदैव	5.92	1.65	0.62
	योग		**285.37**	**43.08**	**31.37**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1992 तथा जुलाई 1994 के मध्य), संबंधित जिलाधिकारियों ने 7 मामलों में 9.91 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क आरोपित कर दिया (मार्च 1994 तथा अप्रैल 1996 के मध्य) । वसूली की अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 1996) ।

मामले शासन को प्रतिवेदित किए गए थे (जुलाई 1993 तथा फरवरी 1996 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

5.3. विलेख के गलत वर्गीकरण से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, किसी विलेख की उचित स्टाम्प शुल्क प्रभार्यता उसकी विषय-वस्तु के अनुसार निर्धारित की जाती है, न कि निष्पादनकर्ता द्वारा दी गई टाइटिल के अनुसार । 28 अप्रैल, 1994

को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को आबंटित भूमि/शेड्स के लिए किराया क्रय (हायर पर्चेज) विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1- ख के अनुच्छेद 35 - ख के प्रावधानों के अंतर्गत प्रीमियम की धनराशि पर अन्तरण के विलेख की भाँति स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है ।

उप-निबंधक कार्यालय, अल्मोड़ा, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1995) कि पन्द्रह वार्षिक किश्तों में देय 4.86 लाख रुपये के प्रीमियम पर कब्जा के साथ 4 औद्योगिक शेड एक निजी कम्पनी को एक उद्योग स्थापित करने के लिए, जून 1994 में पंजीकृत एक विलेख द्वारा आबंटित किए गये । विलेख को "किराया क्रय अनुबन्ध" (हायर पर्चेज एग्रीमेन्ट) वर्गीकृत किया गया तथा "अन्तरण" पर आरोपणीय 60812 रुपये के बजाय 7106 रुपये स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया । विलेख के गलत वर्गीकरण के फलस्वरुप 53706 रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1995 तथा जनवरी 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996)।

5.4 दर-सूची के पुनरीक्षण में विलम्ब

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के अंतर्गत किसी अन्तरण विलेख में प्रदर्शित संपत्ति की विषय वस्तु के बाजार मूल्य पर या उसमें उल्लिखत प्रतिफल, जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 , के अनुसार जनपद में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बाजार मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक अन्तराल पर, उनके जनपद के निबन्धन अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिए, निर्धारित किया जाता है ।

जिला स्टाम्प अधिकारी, अल्मोड़ा, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1995) कि विभिन्न श्रेणियों की भूमि के मूल्यांकन के लिए वर्तमान द्विवार्षिक दर सूची 10 दिसम्बर 1992 को पुनरीक्षित की गई थी जो 9 दिसम्बर 1994 को प्रभावहीन हो गई । पुनः यह पाया गया कि नई दर सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 दिसम्बर 1994 के बजाय 7 जून, 1995 को पुनरीक्षित की गई । यदि, दर सूची का पुनरीक्षण समय के अन्दर किया गया होता तो जनपद में 10 दिसम्बर, 1994 तथा 6 जून, 1995 के मध्य पंजीकृत 393 विलेखों में निहित 8.27 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क की अतिरिक्त धनराशि शासन को प्राप्त हुई होती ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 1995 तथा दिसम्बर 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 1996) ।

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ

अध्याय- 6

भू-राजस्व

अध्याय-6

भू-राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 की अवधि में लेखा परीक्षा में किए गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच से 146 मामलों में 338.83 लाख रुपये के संग्रह व्यय का कम वसूल किया जाना, भू-राजस्व का न वसूल किया जाना/कम वसूल किया जाना, किसान बही * की आपूर्ति पर शुल्क की वसूली न किये जाने तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1. भू-राजस्व की वसूली न किया जाना/कम वसूली किया जाना	12	13.59
2. संग्रह व्यय की कम वसूली	67	49.30
3. किसान बही की आपूर्ति के लिए शुल्क की वसूली न किया जाना	40	216.81
4. अन्य अनियमितताएँ	27	59.13
योग	**146**	**338.83**

वर्ष 1995-96 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 169.19 लाख रुपये के 271 मामले संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किए गये जिनमें से 23 मामलों में निहित 19.66 लाख रुपये वर्ष 1995-96 की लेखा परीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गये थे । उदाहरण स्वरुप 1.42 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव का एक मामला अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है ।

---

* किसान बही : भूस्वामियों को तहसीलदार द्वारा निर्गत कृषि भूमि के सभी प्रकार के विवरण वाली एक पुस्तिका ।

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 तथा समय-समय पर जारी किए गए राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम या परिषद् या बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि को कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) समेत, भू-राजस्व के बकाए की भाँति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे । संग्रहीत किए गये देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह-व्यय राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है । जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र को संबंधित निकायों द्वारा उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिए जाने के मामले में अथवा चूक कर्त्ताओं द्वारा देयों को सीधे संबंधित निकायों को भुगतान कर दिया जाता है, तो भी संग्रह-व्यय उसी दर से वसूल किया जायेगा ।

दो तहसील कार्यालयों (निघासन-लखीमपुर खीरी तथा बिजनौर) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1995) कि 1.42 लाख के 130 मामलों में, जिसमें वसूली प्रमाणपत्र लौटा दिए गये थे धनराशि संबंधित निकायों के पास सीधे जमा कर दी गई थी, संग्रह व्यय वसूल नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मई 1995) विभाग ने बताया (अगस्त 1996) कि संग्रह व्यय वसूल करने की कार्यवाही की जा रही थी । वसूली की अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

9 A.G.—11

अध्याय-7

अन्य कर प्राप्तियाँ

अ. विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों की नमूना जाँच से 23 मामलों में 151.89 लाख रुपये के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाए जाने/कम लगाए जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:-

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयो में)
1. विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	19	150.00
2. ब्याज की वसूली न किया जाना	2	1.33
3. निरीक्षण फीस की वसूली न किया जाना	2	0.56
योग	**23**	**151.89**

उदाहरणस्वरुप 135.77 लाख रुपये वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं:

7.2 रक्षा कर्मियों को आपूर्तित विद्युत पर विद्युत शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, किसी उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर, आरोपणीय है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्युत शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों को प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा उन्हीं दरों पर बेची गई मानी जाएगी जो दरें अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होती हैं । सितम्बर 1984 तथा अगस्त 1995 में शासन ने यह स्पष्ट किया था कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैन्य अधिकारियों को प्रभार मुक्त या रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के संबंध में उपभुक्त ऊर्जा की प्रभारित दर अन्य उपभोक्ताओं पर लागू पूर्ण

दर को माना जायेगा यद्यपि कि सामान्य दर एवं रियायती दर के बीच का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा वहन किया जा रहा था । रक्षा विभाग के समस्त नियुक्त प्राधिकारियों को निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने भी परिपत्र जारी किया (अगस्त 1986 तथा सितम्बर 1995) कि प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के ऐसे सभी मामलों में विद्युत शुल्क वसूल किया जाय ।

चार नियुक्त प्राधिकारियों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1995 तथा दिसम्बर 1995 के मध्य) कि दिसम्बर 1993 तथा अक्टूबर 1995 के मध्य रक्षा कर्मियों को घरेलू उपयोग के लिए प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर 102.98 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई थी परन्तु 5.15 लाख रुपये के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नियुक्त प्राधिकारी का नाम	घरेलू उपयोग हेतु उपभुक्त विद्युत ऊर्जा (लाख यूनिट में)	उपभोग की अवधि	दर	देय विद्युत शुल्क की धनराशि (लाख रुपये में)
1.	दुर्ग अभियंता वायु सेना निर्माण खेरिया, आगरा	9.61	सितम्बर 1994 से जुलाई 1995 तक	5 पैसे प्रति युनिट	0.48
2.	दुर्ग अभियंता एम0ई0एस0 (दक्षिण) मेरठ	11.20	अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक	तदैव	0.56
3.	दुर्ग अभियंता चकेरी (कानपुर)	42.20	दिसम्बर 1993 से अक्टूबर 1995 तक	तदैव	2.11
4.	आयुध कारखाना कानपुर	39.97	अक्टूबर 1994 से अक्टूबर 1995 तक	तदैव	2.00
	योग	102.98			5.15

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किए गये थे (फरवरी 1996 तथा मई 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

7.3 निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने से विद्युत शुल्क की वसूली न होना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतगर्त , किसी अनुज्ञापी से यह अपेक्षित है कि , जिस माह से मीटर रीडिंग अभिलिखित की गई थी उसकी समाप्ति के बाद दो माह के अन्दर, देय शुल्क की धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दें तथा निदेशक, विद्युत सुरक्षा, को इस प्रकार दो माह की समाप्ति के दस दिनों के अन्दर प्रेषित होने वाली सूचना के साथ संबंधित सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को कोषागार चालान की रसीदी प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दें । भुगतान न की गई विद्युत शुल्क की धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रभार्य होगा । विद्युत शुल्क की देय धनराशि अथवा ब्याज, यदि निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को भुगतान न किया जाय, तो वह भू-राजस्व की तरह वसूली योग्य हो जायेगा ।

सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) मिर्जापुर, के क्षेत्रीय कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1995) कि तीन अनुज्ञापियों (उ0प्र0 सीमेंट निगम, सोनभद्र जनपद की तीन इकाइयाँ) द्वारा, जुलाई 1992 तथा अप्रैल 1994 के मध्य देय, विद्युत शुल्क की 5.44 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था । निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत, विद्युत शुल्क के बकाए का भुगतान किए बिना, इकाइयों को विद्युत ऊर्जा का अग्रेतर उपभोग करने की अनुमति दी गई , जो जून 1995 तक 130.62 लाख रुपये हो गई, जैसा कि उपरोक्त नियमों में अपेक्षित है, विभाग ने विद्युत शुल्क की धनराशि तथा उस पर देय व्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया । निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरुप उक्त सीमा तक विद्युत शुल्क का बकाया इकट्ठा हो गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जून 1995), विभाग ने बताया (मई 1996) कि अनुज्ञापी इकाइयाँ रुग्ण घोषित कर दी गई हैं तथा अक्टूबर 1992 में "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन परिषद" (बी0आई0एफ0आर0) की आकांक्षा (एम्बिट) के अधीन हो गई हैं । उद्योग विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से वसूली हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाने के लिए अनुरोध किया गया था (मार्च 1996) नवम्बर 1992 से फरवरी 1996 की अवधि के दौरान वसूली से संबंधित शासन का निर्देश प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरुप बकाया इकट्ठा हुआ तथा अंततः विद्युत शुल्क की वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त देयों की वसूली के संबंध में बी0आई0एफ0आर0 की अनुमति भी इच्छित नहीं की गई (मई 1996) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अक्टूबर 1995 तथा जनवरी 1996) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

ब. गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार

7.4 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान लेखा परीक्षा में किए गये चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच से 11 मामलों में 129.81 लाख रुपये के गन्ने के क्रय पर कर के अनारोपण/कम आरोपण का पता चला जो मोटे-तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1. चीनी के क्रय कर पर स्थगन	3	127.04
2. क्रय कर का भुगतान किए बिना चीनी की निकासी	1	2.18
3. अन्य अनियमितताएँ	7	0.59
योग	11	129.81

वर्ष 1995-96 के दौरान विभाग ने 3 मामलों में 2.52 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये, जो पूर्ववर्ती वर्षो की लेखा परीक्षा में इंगित किए गये थे । 441.05 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है ।

7.5 क्रय कर का भुगतान किए बिना चीनी की निकासी

गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961, की धारा 3 ए के अंतर्गत , किसी भी चीनी मिल का मालिक मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा या करायेगा जब तक वह इस प्रकार चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने के क्रय पर आरोपणीय कर का भुगतान न कर दे । उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने की दशा में, मिल मालिक कर के अतिरिक्त, दण्ड के रुप में, कुल देय धनराशि के सौ प्रतिशत से अनाधिक धनराशि के भुगतान का दायी होगा । अधिनियम में शासन को कर के भुगतान को विलम्बित करने के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी राज्य सरकार ने, कुछ शर्तो के साथ सहकारी/सार्वजनिक उपक्रम की नई चीनी मिलों को उनके उत्पादन के प्रथम पाँच वर्षो के दौरान कर के भुगतान को विलम्बित करने के आदेश दिसम्बर 1976 तथा दिसम्बर 1988 के मध्य निर्गत किए ।

चार मिलों के गन्ना क्रय-कर से संबंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1991 एवं मार्च 1996 के मध्य) कि इन सभी मिलों ने विलम्बित अवधि के दौरान, विलम्बन की शर्तो का पालन किए बिना चीनी की निकासी किया था । इनमें से तीन चीनी मिलों द्वारा विलम्बित अवधि के बाद भी, नियमित कर का भुगतान किए बिना, चीनी की निकासी की जाती रही जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था । विलम्बित तथा नियमित दोनों के, अवशेष कर की स्थिति निम्नवत थी:-

क्र0सं0 जनपद	उत्पादन का आरम्भ	विलम्बन आदेश का माह	विलम्बन अवधि का देय कर धनराशि (लाख	विलम्बन अवधि के बाद देयकर धनराशि रुपये	कुल अवशेष कर धनराशि में)
1. आजमगढ़	1975-76	मार्च 1986	15.94	39.61	55.55
2. बलिया	1975-76	दिसम्बर 1976	17.55	144.43	161.98
3. वाराणसी	1971-72	दिसम्बर 1976	18.15	27.95	46.10
(भदोही)		मार्च 1986	42.30	63.63	105.93
4. नैनीताल	1984-85	दिसम्बर 1988	71.49	शून्य	71.49
	योग		**165.43**	**275.62**	**441.05**

तीन मामलों (बलिया, वाराणसी तथा नैनीताल) में सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ ने शासन से किश्तों में विलम्बित कर के भुगतान के लिए आदेश जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया था लेकिन किश्तों में या अन्य प्रकार से कर की वसूली की कार्यवाही शासन द्वारा अभी तक नहीं की गई थी (अगस्त 1996) ।

मामले विभाग एवं शासन को मार्च 1996 तथा अप्रैल 1996 में प्रतिवेदित किए गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996) ।

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ

अध्याय - 8

वन प्राप्तियां

9 A.G.—12

अध्याय-8

वन प्राप्तियां

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जांच में पाई गई अनियमितताएँ मुख्य रुप से निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	लीसा निष्कर्षण में अनियमितताएँ	16	543.66
2.	रायल्टी का गलत निर्धारण	35	771.65
3.	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व - हानि	13	38.92
4.	स्टाम्प शुल्क के अनारोपण से राजस्व-हानि	4	55.83
5.	अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण	17	41.24
6.	तेंदू पत्तों के संग्रहण एवं निस्तारण में अनियमितताएँ	3	10.11
7.	पट्टा किराया का वसूल न किया जाना	15	195.59
8.	अन्य अनियमितताएँ	67	1032.49
	योग	**170**	**2689.49**

वर्ष 1995-96 की अवधि में , संबंधित विभाग ने 55 मामलों में निहित 1695.25 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया, जिसमें से 50 मामलों में निहित 1541.14 लाख रुपए वर्ष 1995-96 की लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में । "लीसा के निष्कर्षण एवं बिक्री"

पर एक समीक्षा सहित 4601.26 लाख रुपए के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित है ।

8.2 लीसा का निष्कर्षण एवं विक्रय

8.2.1 प्रस्तावना

लीसा एक महत्वपूर्ण वन - उपज है जो गढ़वाल और कुमाँऊ के पर्वतीय क्षेत्र में, 1050 से 2250 मीटर की उंचाई पर उगने वाले चीड़ के वृक्षों से निष्कर्षित किया जाता है । यह रोजिन व तारपीन के तेल के उत्पादन हेतु कच्चा माल है । उत्तर प्रदेश में, लीसा का एकत्रीकरण वन विभाग द्वारा छोटे ठेकेदारों (आमतौर पर मेट के नाम से जाने जाते है) द्वारा कराया जाता है । जहां मेट उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ विभागीय स्तर पर एकत्रीकरण कराया जाता है ।

प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में, कुल उत्पादित लीसे का अधिकांश- 60 प्रतिशत इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली (आई टी आर) को और 20 प्रतिशत भाग गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम के दो लीसा कारखानों तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की औघोगिक इकाइयों को बेचा जाता है । शेष 20 प्रतिशत लीसा सार्वजनिक नीलामी द्वारा वन विभाग में पंजीकृत औघोगिक इकाइयों को बेचा जाता है । आई टी आर व अन्य इकाइयों द्वारा भुगतान किये जाने वाले लीसा के मूल्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित किये जाता है ।

8.2.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन - विधि के नियमन एवं क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है, जिसके सहायतार्थ जोनल स्तर पर 11 मुख्य वन संरक्षक , वृत्त स्तर पर 35 वन संरक्षक और प्रभागीय स्तर पर 84 प्रभागीय वनाधिकारी हैं । मुख्य वन संरक्षक (प्रबंधन एवं प्रशिक्षण) नैनीताल, वन उपजों के दोहन हेतु, नियोजन, अनुश्रवण एवं नियमन के लिये उत्तरदायी हैं ।

8.2.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

राज्य के 16 लीसा उत्पादक क्षेत्रीय वन प्रभागों में से 8 वन प्रभागों * तथा मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च 1996 व जुलाई 1996 के मध्य किया गया एवं लेखा परीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये है :-

---

* चकराता प्रभाग, कालसी (देहरादून) , गढ़वाल प्रभाग, पौड़ी, केदार नाथ प्रभाग गोपेश्वर, नैनीताल प्रभाग, नैनीताल, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, नयी टिहरी, उत्तरी पिथौरागढ़ प्रभाग, पिथौरागढ़, टिहरी प्रभाग, नयी टिहरी एवं अपर यमुना प्रभाग, बड़कोट (उत्तर काशी) ।

8.2.4 प्रमुख अंश

(i) चार वन प्रभागों द्वारा लीसा निष्कर्षण संबंधी विभिन्न क्रिया- कलापों हेतु निर्धारित समय सारणी का पालन नहीं किया गया । इससे निष्कर्षण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ, और अन्ततः कम निष्कर्षण के कारण 52.67 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.5)

(ii) वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में 204 लाख रुपए मूल्य के लीसा के कम एकत्रीकरण के लिए केवल 6.62 लाख रुपए लीसा मेटों से अर्थदण्ड के रुप में वसूल किया गया ।

(प्रस्तर 8.2.6)

(iii) एक राजकीय कारखाने के विरुद्ध 1068.91 लाख रुपए मूल्य के आपूर्तित लीसा से संबंधित धनराशि अवशेष थी ।

(प्रस्तर 8.2.7)

(iv) वर्ष 1990-91 से 1995-96 की अवधि में 25.51 लाख लीसा नालियों से निष्कासन न करने से 38270 कुन्तल लीसा का निष्कर्षण नहीं किया जा सका परिणामस्वरुप 720.66 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.9)

(v) सितम्बर 1993 में मुख्य वन संरक्षक, (कुमाऊं) नैनीताल द्वारा पुनरीक्षित निष्कर्षण मानक अल्मोड़ा जनपद (पूर्वी व पश्चिमी प्रभागों) के वन प्रभागों द्वारा नहीं अपनाया गया । फलस्वरुप रेजिन के कम एकत्रीकरण के कारण 97.08 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.10)

(vi) अण्डरसाइज्ड टिन गमलों के प्रयोग के कारण 16.13 लाख रुपए मूल्य का लीसा नष्ट हो गया ।

(प्रस्तर 8.2.11)

(vii) वर्ष 1990-91 , 1992-93 तथा 1994-95 की अवधि में , 3 प्रभागों में, 1531 कुन्तल अनुमानित उत्पादन वाले 39 कूपों में लीसा निष्कासन नहीं किया गया जिसमें 16.50 लाख रुपए की राजस्व हानि निहित थी ।

(प्रस्तर 8.2.12)

(viii) 87,241 कुन्लत लीसे के अनिस्तारण से 1063.68 लाख रुपए की राजस्व-हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.13)

8.2.5 समय सारिणी का अनुपालन न किये जाने के कारण राजस्व हानि

लीसा-निष्कर्षण प्रत्येक वर्ष संबंधित वन प्रभागों द्वारा अनुबंधित लीसा मेटों से तथा उनके उपलब्ध न होने पर विभागीय स्तर पर मार्च में प्रारम्भ किया जाता है । निष्कर्षण कार्य में विलम्ब न हो इसे सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने निष्कर्षण के सभी क्रिया कलापों में एक समय सारिणी बनाया है ।

लेखा परीक्षा मे देखा गया कि 8 वन प्रभागों में से चार * में वर्ष 1990-91 से 1995-96 (लीसा फसल 1990 , 1991, 1992, 1993, 1994 व 1995) में लीसा निष्कर्षण के पूर्व के समस्त क्रिया-कलापों के लिए निश्चित समय-सारणी का पालन नहीं किया गया । लीसा मेटों का चयन व उन्हे कार्यादेश जारी करने में 3 से 4 माह का विलम्ब हुआ और पूर्ववर्ती वर्षों के समय सारणी 30 नवम्बर व 31 दिसम्बर के विरुद्ध प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त में अन्तिम रुप दिपा गया । 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाने वाला ठोकान ** कार्य अप्रैल के अन्त तक चलता रहा । इसके अतिरिक्त लीसा के निष्कर्षण व संग्रहण हेतु अपेक्षित उपकरण भी मेटों को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये । उक्त कार्यवाही के कारण निष्कर्षण कार्य मे विलम्ब हुआ और अन्ततः 4836 कुन्तल पूर्वानुमानित आमद 64103 कुन्तल और वास्तविक आमद 59,267 कुन्तल लीसे का कम एकत्रीकरण हुआ। परिणामस्वरुप 52.67 लाख

---

* केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर , नरेन्द्र नगर वन प्रभाग नई टिहरी, उत्तरी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ व टिहरी वन प्रभाग, नयी टिहरी।

** चीड़ पेडों में लीसा निष्कर्षण हेतु खुरचान लगाने, टिगपत्ती तथा गमले लगाने की कार्यवाही को ठोकान कार्य कहते है ।

रुपए राजस्व की हानि हुई । प्रभागों द्वारा बताया गया कि उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब का कारण निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा उपकरणों के लिए विलम्ब से दर अनुबन्धित करना था । उत्तर मान्य नहीं है क्योकि नमूना जांच किये गये अन्य चार प्रभागो द्वारा लीसा मेटों को उपकरणों की आपूर्ति समय से कर दी गयी थी । अन्य कार्यवाही के संबंध में विलम्ब का कारण सूचित नहीं किया गया।

8.2.6 अपर्याप्त अर्थदण्ड का आरोपण

लीसा निष्कर्षण के लिए वन प्रभागों एवं लीसा मेटों के मध्य किये गये अनुबन्ध में कम एकत्रीकरण के लिए अर्थदण्ड तथा शासन/ विभाग द्वारा बनाये गये लीसा निष्कर्षण संबंधी नियमों व विनियमों का पूर्णतः पालन करते हुए निर्धारित मात्रा से अधिक लीसा निष्कर्षण करने पर उन्हें बोनस का भुगतान का भी प्रावधान है । नियमों में निर्धारित अर्थदण्ड की दर 10 रुपए से 25 रुपए प्रति कुन्टल के मध्य थी ।

6 वन प्रभागों * में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1994-95 के अवधि में 204 लाख रुपए मूल्य का 11,912.57 कुन्तल लीसा निर्धारित मानक के अनुसार ठेकेदारों द्वारा कम एकत्रित किया गया । उक्त दर से अर्थदण्ड के रुप में वसूल की गयी धनराशि 6.62 लाख रुपए मात्र थी जो कि कम निष्कर्षित लीसे के मूल्य (1330 रुपए से 2630 रुपए प्रति कुन्तल) 204 लाख रुपए की तुलना में नगण्य था । अतः 197.38 लाख रुपए की हानि हुयी ।

8.2.7 आई टी आर से लीसा के मूल्य की वसूली न होना - परिणामी बकाया

राज्य सरकार व आई0 टी0 आर0 के मध्य हुए औपचारिक अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कुल उत्पादित लीसे का अधिकांश भाग विभाग द्वारा आई0 टी0 आर0 को समय - समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर आपूर्ति किया जाता है । इस अनुबन्ध में आपूर्ति किये गये लीसे के मूल्य के भुगतान से संबंधित कोई अवधि या समय सीमा नही दी गयी है तथा आई0 टी0 आर0 द्वारा विलम्ब से भुगतान के लिए किसी ब्याज या अर्थदण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामतः आई0 टी0 आर0 को आपूर्तित लीसे के मूल्य 1068.91 लाख रुपए अभी भी कम्पनी के विरुद्ध वसूली हेतु लम्बित था (अगस्त 1996)।

---

* गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर, उत्तरी पिथौरागढ़ प्रभाग, पिथौरागढ़, नैनीताल प्रभाग, नैनीताल, टेहरी वन प्रभाग, नई टेहरी तथा ऊपरी वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तर काशी)

8.2.8 नालियों को अवरुद्ध न किया जाना (अनटैप्ड चैनल्स)

चार वन प्रभागों* में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1995-96 के मध्य 80.42 लाख नालियाँ (प्रभागों की कार्ययोजना के अनुसार) लीसा निष्कासन के लिये उपलब्ध थी । इनमें से प्रभागों ने मात्र 54.91 लाख नालियों से ही निष्कासन किया और 25.51 लाख नालियां अनिष्कासित रहीं । उसका कारण उन नालियो को ऐसे वृक्षों में उपलब्ध होना सूचित किया गया जो कठिन एवं दुरुह स्थानों में स्थित थी। विभाग का अनिष्कासन का कारण मान्य नही है क्योकि कार्ययोजनाओं में केवल ऐसे क्षेत्र जहां कि लीसा नालियों का अवरुद्धीकरणहेतु व्यवहारिक समझी गयी थी, सम्मिलित किया गया था। इसके परिणामस्वरुप 720.66 लाख रुपए मूल्य के 38270 कुन्तल लीसा का निष्कषर्ण नही किया गया ।

8.2.9 रियायती दर पर लीसा की बिक्री

आई0टी0आर0 अथवा अन्य इकाइयों को बिक्री किये जाने वाले लीसा का विक्रय मूल्य समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है (लीसा का बाजार भाव के आधार पर) यह देखा गया कि वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान निधारित किया गया मूल्य तत्कालीन बाजार भाव से बहुत कम था (वर्ष 1992-93 में रिसाव हुए नीलामी से प्राप्त दर) आई0 टी0 आर0 व अन्य इकाइयों को कम दर के रुप में दी गयी रियायत 680.55 लाख रुपए थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

वर्ष	आई0टी0आर0 व अन्य को बेचे गये लीसे की मात्रा	शासन द्वारा निर्धारित बिक्री	वर्ष 1992-93 में छिज्जत लीसे की नीलामी से प्राप्त औसत	बाजार मूल्य व शासन द्वारा निर्धारित मूल्य का अन्तर	निम्न दर के रुप मे दी गयी रियायत
	(कुन्तल में)	(रुपए प्रति कुन्तल)			(लाख रुपए में)
1993-94	27996	1972	2475	503	140.82
1994-95	17690	2170	2475	305	53.95
			योग		680.55

* केदार नाथ वन प्रभाग , गोपेश्वर, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

आई0टी0आर0 को दी गयी रियायत का औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नही था । विभाग द्वारा यह बताया गया (अप्रैल 1996) कि दरें शासन द्वारा निर्धारित की गयी थी ।

8.2.10 निष्कर्षण मानको का अनुपालन न किया जाना

लीसे की चोरी व हेराफेरी के उन्मूलन के उद्देश्य से मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) नैनीताल ने (सितम्बर 1993 में) कुमाऊं की पहाड़ियों में प्रति सौ नालियों पर 2 कुन्तल लीसा के एकत्रीकरण का मानक निर्धारित किया ।

अल्मोड़ा जिले के दो वन प्रभागों (पूर्वी अल्मोड़ा प्रभाग व पश्चिमी अल्मोड़ा प्रभाग) द्वारा लीसा के एकत्रीकरण के उक्त मानकों को नही अपनाया गया और 1994-95 के दौरान 21,12,754 प्रभागीय नालियों (पूर्वी 1403528 तथा पश्चिमी 709226) से लीसा निष्कर्षण के लिये कार्यादेशों को स्वीकृत करते समय उन्होने प्रति सौ लीसा नालियों से 1.5 कुन्तल के मानक को ही इस आधार पर बनाये रखा कि इस क्षेत्र के जंगल बहुत पुराने है और उनमें से प्रति सौ नालियों से 2 कुन्तल की दर से लीसा का निष्कर्षण संभव नही था यह तर्क मान्य नही है क्योकि मुख्य वन संरक्षक द्वारा उक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के मानकों को पुनरीक्षित किया गया था ।

परिणामस्वरुप 7305 तक के लीसे का कम एकत्रीकरण हुआ जिसमें 97.08 लाख रुपए का राजस्व निहित था ।

8.2.11 निर्धारित नाप से कम के टिन गमलों* के प्रयोग से लीसे की हानि

चीड़ वृक्षों से लीसा के एकत्रीकरण हेतु 10.1 से0मी0 व्यास व 20.3 से0मी0 लम्बाई के टिन गमलों का प्रयोग किया जाता है । लीसा मेट इन गमलों से हर सातवें दिन लीसा एकत्र करते है क्योंकि उस समय तक ये गमले अपने पूर्ण क्षमता तक भर जाते है ।

उक्त आकार के 40,000 गमलों की आपूर्ति के लिए प्रभागीय वन अधिकारी, गढ़वाल वन प्रभगों, पौड़ी, द्वारा जनवरी 1993 व फरवरी 1994 में बरेली स्थित तीन फर्मो को उक्त मानक के 40000 गमलों की आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया था । फर्मो ने दिसम्बर 1993 व अप्रैल 1994 में माल की आपूर्ति की । फर्मो द्वारा आपूर्ति किये गये 40000 गमलों में से , 29000 गमले कम क्षमता वाले (व्यास 8.89 से0 मी 0 तथा लम्बाई 15.2 से0 मी0) के थे । परिणामस्वरुप 1994 में जब ये गमले प्रयोग में लाये गये तो वे अपनी क्षमतानुसार चार ही दिन में भर गये औरा लीसा उस समय तक (सातवे दिन) बाहर जमीन पर गिरना प्रारम्भ हो गया और जब तक (सातवें दिन तक) लीसा मेट लीसा संग्रहण करने नही गया तब तक लीसा

---

* एकत्रीकरण पात्र।

बह कर बाहर गिरता रहा । इस प्रकार 16.13 लाख रुपए मूल्य का 743. 103 कुन्तल लीसा नष्ट होना सूचित किया गया। वांछित मानक के अनुरुप गमलों की आपूर्ति स्वीकार करने का कारण यह बताया गया (मई 1996) कि गमले फर्म द्वारा विलम्ब से आपूर्ति किये गये थे जिससे उनके बदलने का समय ही नही रह गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फर्म द्वारा 25000 गमलों की आपूर्ति दिसम्बर 1993 मे ही कर दी गयी थी तथा उनको बदलने के लिये पर्याप्त समय था ।

8.2.12 कूपों में कार्य न किया जाना

यह देखा गया कि तीन वन प्रभागों * में वर्ष 1990-91, 1992-93 व 1994-95 में 39 कूपों** से लीसा निष्कर्षण के लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी थी । इन कूपों से विभागीय रुप से भी कार्य नही कराया गया । परिणामस्वरुप इन कूपों से 1531 कुन्तल के अपेक्षित लीसा बिना निष्कर्षण के रहा जिससे 16.50 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुयी । विभाग द्वारा उक्त उल्लिखित कूपों से लीसा के अनिष्कर्षण का कारण इनकी कठिन व दूरुह स्थिति बताया गया । विभाग का यह तर्क मान्य नही है क्योकि वर्ष 1991-92 व 1993-94 में इन्ही कूपो पर कार्य किया गया था ।

8.2.13 लीसे का अनिस्तारण

सितम्बर 1993 में निर्गत राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कुल उत्पादित लीसे का 80 प्रतिशत नियमित आवंटियों को आवंटित किया जाता है (60 प्रतिशत आई0टी0आर0 और 20 प्रतिशत कुमाऊं मण्डल विकास निगम तथा पी0सी0एफ0 की हल्दानी इकाई को) तथा शेष 20 प्रतिशत वन विभाग में पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को खुली नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना अपेक्षित है।

यह देखा गया कि वर्ष 1993-94 व 1994-95 में आई0टी0आर0 एवं अन्य इकाईयों को आवंटित लीसे की मात्रा क्रमशः 99691 व 33236 कुन्तल के विरुद्ध 29914 कुन्तल व 15772 कुन्तल लीसा उठाया गया। आई0टी0आर0 द्वारा लीसे का उठान न कराने का कारण कम्पनी की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने न उठाये गये लीसे की मात्रा का निस्तारण करने की कोई व्यवस्था नही किया, परिणामस्वरुप 1063.68 लाख रुपये तक के राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने बताया (जुलाई 1996) कि दिसम्बर 1995 में लीसे के निस्तारण हेतु भेजा गया प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है (जून 1996) । वास्तविक निस्तारण सम्बन्धी सूचना प्राप्त नही हुई है ।

---

* केदारनाथ प्रभाग गोपेश्वर, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल तथा उत्तरी पिथौरागढ़ प्रभाग, पिथौरागढ़।

** एक कूप में लगभग 10,000 नालियाँ होती है ।

मामला शासन को जुलाई 1996 में सन्दर्भित किया गया था; उसका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अगस्त 1996)।

8.3 रायल्टी का वसूल न किया जाना

बुन्देलखण्ड वृत्त की कार्य योजना और विक्रय नियमों के अनुसार, विभाग द्वारा आवंटित सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0 प्र0व0 नि0) द्वारा कोरिया * का संदोहन किया जाना था और तदनुसार रायल्टी, जैसा कि रायल्टी समिति द्वारा निर्धारित की गयी थी, का भुगतान किया जाना था ।

बांदा वन प्रभाग, बांदा के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 1995) में ज्ञात हुआ कि 1991-92 से 1994-95 के मध्य 3137.58 हेक्टेयर क्षेत्र कोरिया संदोहन के लिये उ0 प्र0 ब0 नि0 को आबंटित किया गया था जिसके लिये 9.82 लाख रुपए की रायल्टी देय थी । इसमें से 4.31 लाख रुपए वन विभाग को भुगतान कर दिया गया । शेष 5.51 लाख रुपए अवशेष रहा (मार्च 1996) ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (मार्च 1996) कि उ0 प्र0 व0 नि0 ने अवाणिज्यिक क्षेत्र के लिये रायल्टी का भुगतान करने में अपनी असमर्थता दर्शायी । विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्योकि रायल्टी के भुगतान के लिये नियमों/कार्ययोजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक / अवाणिज्यिक क्षेत्र का वर्गीकरण नही किया गया था तथा यह नवम्बर 1994 में वन विभाग द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था । राजस्व की हानि के अतिरिक्त, असंदोहन के परिणामस्वरुप भविष्य में कल्ले निकलने के विकास में कमी रही जिससे खिलौना उद्योग भी प्रभावित होगा ।

मामला शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

8.4 प्रीमियम तथा लीज किराया का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (1973) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली भूमि स्थानान्तरण नियमों एवं शर्तो को स्वीकार किये जाने के पश्चात 153.96 लाख रुपए प्रीमियम और 7.70 लाख रुपए वार्षिक लीज किराया के रुप में भुगतान करने पर, बहराइच जिले में बीजों की गुणवत्ता में सुधार के लिये 9622.50 एकड़ वन भूमि भारतीय राज्य कृषि निगम (भा0 रा0 कृ0 नि0) को स्थानान्तरित होनी थी ।

---

* कोरिया - ये खिलौने बनाने में प्रयोग किये जाने वाले छोटे पेड़ हैं।

पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग , बहराइच की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1994) कि लीज डीड का अन्तिम रुप देने के समय शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिये स्थानान्तरण प्राप्तकर्त्ता से लिखित रुप में आश्वासन प्राप्त किये बिना 9622.50 एकड़ भूमि (1974-75 में 4020.60 एकड़, अप्रैल 1976 में 2044.10 एकड और अप्रैल 1977 में 3557.80 एकड़) वन विभाग द्वारा भा0 रा0 कृ0 नि0 को स्थानान्तरित कर दी गयी थी । परिणामस्वरुव 311.55 लाख रुपए (मार्च 1996 तक) की धनराशि वसूली हेतु अवशेष रही (अगस्त 1996) । तथापि , विभाग द्वारा बनाई गयी लीज डीड़ को अब भी अन्तिम रुप नहीं दिया गया था (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को मई 1996 में संदर्भित किया गया था उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

8.5 टिम्बर के आयतन की त्रुटिपूर्ण गणना से हानि

वन विभाग की अनुमोदित कार्ययोजना, वृक्षों की गुणवत्ता श्रेणी को वर्गीकृत करती है जिसके आधार पर मांग सृजित करने के लिये टिम्बर के आयतन की गणना की जाती है ।

वर्ष 1992-93 और 1994-95 के मध्य , तीन प्रभागों (पूर्वी तराई वन प्रभाग , हल्द्वानी वन प्रभाग और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान) ने विभिन्न गुणवत्ता श्रेणियों के साल वृक्षों के 32 लाट उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0 प्र0 व0 नि0) को आबंटित किये । मांग सृजित करते समय टिम्बर के आयतन की गणना करने के लिये विभाग ने उपरोक्त लाटों को तृतीय गुणवत्ता श्रेणी का माना । इसके परिणामस्वरुप टिम्बर के आयतन की गणना में 707.918 घन मीटर की कमी आयी और फलस्वरुप 33.63 लाख रुपए की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1995 - मई 1995) विभाग ने उ0 प्र0 व0 नि0 के विरुद्ध 26.00 लाख रुपए की मांग सृजित किया (नवम्बर 1995-मार्च 1996) । उ0 प्र0 व0 नि0 के विरुद्ध शेष 7.63 लाख रुपए की मांग सृजित करने एवं वसूली के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

8.6 वृक्षों का अवैध कटान

उत्तर प्रदेश वन मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, वन रक्षकों और अन्य अधीनस्थ वन अधिकारियों के लिये यह अपेक्षित है कि वह वन अधिनियम के अन्तर्गत वृक्षों को गैर कानूनी कटान सहित कोई अपराध रेन्ज के प्रभारी अधिकारी को, ऐसे अपराध की जानकारी के 24 घंटे के अन्दर , सूचित

करेगे, जो प्रभागीय वनाधिकारी को इस पर कृत कार्यवाही सहित 3 दिनों के अन्दर सूचित करेगे ।

दो वन प्रभागों और एक वृत्त (पश्चिमी बहराइच, आगरा और मुख्य अरण्यपाल, फैजाबाद) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1994 , फरवरी 1995 और नवम्बर 1995) कि फरवरी 1993 से मार्च 1995 के मध्य वृक्ष जनगणना अभियान के दौरान पाया गया कि वर्ष 1991-92 से 1994-95 की अवधि मे विभिन्न प्रजातियों के 3021 वृक्ष , जिनका मूल्य 24.38 लाख रुपए था, 8 बीटों में अवैध रुप से काट दिए गये थे । वृक्ष गणना अभियान संबंधी प्रतिवेदन फरवरी एवं नवम्बर 1993 , जून 1994 और मई 1995 के महीनों में एक से तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात , प्रस्तुत किये गये थे, जिसके परिणामस्वरुप हानि की वसूली के लिये कार्यवाही करने में और भी विलम्ब हुआ ।

मामला शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

8.7 रायल्टी की वसूली न होना

सितम्बर 1978 के शासकीय आदेश में निर्धारित सामान्य नियमों एवं शर्तों के प्रावधानों के अनुसार क्रेता (उ0 प्र0 व0 नि0) को आबंटित बांस के सभी लाटों पर, चाहे उन्होने आबंटित लाटों पर कार्य किया हो अथवा नहीं, पूरी रायल्टी का भुगतान करना होगा । अवाणिज्यिक आधारों पर , काम करते हुये कोई बांस का लाट बिना सदोहन के नही छोड़ा जाएगा ।

मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1995) कि 634099 कौड़ी बांसों की अनुमानित संख्या सम्मिलित करते हुए 55 लाट उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0 प्र0 व0 नि0) को वर्ष 1994-95 के दौरान संदोहन के लिए आबंटित किये गये थे एवं रायल्टी के रुप में उ0 प्र0 व0 नि0 के विरुद्ध 166.77 लाख रुपए की मांग सृजित की गई थी । उ0 प्र0 व0 नि0 ने केवल 4996.75 कौड़ी बांसों पर कार्य किया और रायल्टी के रुप में 1.37 लाख रुपए का भुगतान किया । शेष 629102.25 कौड़ी बासों का संदोहन नही किया गया और 165.46 लाख रुपए का भुगतान भी इस आधार पर नहीं किया गया कि लाट अवाणिज्यिक थे ।

इसे इंगित किये जाने पर (मई 1996) , विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया (मई 1996) कि मामला अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है ।

मामला शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

8.8 विलम्ब शुल्क का वसूल न किया जाना

शासनादेश (सितम्बर 1978) के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0 प्र0 व0 नि0) को प्रत्येक वर्ष 1 मार्च, 1 जून और 1 सितम्बर द्वारा तीन किश्तों में रायल्टी जमा किया जाना अपेक्षित था जिसे न करने पर उनसे 60 दिनों तक के विलम्ब के लिए 2 पैसे प्रति सौ रुपये प्रतिदिन एवं 60 दिनों के ऊपर विलम्ब के लिए 5 पैसे प्रति सौ रुपए प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था ।

सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ, के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1995) कि उ0 प्र0 व0नि0 ने 1989-90 से 1993-94 की अवधि की किश्तों का भुगतान 58 से 1335 दिनों तक विलम्बित किया और समेकित 4.87 लाख रुपए विलम्ब शुल्क की वसूली नही की गई थी (मई 1996) ।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1995) विभाग ने कहा (नवम्बर 1995) कि उ0 प्र0 व0 नि0 से एक बैठक के पश्चात विलम्ब शुल्क की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मामला शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

8.9 वास्तविक निकासी पर रायल्टी प्रभारित न किये जाने के कारण राजस्व-हानि

मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) उ0 प्र0 के आदेश (अक्तूबर 1992) के अनुसार काष्ठ (टिम्बर) की अनुमानित एवं वास्तविक निकासी के मध्य 10 प्रतिशत तक का अन्तर स्वीकार्य था । 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तरों पर रायल्टी निर्धारित दर पर प्रभारित होनी थी ।

पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ (अक्टूबर 1995) कि 1991-92 से 1994-95 के वर्षों में उ0 प्र0 व0 नि0 द्वारा काटे गये टिम्बर की वास्तविक निकासी 22.53 से 470.80 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी किन्तु विभाग ने केवल अनुमानित निकासी के आधार ही रायल्टी की मांग सृजित की । इस प्रकार 107.94 लाख रुपए की धनराशि के 3374.6 घन मीटर काष्ठ (टिम्बर) पर रायल्टी बिना वसूली किये रह गई (अगस्त 1996)।

इसे इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1995), विभाग ने कहा (अक्तूबर 1995) कि मामले की जांच की जायेगी तथा परिणाम लेखा परीक्षा को प्रतिवेदित किया जायेगा । आगे की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अगस्त 1996) ।

मामला शासन को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अगस्तर 1996) ।

8.10 खैर वृक्षों की निकासी का गलत आकलन

विभागीय आदेशों के अनुसार, एक खैर वृक्ष में लकड़ी के परिमाण का , उसके लिए विशेष रुप से निर्धारित किये गये पारिमाणिक कारकों को लागू करते हुए, आगणन किया जाता है ।

वर्ष 1992-93 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के प्रस्तर 8.2.8 (ख) में खैर वृक्षों के गलत मूल्यांकन के कारण राजस्व की क्षति से संबंधित मामले का उल्लेख किया गया था । विभाग ने भूल स्वीकार की और धनराशि की वसूली की थी ।

फिर भी , पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग , बहराइच की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1995) कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0 प्र0 व0 नि0) को आवंटित 31 लाटों (वर्ष 1993-94 में 20 लाट और वर्ष 1994-95 में 11 लाट) के संबंध में, प्रभाग ने अन्य वृक्षों पर लागू पारिमाणिक कारकों को लागू करते हुये निकासी का आगणन किया, परिणामस्वरुप खैर लकड़ियों की निकासी में 80.905 घन मीटर का कम आगणन हुआ तथा 4.14 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 1996) , प्रभाग ने भूल स्वीकार की और कहा कि उ0 प्र0 व0 नि0 के विरुद्ध मांग सृजित की जायेगी । आगे कोई प्रगति सूचित नहीं की गयी है (अगस्त 1996)।

मामला शासन को मई 1996 में संन्दर्भित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्तर 1996) ।

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ

अध्याय - 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

अ . सहकारिता विभाग

ब. सिंचाई विभाग

स. वित्त विभाग

अध्याय-9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

अ. सहकारिता विभाग

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों के कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 134.17 लाख रुपए की अनियमितताओं के 9 मामले पाये गए जो संग्रह प्रभारों के न जमा किए जाने से सम्बन्धित थे ।

3.20 लाख रुपए के एक निदर्शी मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

9.2 संग्रह प्रभारों का न/कम जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 तथा उसके अधीन बनाए गए समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत, ऋणों के लाभार्थियों से सहकारी समितियों द्वारा वसूल किए गए संग्रह प्रभारों का 10 प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा किया जाना चाहिए ।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, गाजीपुर की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1994) कि वर्ष 1989-90 से 1993-94 की अवधि में विभिन्न सहकारी समितियों के लिए संग्रह प्रभारों के रुप में संग्रह किये गए 3.30 लाख रुपये के स्थान पर केवल 10,000 रुपए राजकीय लेखे में जमा किए गए । 3.20 लाख रुपए की शेष धनराशि राजकीय लेखे के बाहर रक्खी गई जो कि अनियमित है ।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1995 तथा नवम्बर 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्त 1996) ।

ब . सिंचाई विभाग

9.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1995-96 के दौरान लेखा परीक्षा में सिंचाई विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जांच में 270.43 लाख रुपए की अनियमितताओं के 73 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	4	1.33
2.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न करने के कारण हानि	28	21.82
3.	पुनरीक्षित दर पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना	1	0.17
4.	सिंचाई प्रभारों की वसूली न किये जाने से हानि	6	236.51
5.	नलकूपों के बन्द होने से हानि	3	5.61
6.	अन्य अनियमितताएँ	31	4.99
	योग	**73**	**270.43**

"वृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियां" पर एक समीक्षा सहित 29291.54 लाख रुपए के सन्निहित वित्तीय प्रभाव के कुछ निदर्शी मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.4 वृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियां

9.4.1 परिचयात्मक

उत्तर प्रदेश में , सिंचाई क्षमता में नहरों , नालों, तालाबों एवं नलकूपों से कृषि उद्देश्य के लिए तथा सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिये जल उपलब्ध कराना सम्मिलित है । उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 1873 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत , राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये जल दरों का भुगतान लाभार्थियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983 में तत्पश्चात 1994 में जल दरों का पुनरीक्षण किया गया था ।

सिंचाई कार्यो हेतु जलापूर्ति के लिए उत्तरदायी सिंचाई विभाग के प्रखण्डों द्वारा जल दरों का निर्धारण (असेसमेण्ट) किया जाता है जब कि जल दरों का संग्रह , सिंचाई विभाग द्वारा सृजित मांग (स्थानीय नाम जमा बन्दी) के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है । सिंचाई से इतर उद्देश्यों के लिए जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व सिचाई विभाग को ही दिया गया है ।

9.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख अभियन्ता (इन-इ-चीफ) सिंचाई विभाग के शीर्ष अधिकारी है जिन्हे 12 परिक्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं की सहायता प्राप्त होती है । सिंचाई सुविधाओं एवं जल दरों के संग्रह पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने हेतु राज्य को 61 वृत्तों , 228 प्रखण्डों एवं उप खण्डों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता (एस0 ई0) , अधिशासी अभियन्ता (ई0 ई0) / प्रखण्डीय अधिकारी , सहायक अभियन्ता (ए0ई0) / उपखण्डीय अधिकारी (एस0 डी0 ओ0) है जिनकी सहायता अवर अभियन्ताओं (जे0ई0) द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त , अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में , राजस्व कार्यो की देख रेख के लिए उप राजस्व अधिकारियों के 102 पद स्वीकृत है । उप राजस्व अधिकारियों को जिलेदारों , अमीनों (सींच पर्यवेक्षक) एवं पतरौल (सीचपाल) की सहायता प्राप्त है ।

एक दृष्टि में विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है :

प्रमुख अभियन्ता (इंजीनियर-इन-चीफ)
(सम्पूर्ण प्रभार)

मुख्य अभियन्ता
(परिक्षेत्रीय प्रभार)

अधीक्षण अभियन्ता
(मण्डलीय प्रभार)

अधिशासी अभियन्ता(ओं)/ प्रखण्डीय अधिकारी (ओं)
(प्रखण्ड का प्रभार)

सहायक अभियन्ता (ओं)
(कार्यकारी अधिकारी)

अवर अभियन्ता (ओं)
(कार्यो को सम्पादित करवाना)

उप राजस्व अधिकारी
(राजस्व कार्यो की देख रेख)

जिलेदार (ओं)
(सिंचित क्षेत्र के माप की जाँच एवं राजस्व की देख रेख हेतु फील्ड स्टाफ)

अमीन (ओं)
(जलदरों का निर्धारण)

पतरौल (ओं)
(अमीनों की सहायता तथा नहरों की देख भाल)

9.4.3 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

वर्ष 1990-91 के दौरान सिंचाई विभाग की कुल प्राप्तियों के लगभग 24 प्रतिशत के योगदान वाली केवल वृहत नहर परियोजनाओं को आच्छादित करते हुये "वृहत सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियां" पर एक समीक्षा दिसम्बर 1995 से अप्रैल 1996 की अवधि के दौरान , की गयी थी । वर्ष 1990-91 से

1994-95 तक की अवधि के अभिलेखों के नमूना जांच हेतु 8 वृहत परियोजनाओं (वाणिज्यिक) में से 6 * परियोजनाओं को चयनित किया गया था । प्रमुख अभियन्ता , परिक्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं एवं इन परियोजनाओं के संबंधित प्रखण्डों के भी अभिलेखों की नमूना जांच की गयी थी ।

9.4.4 मुख्य अंश

(i) प्रखण्डीय स्तर पर आय-व्ययक (बजट) अनुमान तैयार न किये जाने एवं उसे शासन को प्रेषित न किये जाने के कारण आय व्ययक आगणनों एवं सृजित सिंचन क्षमता के आंकड़ों के मध्य सहसम्बन्धों का अभाव ।

(प्रस्तर 9.4.5)

(ii) नियंत्रण उपायों के अभाव के कारण उपलब्ध जल क्षमता का उपयोग नही किया गया, फलस्वरुप वर्ष 1990-91 से 1994-95 के मध्य 5679.50 लाख रुपए की राजस्व - हानि हुयी ।

(प्रस्तर 9.4.6 (क) (ख))

(iii) नहरों के अवैध कटान के फलस्वरुप 445.28 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 9.4.7)

(iv)(क) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान नहरों पर किये गये अनुरक्षण मूल्य एवं प्राप्त राजस्व के बीच अन्तर को कम करने में असफलता के कारण शासन को कुल प्राप्तियों से 19371.34 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

(प्रस्तर 9.4.8)

(ख) उत्तर प्रदेश कराधान समिति की संस्तुतियों के बावजूद वर्ष 1985 से 1994 तक जल दरों का पुनरिक्षण न किये जाने के फलस्वरुप शासन वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक 13962.20 लाख रुपए के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रहा ।

(प्रस्तर 9.4.8)

---

* (i) उपरी गंगा नहर (ii) निचली गंगा नहर (iii) शारदा नहर (iv) शारदा सहायक (v) गण्डक नहर तथा (vi) बेतवा नहर

(v)(क) अन्य निकायों के साथ जलापूर्ति के लिए अनुबन्ध निष्पादित न किये जाने के फलस्वरुप केवल तीन प्रखण्डों में ही 7114 लाख रुपए के अधिकार-शुल्क (रायल्टी) की वसूली नही हुयी ।

(प्रस्तर 9.4.9 (क))

(ख) प्रयोगकर्त्ता इकाई के साथ जलापूर्ति के लिए अनुबन्ध निष्पादित न करने से शासन को वर्ष 1977-78 से 1994-95 तक पानी के रिसाव /छीजन के रुप में 1034 लाख रुपए की हानि हुयी ।

(प्रस्तर 9.4.9 (ख))

(vi) व्याज की त्रुटिपूर्ण गणना के फलस्वरुप 351.22 लाख रुपए ब्याज की धनराशि कम आरोपित हुई ।

(प्रस्तर 9.4.9 (ग))

(vii) निर्धारित मानकों से अधिक जल ह्रास के फलस्वरुप 662.42 लाख रुपए की राजस्व-क्षति हुई ।

(प्रस्तर 9.4.10 (ख))

9.4.5 वार्षिक आय -व्ययक (बजट) तैयार करने में निर्धारित प्रक्रिया का न अपनाया जाना

सिंचाई विभाग की आदेश पुस्तिका (मैनुअल) के अनुसार प्रत्येक प्रखण्डीय अधिकारी द्वारा सिंचाई जल दरों एवं प्रकीर्ण मदों से प्राप्त होनों वाले राजस्व का प्राक्कलन तैयार किया जाना आपेक्षित है। रबी एवं खरीफ फसलों के लिये ऐसा वार्षिक प्राक्कलन अलग से शासन के सिंचाई विभाग को 15 नवम्बर तक प्रस्तुत किया जाना होता है । विभाग की राजस्व-प्राप्तियों के वार्षिक प्राक्कलन, जो कि विधायिका को प्रस्तुत बजट में प्रदर्शित है, का यही आधार बनता है ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये किसी भी प्रखण्ड द्वारा वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि में इस प्रकार का प्राक्कलन (बजट अनुमान) तैयार नहीं किया गया । इन प्राक्कलनों के अभाव में विभाग के अनुमानों की शुद्धता/विश्वसनीयता, जैसा कि विधायिका को प्रस्तुत किया गया , सत्यापित नहीं की जा सकी ।

वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि में आय-व्ययक अनुमान के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ

निम्नवत रही:

वर्ष	उपलब्ध सिंचित क्षमता (लाख हेक्टेयर में)	आय-व्ययक प्राक्कलन (करोड़ रुपये में)	अवरोही प्रतिशतता	वास्तविक संग्रह	अन्तर बढ़ोत्तरी (+) कमी (-) (करोड़ रुपये में)
1990-91	67.46	71.82	-	35.03	(-) 36.79
1991-92	67.90	74.82	-	39.56	(-) 35.26
1992-93	68.44	61.62	18	45.97	(-) 15.65
1993-94	69.06	60.80	19	161.23	(+) 100.43
1994-95	69.60	57.23	24	66.39	(+) 9.16

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1992-93 से 1994-95 के मध्य (आधार वर्ष 1991-92) अवरोही आय-व्ययक अनुमान का अवरोही रुझान 18 से 24 प्रतिशत के मध्य रहा । यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद रही कि सिंचित क्षमता में बढोत्तरी हुयी , सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया और जलदरों में वर्ष 1994-95 में वृद्धि (लगभग 103 प्रतिशत) की गयी थी ।

आय ब्ययक प्राक्कलनों में असामान्य गिरावट और वास्तविक वसूली में वृद्धि के कारणों को शासन से मंगाया गया था (फरवरी , मई और सितम्बर 1996) । उत्तर प्रतीक्षित है ।

9.4.6 उपलब्ध सिंचित क्षमता का उपयोग न किया जाना

(क) कृषकों को अधिक सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से, सृजित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग को सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना आपेक्षित है । फिर भी, यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1994-95 के मध्य विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में 16 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक उपलब्ध सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि अनुवर्ती तालिका में दर्शित है :-

परियोजना का नाम	प्रखण्ड की संख्या	औसत वार्षिक सिंचन क्षमता सृजित	उपयोजित	अनुपयोजित	अनुपयोजित क्षमता की प्रतिशतता	1990-91 से 1994-95 तक कुल राजस्व हानि
		(लाख हेक्टेयर में)				(लाख रुपए में)
1. शारदा नहर	12	8.34	6.24	2.10	25	1270.50
2. शारदा सहायक	30	15.17	8.61	6.56	43	3968.80
3. गण्डक नहर	2	1.99	1.67	0.32	16	193.60
4. निचली गंगा नहर	2	1.67	1.30	0.37	22	223.85
योग		27.17	17.82	9.35		5656.75

विभाग ने क्रम संख्या 1 एवं 2 के संबंध में अनुपयोजित क्षमता के निम्नलिखित कारण बताया :

(i) मुख्य एवं शाखा नहरों के दीर्घकालीन एवं निरन्तर उपयोग के फलस्वरूप वहन क्षमता में कमी ।

(ii) नहर के संचालन में हेराफेरी एवं अवैध कटान ।

(iii) नहरों की टूट एवं रिसाव, और

(iv) जमी हुयी मिट्टी / रेत (सिल्ट) की सफाई न होना ।

तालिका के क्रमांक 3 एवं 4 के संबंध में परियोजना के अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

उत्तर मान्य नही है क्योकि सृजित सिंचन क्षमता के निर्धारण के समय उपरोक्त कारकों पर अवश्य विचार किया गया होगा । सृजित सिंचन क्षमता के अनुपयोजित होने के फलस्वरूप 5656.75 लाख रुपए के जल मूल्य की हानि हुयी (121 रुपए प्रति हेक्टेयर की औसत दर से आगणित) ।

(ख) शारदा सहायक परियोजना में नहर की लाइनिंग न किये जाने से वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि में 3762 हेक्टेयर में रिसाव हुआ। तत्पश्चात कृषि भूमि खेती के अयोग्य हो गयी।

अग्रेतर , रिसाव के कारण हुए जल ह्रास का उपयोग कम से कम 3762 हेक्टेयर भूमि की सिचाई के लिए किया जा सकता था जिससे 22.75 लाख रुपए के संभावित (पोटेन्सियल) राजस्व की प्राप्ति हुयी होती (121 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आगणित)

9.4.7 नहरों की अवैध कटान से राजस्व - हानि

सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से, नहरों का कुछ निश्चित क्षमता और ऐसे प्रयोजन से निर्माण किया जाता है कि पानी नहरों के अन्तिम छोर (टेलएन्ड) तक पहुच सके ।

चार प्रखण्डों की नमूना जांच में, यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से वर्ष 1994-95 की अवधि में, जल नहरों की अन्तिम छोर तक नही पहुंच सका जैसा की नीचे दर्शाया गया है :-

	प्रखण्ड/नहर का नाम	नहरों की लम्बाई	उपयोजित नहरों की लम्बाई	अनुपयोजित नहरों की लम्बाई
		(प्रवाह	किलो मीटर	में)
1.	कानपुर प्रखण्ड , निचली गंगा नहर, कानपुर	12,350	11,754	596
2.	इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा	12,011	11,360	651
3.	शारदा नहर प्रखण्ड II लखनऊ	1,689	1012	677
4.	शारदा सहायक खण्ड - 32 आजमगढ़	4,700	4,178	522
	योग	**30,750**	**28,304**	**2,446**

चूकि नहरों के अन्तिम छोर में स्थित 3.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी , इसलिए नहरों के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ण रुपेण प्राप्ति नहीं हो सकी तथा शासन को

445.28 लाख रुपए (121 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आगणित) के राजस्व सें वंचित होना पड़ा ।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर , अधिकांश प्रखण्डों ने यह सूचित किया कि नहरों के अवैध कटान से ऐसा हुआ । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि सम्बन्धित प्रखण्डों ने नहरों की रक्षा हेतु न तो अतिरिक्त कर्मचारियों (स्टाफ) हेतु निवेदन किया और न ही अवैध कटान रोकने में अपनी असमर्थता अपने संबंधित उच्चाधिकारियों को सूचित किया ।

9.4.8 जल दरों का निर्धारण

(क) उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 1873, के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य सरकार को जब कभी आवश्यक हो जल दरों का निर्धारण या पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है । उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग के कार्यपूर्ति आय-व्ययकों में भी यह प्राविधानित है कि वार्षिक मरम्मत, निर्देशन एवं प्रशासन , प्रकीर्ण अप्रत्यक्ष व्यय (कार्यकारी व्यय) तथा ब्याज पर होने वाला व्यय प्रणाली की राजस्व प्राप्तियों से परिपूरित होगा । अग्रेतर , उत्तर प्रदेश कराधान समिति ने जल दरों में 40 प्रतिशत की बढोत्तरी की संस्तुति 1985 में ही की थी ।

यह देखा गया कि जून 1983 में निर्धारित जल दरों का पुनरीक्षण अक्टूबर 1994 में किया गया । वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि में प्राप्त राजस्व , रख रखाव एवं संचालन पर कार्यकारी व्यय तथा शुद्र प्राप्तियां अधोलिखित थी एवं चार्ट iv में भी दर्शायी गयी है ।

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	रख रखाव एवं संचालन पर कार्यकारी व्यय		शुद्र प्राप्तियां
	(लाख	रुपए	में	)
1990-91	3,592.64	6599.64	(-)	3007.00
1991-92	3,955.88	11595.91	(-)	7640.03
1992-93	4,596.95	10878.11	(-)	6281.16
1993-94	16,123.00	11122.73	(+)	5000.27
1994-95	6637.03	14080.45	(-)	7443.42
योग	**34,905.50**	**54276.84**	(-)	**19371.34**

यदि उत्तर प्रदेश कराधान समिति की संस्तुतियों के तहत 1990 में भी जल दरों का पुनरीक्षण

रेखाचित्र–IV

नहरों के रख रखाव एवं संचालन पर व्ययों से राजस्व प्राप्तियों की तुलना

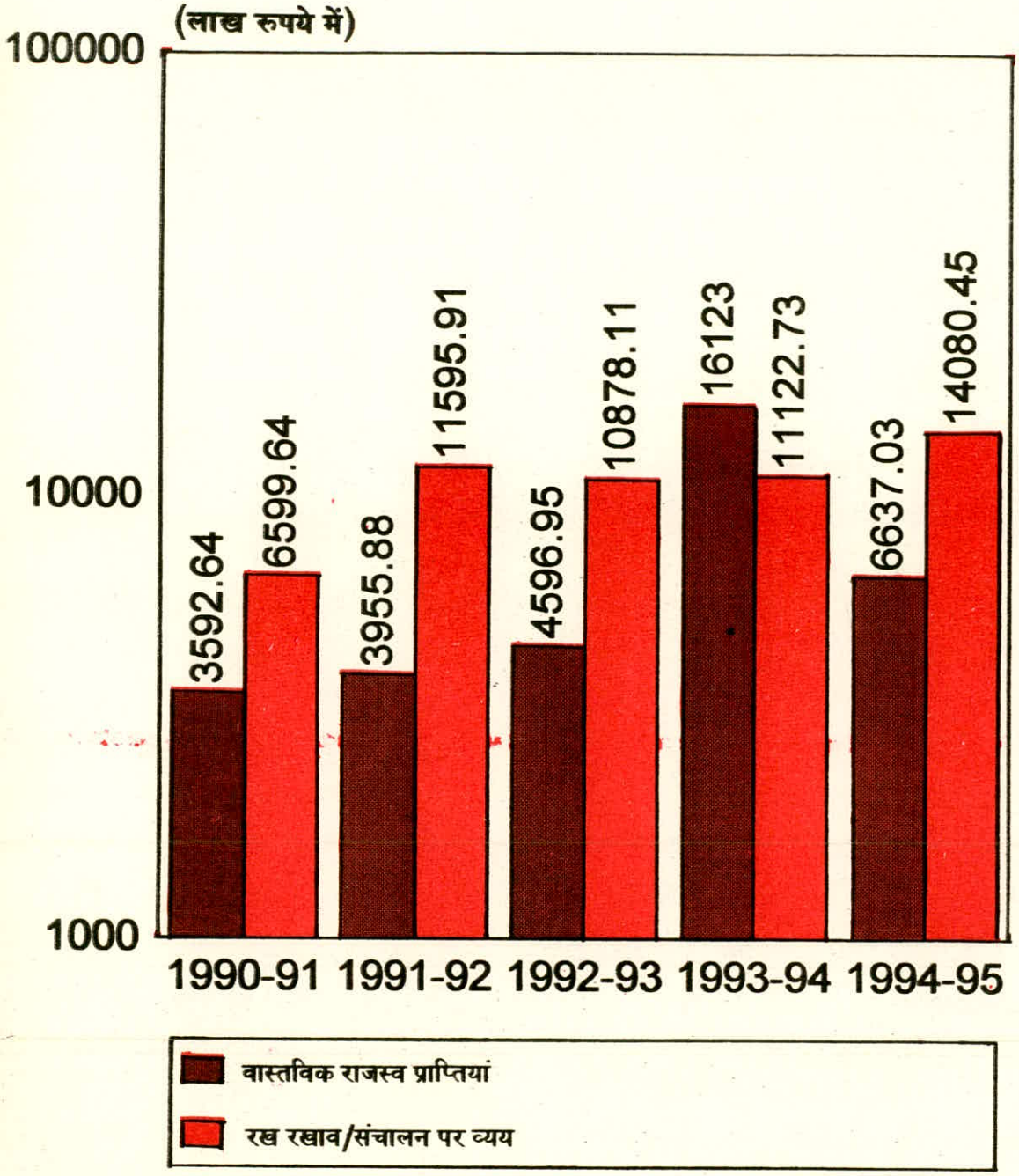

(संदर्भ : प्रस्तर 9.4.8 (क) पृष्ठ 116)

(स्रोत : अध्याय 8.4.8 (क) और 11(ख))

किया गया होता तो शासन को वर्ष 1990-91 से 1994-95 के मध्य की अवधि में 13962.20 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता । लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर , शासन ने अवगत कराया (सितम्बर 1996) कि उत्तर प्रदेश कराधान समिति 1985 के प्रतिवेदन की पत्रावली वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तथा जल दरों के पुनरीक्षण में हुए विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण बताना संभव नहीं है क्योंकि यह नीति गत निर्णय संबंधी है ।

(ख) राजस्व अर्जित करने में जल दरों का सही निर्धारण एवं समय से पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । जलदरों के पुनरीक्षण की समय सारणी न तो मैनुअल में और न ही किसी शासकीय आदेश में निर्धारित की गयी है ।

यह देखा गया कि वर्ष 1965 से सिंचाई दरों का पुनरीक्षण 2 से 4 वर्ष के अन्तराल पर होता रहा जिससे जलापूर्ति पर व्यय की गयी संचालन / रख रखाव की प्रतिपूर्ति हो सकती थी । किन्तु यह देखा गया कि वर्ष 1983 के बाद , 11 वर्ष व्यतीत होने पर, यह 1994 में पुनरीक्षित किया गया ।

शासन ने इस प्रकरण पर अवगत कराया (सितम्बर 1996) कि जलदरों के पुनरीक्षण की कोई समय सारिणी निर्धारित नहीं है ।

9.4.9 कृषि इतर उद्देश्यों के लिए आपूर्तित जल प्रभारों की त्रुटि पूर्ण वसूली

वर्ष 1952 के उपरान्त अप्रैल 1985 में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई इतर कार्यो हेतु जलदरों का पुनरीक्षण इस अनुदेश के साथ किया गया था कि सिंचाई विभाग एवं जल प्राप्त करने वाले विभाग/विभागों के मध्य 10 वर्ष के लिए अलग अलग अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा । इसके पश्चात् , नये अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित था ।

(क) अनुबन्धों के निष्पादित / नवीनीकरण न किये जाने से जल प्रभारों की वसूली न होना

शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल , 1985 के अनुसार , अधिशासी अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा, जलापूर्ति से पूर्व, जल उपयोगकर्त्ता विभाग के साथ 10 वर्ष के लिए निश्चित शर्तों के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया जाना चाहिए । तदोपरान्त अगले 10 वर्षो के लिए, नया अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित था ।

3 सिंचाई प्रखण्डों * की नमूना जांच में यह देखा गया (सितम्बर 1995 और अप्रैल 1996 के मध्य) कि उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये 4 लाभार्थियों को , विना अनुबन्ध निष्पादित किये अथवा बिना पुराने अनुबन्ध का नवीनीकरण किये ही जलापूर्ति की गयी । इसके फलस्वरुप, 7114 लाख रुपए के अधिकार शुल्क (रायल्टी) की वसूली नही हुई, विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	अनुबन्ध की स्थिति	आपूर्ति अवधि	लाभार्थी का नाम	अधिकार शुल्क की धनराशि (लाख रुपए में)
1.	अलीगढ़ प्रखण्ड, गंगा नहर अलीगढ	अनिष्पादित	अप्रैल 1962 से मार्च 1995	हरदुआ गंज पावर हाउस (उ0प्र0रा0वि0प0) अलीगढ़	1107
2.	इटावा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, इटावा	अनिष्पादित	अप्रैल 1985 से मार्च 1995	औरैया गैस पावर प्लान्ट (एन0टी0पी0सी0), इटावा	150
3.	कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर	अनिष्पादित	सितम्बर 1967 मार्च1995	पनकी पावर-हाउस, कानपुर (उ0प्र0रा0वि0प0)	5429
4.	-- तदैव --	अनवीनीकृत	अप्रैल 1968 से मार्च 1985 (अप्रैल 1985 से नि:शुल्क आपूर्ति)	नगर महापालिका (जल संस्थान), कानपुर	428
	योग				7114

* 1. अलीगढ प्रखण्ड, गंगा नहर , अलीगढ

2. इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर , इटावा

3. कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर

(ख) **जल के छीजन/रिसाव के कारण राजस्व-हानि**

अक्टूबर 1993 के अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ को पूरे वर्ष जलापूर्ति बनाये रखने पर 150 क्यूसेक प्रतिवर्ष की दर से जल छीजन/रिसाव आदि होता था । अप्रैल 1977 से मार्च 1995 तक यह छीजन 2700 क्यूसेक आगणित किया गया जिसका मूल्य 1034 लाख रुपये था (1.4.1977 से 31.3.1985 तक 3.75 रुपये प्रति 5000 घन फुट की दर से 284 लाख रुपये एवं 1.4.1985 से 31.3.95 तक 50,000 रुपये प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष की दर से 750 लाख रुपये) ।

यह देखा गया कि जलापूर्ति हेतु उपभोगकर्त्ता इकाई के साथ कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया था जिससे 1034 लाख रुपये के अपेक्षित (पोटेन्सियल) राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर प्रखण्डीय अधिकारी ने बताया कि अनुबन्ध के निष्पादन के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) **ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना**

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, नगर महापालिका, कानपुर द्वारा सिंचाई विभाग से जल के अधिकार शुल्क (रायल्टी) की माँग प्राप्ति पर 30 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जिसमें असफल होने पर, चूककर्ता पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपणीय था ।

यह देखा गया कि निचली गंगा नहर, कानपुर के एक प्रखण्ड में नगर महापालिका, कानपुर (अब जल संस्थान) द्वारा, वर्ष अप्रैल 1968 से सितम्बर 1981 तक की अवधि के लिए, जल के अधिकार शुल्क के रुप में 94.77 लाख रुपये का जल प्रभार जमा नहीं किया गया था । चूंकि अधिकार शुल्क निर्धारित समय में जमा नहीं किया गया था, इसलिए अक्टूबर 1981 से सितम्बर 1995 की अवधि के लिए, लेखा परीक्षा तिथि तक 368.39 लाख रुपए ब्याज आरोपणीय था जैसा कि दावा तैयार किया गया था तथा मांग सृजित की गई थी जबकि प्रखण्ड द्वारा केवल 17.17 लाख रुपये का ब्याज आरोपित किया गया । इसके फलस्वरुप 351.22 लाख रुपये का ब्याज कम आरोपित हुआ ।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, प्रखण्डीय अधिकारी ने बताया कि माँग पुनरीक्षित कर दी जाएगी ।

9.4.10 जल का वितरण

(क) जल के बहाव के दौरान जलहानि को न्यूनतम करने की दृष्टि से नहर प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त नियन्त्रण ढाँचे की अपेक्षा है । सिंचाई नियम पुस्तिका एवं शासनादेशों में यह प्रावधानित है

कि कुलाबों की निर्धारित जाँच संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए । अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा प्रति वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र के कुल कुलाबों के क्रमशः 2 एवं 20 प्रतिशत की जाँच किया जाना अपेक्षित है । अनुभाग अधिकारी/अवर अभियन्ता को अपने अनुभाग के सभी कुलावों की जाँच अपेक्षित है तथा उपराजस्व अधिकारी एवं जिलेदार द्वारा जाँच का प्रतिशत क्रमशः 5 एवं20 निर्धारित है ।

17 प्रखण्डों की नमूना जाँच में, यह देखा गया कि हरदोई एवं झाँसी के दो प्रखण्डों * में, वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में, निर्धारित जाँच नहीं की जा रही थी जहाँ कि जांच के लिए कोई आधारभूत कार्यक्रम ही नहीं बनाया गया था ।

7 प्रखण्डों ** में , कुलाबों की जांच में कमी की प्रतिशतता 1 से 45 के मध्य रही जब कि इटावा के एक प्रखण्ड # में यह 64 से 100 के मध्य रही ।

(ख) मार्ग में जल हानि

नहरों से जलापूर्ति के दौरान रिसाव , वाष्पीकरण आदि कारणों से मार्ग में जल हानि अवश्यम्भावी है । हानि के विभिन्न कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रमुख अभियन्ता (पूर्व में मुख्य अभियन्ता) के वर्ष 1951 में निर्गत आदेश एवं समय समय पर इसकी पुनरावृत्ति (विलम्बतम 1980 में) द्वारा मार्ग में जल हानि के मानक निर्धारित किये गये थे ।

2 प्रखण्डों ## में यह देखा गया कि ऊपरी गंगा नहर में मुख्य जलमार्ग की, विभागीय आदेश में निर्धारित जल हानि , एक प्रखण्ड में 250 क्यूसेक प्रतिदिन एवं दूसरे प्रखण्ड में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए क्रमशः 600 क्यूसेक एवं 350 क्यूसेक प्रतिदिन से बहुत अधिक थी । इस तरह प्रावधानित मानक से अधिक जलहानि के फलस्वरुप केवल दो प्रखण्डों में ही वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में 662.42 लाख रुपए की राजस्व-हानि हुई ।

---

* 1. राजकीय जल प्रबन्ध योजना प्रखण्ड , हरदोई 2. झांसी प्रखण्ड, बेतवा नहर , झांसी

** 1. सिंचाई प्रखण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी 2. लखनऊ प्रखण्ड-II, शारदा नहर , लखनऊ 3. बेतवा नहर प्रखण्ड, प्रथम, उरई 4. बेतवा नहर प्रखण्ड- II उरई 5. शारदा शहायक खण्ड-32 , आजमगढ़ 6. बुलन्द शहर प्रखण्ड, गंगा नहर, बुलन्दशहर 7. अनूप शहर शाखा प्रखण्ड, गंगा नहर मेरठ

\# इटावा प्रखण्ड , निचली गंगा नहर , इटावा

\## 1. मुजफ्फर नगर प्रखण्ड , गंगा नहर , मुजफ्फर नगर 2. अनूप शहर शाखा प्रखण्ड , गंगा नहर मेरठ

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर , संबंधित प्रखण्डों ने जल हानि को स्वीकार किया एवं इसका कारण: (1) नहर बहुत पुरानी होना , और (2) कृषको द्वारा जल का अनधिकृत रुप से उपयोग बताया।

उक्त उत्तर मान्य नही है क्योकि मानक निर्धारित करते समय नहरों की आयु का भी विचार किया गया होगा तथा अनधिकृत उपयोग की रोक थाम का उत्तरदायित्व भी इन्ही प्रखण्डों पर ही है ।

(ग) जल लेखों का रख-रखाव न किया जाना

संसाधन के अभाव एवं जल के प्रयोग में मितव्ययिता को प्रेरित किये जाने की दृष्टि से जल का विस्तृत लेखा सिंचाई विभाग के स्तर पर रखा जाना अपेक्षित है । बेतवा नहर प्रणाली के अभिलेखों से यह प्रकट हुआ कि विभिन्न नहरों में निस्सारित, वितरित एवं सिंचाई में प्रयुक्त तथा मार्ग में हानि हुये जल की मात्रा का पूर्ण विवरण सहित कोई लेखा नहीं रखा गया था ।

9.4.11 जल दरों का आंकलन (एसेसमेन्ट)

(क) माप की जांच

जलदरों का आंकलन सिंचाई प्रखण्डों के अमीनों * द्वारा सिंचित क्षेत्र की माप के बाद किया जाता है । इन मापों की प्रमाणिकता सिंचाई आदेशों की नियम पुस्तिका में निर्धारित विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माप की जांच पर आधारित होती है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

अधिकारी का पद नाम	निर्धारित मानक	
	खरीफ	रबी
	(एकड़ में)	
अधीक्षण अभियन्ता	150	200
	(अपने नियंत्रण में स्थित सभी प्रखण्डों में विभाजित कर के)	
अधिशासी अभियन्ता	250	300
सहायक अभियन्ता	500	700
उप राजस्व अधिकारी	2500	3000
जिलेदार	5000	7000
अवर अभियन्ता	250	300

* 1. सिंचित क्षेत्र की माप तथा मांग का विवरण पत्र (जमा बन्दी) तैयार करता है

नमूना जांच किये गये 17 प्रखण्डों में से 12 प्रखण्डों ने माप की जांच के निर्धारित मानक का पालन नही किया । परियोजना एवं अधिकारी वार पाई गयी कमियों को प्रतिशतता के रुप में नीचे दर्शाया जा रहा है :-

सिंचाई माप की जाँच में कमी (प्रतिशतता में)

परियोजना का नाम	प्रखण्डों की संख्या	अधीक्षण अभियन्ता		अधिशासी अभियन्ता		सहायक अभियन्ता		उपराजस्व अधिकारी		अवर अभियन्ता		जिलेवार	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
गण्डक नहर प्रणाली	1	100	100	89	64	61	65	85	76	74	87	72	77
बेतवा नहर प्रणाली	3	100	100	66	14	66	14	77	32	83	29	89	27
शारदा नहर प्रणाली	2	100	100	72	53	50	63	17	12	55	60	66	75
निचली गंगा नहर प्रणाली	2	100	100	47	49	36	43	13	24	31	51	58	58
ऊपरी गंगा नहर प्रणाली	3	100	100	15	35	2	14	3	16	33	43	1	29
शारदा सहायक प्रणाली	1	100	100	-	3	37	50	75	77	57	55	75	78

अधीक्षण अभियन्ताओं ने किसी भी परियोजना में मांप की जांच विल्कुल भी नही की । अन्य श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियो के संबंध में कमी 15 से 89 प्रतिशत के मध्य रही ।

क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित जांच करने में असफल रहने के कारण जमाबन्दी* में मांग की प्रमाणिकता एवं जल प्रभारों के अपवंचन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

---

* जल दरों की मांग का विवरण

(ख) जमाबन्दी प्रस्तुत करने में विलम्ब

सिंचाई मैनुअल के अनुसार प्रखण्डीय अधिकारी द्वारा जमा बन्दी निर्धारित तिथियों - यथा , प्रत्येक वर्ष खरीफ के लिए 1 दिसम्बर # एवं रबी के लिए 1 मई # से 3 दिन पूर्व जल दरों के संग्रहण के लिए तहसीलदार को भेजा जाना अपेक्षित है । 17 प्रखण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 9 प्रखण्डों में जमा बन्दियों को प्रस्तुत करने में 17 से 88 दिनों तक का विलम्ब रहा, फलस्वरुप राजस्व संग्रहण में विलम्ब हुआ ।

(ग) निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने से राजस्व-क्षति

मैनुअल निर्देशित करती है कि सिंचाई विभाग द्वारा मापों को अन्तिम रुप दिये जाने का काम पूरा करते समय लेख पाल को उपस्थित रहना चाहिए ताकि भू-स्वामियों तथा कास्तकारों आदि के नाम प्रस्तुत करे जिससे अमीन अपने अभिलेख पूर्ण कर सके । साथ ही साथ यदि कोई संदेह हो तो संयुक्त स्थानीय जांच द्वारा दूर करने में सहायता करे, जिससे सिंचाई व राजस्व विभागों के अभिलेखों में कोई भिन्नता न रहे । इस कार्य के लिए , सिंचाई विभाग द्वारा लेखपाल को निर्धारित शुल्क देय है ।

यह देखा गया कि लेखपाल, नमूना जांच किये गये किसी भी प्रखण्ड में किसी भी मांप में उपस्थित नही रहा । फलस्वरुप सिंचाई प्रखण्डों द्वारा कोई शुल्क भुगतान नहीं किया गया ।

2 तहसीलों के 26 गांवों के सिंचाई विभाग के अभिलेखों के साथ राजस्व अभिलेखों के मिलान के समय 5 गांवो में विसंगतियां प्रकाश में आयी जिसके फलस्वरुप राजस्व-क्षति हुई जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर में वर्णित है ।

सिंचाई विभाग द्वारा दर्शाया गया सिंचित क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में दशयि गये आकडों से मेल नही खाता जैसा की अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है :-

---

कुछ क्षेत्रों में खरीफ के लिए 15 नवम्बर , एवं रबी के लिए 15 अप्रैल ।

प्रखण्ड का नाम/ (तहसील)	जांच किये गये गांवों की संख्या	खसरा (राजस्व अभिलेख) के अनुसार सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)	जमाबन्दी के अनुसार सिंचित क्षेत्र	प्रति एकड़ राजस्व की औसत दर (रुपए में)	क्षेत्र में अन्तर (एकड़ में)	राजस्व क्षति (रुपए मे)
बेतवा नहर प्रखण्ड-I उरई (उरई सदर)	2	3424	1947	28.38	1477	41,920
झांसी प्रखण्ड बेतवा नहर झांसी (झांसी सदर)	3	1996	1773	73.05	223	16,290
योग						58,210

निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के फलस्वरुप 58,210 रुपए की राजस्व क्षति हुई।

यह दर्शाता है कि विभाग में आन्तरिक नियंत्रण अत्यल्प रुप में परिपालित होता है ।

इसे इंगित करने पर , शासन ने बताया (सितम्बर 1996) कि उन्होने प्रमुख अभियन्ता से आन्तरिक नियंत्रण के संबंध में आख्या / सुझाव मांगे है ।

9.4.12 अन्य रुचिकर बिन्दु

(क) पांच प्रखण्डों (कानपुर- 1, झांसी- 1, उरई-2 , बाराबंकी -1) की नमूना जांच में यह देखा गया कि मार्च 1996 के अन्त में 1960 अनधिकृत कुलाबे मौजूद थे । अनधिकृत कुलाबों का सृजन एक अपराध है , किन्तु इस संबंध में कोई दण्डात्मक कार्यवाही नही की गयी थी ।

(ख) नहर अधिनियम , 1873 के प्रावधानों के अनुसार, नहर जल के दुरुपयोग करने पर उपयोग कर्ताओं पर , देय जल शुल्क के अतिरिक्त , दण्डात्मक शुल्क (तावान) भी आरोपणीय है । यह प्रभार नहर विभाग के अधिकारियों, जो जिलेदार से नीचे स्तर का न हो , द्वारा जांचे जाते है । प्रखण्डीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक अर्द्धवार्षिक में, लगाये गये दण्डात्मक दरो की धनराशि एवं नहर अधिनियम के अधीन

चलाये गये मुकदमों के विवरण के साथ एक विवरण अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । ऐसे मामलों की अविलम्ब जांच कर तुरन्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित है ताकि ऐसे प्रभारों को मांग विवरण में सम्मिलित किया जा सके ।

सात प्रखण्डों * के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि मार्च 1995 के अन्त में 16.56 लाख रुपए की निहित धनराशि के 13218 तावान प्रकरण अन्तिम रुप देने के लिए एवं उन्हे मांग विवरण में सम्मिलित किये जाने के लिए लम्बित थे ।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में सिचाई प्रखण्ड -II देवरिया में नहर कटान के 590 मामले पाये गये थे किन्तु दण्डात्मक कार्यवाही (तावान) केवल एक ही मामले में प्रारम्भ की गयी थी । यद्यपि कि अन्य मामलों में, 0.59 लाख रुपए न्यूनतम दण्डात्मक प्रभार आरोपणीय था, आरोपित नहीं किया गया ।

इसे इंगित किये जाने पर ; प्रखण्ड ने बताया (मार्च 1996) कि नहरों को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया था ।

यद्यपि प्रखण्ड के उत्तर में यह नही बताया गया था कि इन तत्वों के विरुद्ध पुलिस में कोई प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी अथवा नहीं ।

उपरोक्त मामलों को विभाग / शासन को प्रतिवेदित (अगस्त 1996) किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अक्टूबर 1996) ।

---

* <u>गंगा नहर</u>

(1) अनूप शहर शाखा प्रखण्ड, मेरठ (2) मुजफ्फर नगर प्रखण्ड, मुजफ्फर नगर (3) बुलन्द शहर प्रखण्ड, बुलन्द शहर

<u>बेतवा नहर</u>

(4) झांसी प्रखण्ड, झांसी (5) बेतवा नहर प्रखण्ड -I उरई

<u>शारदा शहायक</u>

(6) सिचाई प्रखण्ड , प्रतापगढ़,

<u>शारदा नहर</u>

(7) लखनऊ प्रखण्ड -II लखपऊ

9.5 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

जनवरी 1982 में शासन ने राजकीय कार्यों के लिए निष्पादित अनुबन्धों / संविदा बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण से छूट वापस ले ली । भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1991 से कार्यादेश सहित प्रत्येक अनुबन्ध पर 100 रुपए की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है ।

छः सिंचाई प्रखण्डों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया (सितम्बर 1994 तथा जून 1995 के मध्य) कि नवम्बर 1991 तथा अगस्त 1994 के मध्य निष्पादित 5202 अनुबन्धों (कार्यादेशों) पर 4.09 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	अवधि	कार्यादेशों की संख्या	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क की धनराशि	आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
				(लाख रुपए में)		
1.	नलकूप प्रखण्ड लखनऊ	नवम्बर 1991 से नवम्बर 1993	534	0.53	0.05	0.48
2.	नलकूप प्रखण्ड वाराणसी	नवम्बर 1991 से अगस्त 1994	993	0.99	0.52	0.47
3.	नलकूप प्रखण्ड फतेहपुर	नवम्बर 1991 से फरवरी 1993	350	0.35	0.03	0.32
4.	नलकूप प्रखण्ड वाराणसी	नवम्बर 1991 से अगस्त 1994	530	0.53	0.22	0.31
5.	सिंचाई प्रखण्ड इलाहाबाद	नवम्बर 1991 से जून 1992	350	0.35	0.04	0.31
6.	सिंचाई प्रखण्ड लैन्सडाउन (पौड़ीगढ़वाल)	नवम्बर 1991 से नवम्बर 1993	2445	2.45	0.25	2.20
योग			5202	5.20	1.11	4.09

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1994 तथा जून 1995 के मध्य) विभाग ने बताया (सितम्बर 1994 तथा जून 1995 के मध्य) कि आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण चूक हुई तथा शुल्क की अन्तरीय धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

मामले शासन को फरवरी 1995 तथा अगस्त 1995 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

9.6 राजकीय नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

नलकूप निदेशक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1965 में निर्गत स्थायी आदेशों के अनुसार राज्य नलकूपों में यान्त्रिक दोषों के मरम्मत / सुधार के लिए अनुमन्य बन्दी की अधिकतम अवधि 2 दिन से 7 दिन के बीच होती है । आदेशों में , मरम्मत के लिए अनुमन्य अधिकतम अवधि के बाद नलकूपों के बन्द रहने की स्थिति में, कर्मचारियों (विभिन्न स्तरों पर) को आवश्यक दण्ड जिसमें सेवा समाप्ति, पदावनति आदि शामिल है, परिकल्पित किया गया है । नलकूपों से रबी तथा खरीफ फसलों के लिए सिंचाई के उद्देशय से की गयी जलापूर्ति की दरे क्रमशः 1.20 रुपए प्रति 5000 गैलन तथा 10000 गैलन थी ।

2 नलकूप प्रखण्डों (फर्रुखाबाद तथा फतेहपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1995 तथा मई 1995) कि खरीफ तथा रबी की फसलों, फसली वर्ष 1400 से 1401 (1992-93 तथा 1993-94) के दौरान 403 राजकीय नलकूप, यान्त्रिक दोषों के कारण 14 दिनो से 60 दिनो तक की विभिन्न अवधियों के लिए बन्द पडे रहे । मरम्मत में हुये विलम्ब के परिणामस्वरुप , कास्तकारों को अधिकतम आवश्यकता की अवधि के दौरान सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा तथा सरकार को उस अवधि के लिए 5.25 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई , जिस अवधि में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध थी, किन्तु नलकूप खराब पड़े थे ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर(अप्रैल 1995 तथा मई 1995) विभाग ने नलकूपों की मरम्मत मे हुए विलम्ब का कारण पुराने पम्पसेट का होना तथा अतिरिक्त पम्पसेट की अनुपलब्धता बताया। उत्तर मान्य नही है क्योकि विभाग ने सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आदेश / दिशानिर्देश जारी किये थे ।

मामला शासन को जून 1995 तथा अगस्त 1995 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

9.7 जल दरों की मांग का दोषपूर्ण पुनरीक्षण

उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने

नियमों के अन्तर्गत , राज्य सरकार किसी प्रभार की धनराशि तथा उसके वसूली के ढंग को विनियमित कर सकती है । अग्रेतर, इस प्रकार के नियम, परिवर्तन तथा निरस्तीकरण को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है । सरकार ने अपनी दिनांक 18 अक्टूबर , 1994 तथा 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचनाओं के द्वारा क्रमशः फसली वर्ष 1402 (रबी) तथा 1403 (खरीफ) से जल दरों को संशोधित कर दिया । फसली वर्ष 1403 खरीफ से संशोधित जल दरें फसली वर्ष 1402 (रबी) से संशोधित दरों की अपेक्षा कम थी ।

इन नहरों के 2 सिंचाई प्रखण्डों (देहरादून तथा कालसी) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1996) कि 21 सितम्बर 1995 को जारी सरकार के निर्देशों के आधार पर फसली वर्ष 1402 (रबी) से संबंधित जल दरों की मांग को फसली वर्ष 1403 (खरीफ) के लिए लागू दरों के अनुसार संशोधित कर के 34.68 लाख रुपए से 18.83 लाख रुपए कर दिया यद्यपि निर्देशों को सरकारी गजट में प्रकाशित नही किया गया था । इसके फलस्वरुप 15.85 लाख रुपए की मांग में कमी हो गयी ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1996) , प्रभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (21 सितम्बर 1995) मांग विवरणों (जमाबन्दी) को संशोधित कर दिया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदन किया गया था (जुलाई 1996); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 1996) ।

स. वित्त विभाग

" ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज की वसूली" पर एक समीक्षा जिसमें 4352.47 लाख रुपए का कर निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित है:

9.8 ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज की वसूली

शासन द्वारा (i) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (ii) सरकारी कम्पनियो एवं निगमों (iii) स्थानीय निकायों (iv) सहकारी समितियों (v) कृषको व राजकीय कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों को स्वीकृत ऋणों पर ब्याज वसूली योग्य है । ऋणों की वापसी एवं ब्याज की अदायगी की शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासन द्वारा जारी किये गये स्वीकृत पत्रों मे ही रहती है । सहकारिता विभाग, उद्योग निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक , चीनी और आवास व स्थानीय निकायों के आयुक्तों को 1990-91 से 1994-95 की अवधि में स्वीकृत किये गये ऋणों के संबंध में एक समीक्षा , अभिलेखों की दिसम्बर 1995 से अप्रैल 1996 तक की अवधि के दौरान नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

रेखाचित्र–V

ब्याज के बकाये

1990-91 से 1994-95

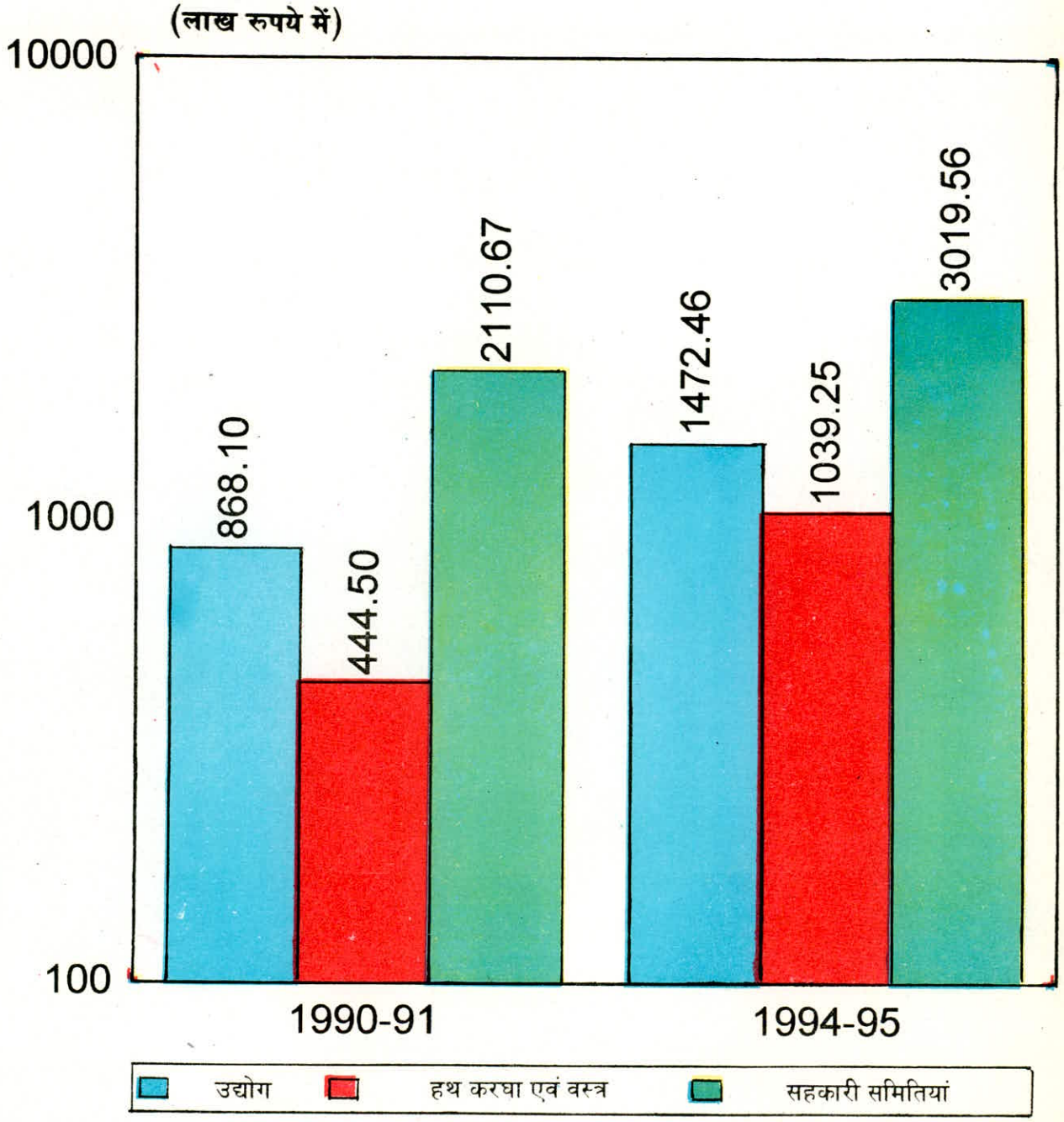

(संदर्भ : प्रस्तर 9.8.1 : पृष्ठ 129)

9.8.1 ब्याज के बकाये

ऋणों के मूलधनों और उस पर देय ब्याज की अधिकतम वसूली तथा 3 विभागों में जहाँ बकाया पर्याप्त था, बकाये को कम करने हेतु शासन ने निर्देश जारी किये थे ।

यह देखा गया कि 3 ऋण लेने वाले विभागों- जैसे उद्योग (शीर्ष निकायों को छोड़कर) हथकरघा एवं वस्त्र (शीर्ष निकायो को छोडकर) और सहकारी समितियों के विरुद्ध बकायें जो वर्ष 1990-91 के प्रारम्भ में क्रमशः 868.10 लाख रुपए , 444.50 लाख रुपए और 2110.67 लाख रुपए थे वर्ष 1994-95 के अन्त में बढ़कर 1472.46 लाख रुपए, 1039.25 लाख रुपए तथा 3019.56 लाख रुपए हो गये जिससे बकाये घटने के स्थान पर क्रमशः 69.62, 133.80 तथा 43.06 प्रतिशत बढ़ गये । विवरण चार्ट V में दर्शाया गया है।

9.8.2 ऋणों के विलम्बित वितरण के कारण ब्याज की हानि

वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार , कोषागार से धनराशि का आहरण तुरन्त वितरण के लिये किया जाना चाहिए । तद्नुसार शासन से स्वीकृत व विभाग द्वारा आहरित ऋणों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के ऋण लेने वालों को कर दिया जाना चाहिए जिससे शासन को ब्याज की हानि से बचाया जा सके। फिर भी, यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में ऋण लेने वालों को ऋणों का भुगतान 4 से 24 माह के बिलम्ब से किया गया जिसके फलस्वरुप 123.94 लाख रुपए ब्याज की हानि हुयी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	आहरण अधिकारी का पद नाम/ऋणी	ऋण की धनराशि/ ब्याज की दर (लाख रुपए में/ प्रतिशत प्रतिवर्ष)	आहरण की तिथि/ वितरण की तिथि	विलम्ब की अवधि (माह में)	निहित ब्याज की धनराशि (लाख रुपए में)
1.	निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ	7.55	31 मार्च 1989	9	0.77
	उ0 प्र0 सहकारी संघ, लखनऊ	13.25	5 जनवरी 1990		
2.	निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ	136.84	अगस्त 1992	11	13.48
	उ0प्र0शसहारी बैंक लखनऊ	10.75/11.75	अगस्त 1993		

क्रम संख्या	आहरण अधिकारी का पद नाम/ऋणी	ऋण की धनराशि/ ब्याज की दर (लाख रुपए में/ प्रतिशत प्रतिवर्ष)	आहरण की तिथि/ वितरण की तिथि	विलम्ब की अवधि (माह में)	निहित ब्याज की धनराशि (लाख रुपए में)
3.	निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ	122.00	मार्च 1993	4	4.45
	उ0प्र0सहकारी बैंक लखनऊ	10.75	अगस्त 1993		
4.	उ0प्र0 सरकार	45.00	मार्च 1991	10	3.84
	उ0 प्र0आवास एवं विकास परिषद , लखनऊ	10.25	जनवरी 1992		
5.	उद्योग निदेशक उ0प्र0, कानपुर	260.00	मार्च 1994	24	101.40
	उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम, कानपुर	19.50	मार्च 1996		
		योग			123.94

9.8.3(क) दोषपूर्ण स्वीकृति पत्रों के कारण ब्याज की हानि

वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार, ऋण वापसी में चूक होने की दशा में सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज प्रभारित होता है । ऋण स्वीकृत करते समय, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये संबंधित स्वीकृत पत्रों में दण्ड का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है । किन्तु शासन द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋणों जिनकी वापसी निर्धारित तिथि तक नहीं की गयी, के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नही है। फलस्वरुप ऐसे ऋणों के संबंध में जारी किये गये स्वीकृत पत्रों में दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया जा सका । परिणामस्वरुप , अगले पृष्ठ पर दिये गये मामलों में 347.63 लाख रुपए के दण्डात्मक ब्याज आरोपित नही किये गये :

क्रम संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	स्वीकृति/आहरण का माह	ऋण की धनराशि (लाख रुपए में)	वापसी की शर्तें	विलम्ब की अवधि	निहित दण्डात्मक ब्याज (लाख रुपए में)
1.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक निगम लि०, लखनऊ	जुलाई 1991	300	आहरण की तिथि के तीन वर्ष बाद	8/94 से 3/96	12.50
		जनवरी 1992	100	तदैव	2/95 से 3/96	2.92
2.	उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर	नवम्बर 1992	250	तीन किश्तों में	12/93 से 3/96	14.58
		दिसम्बर 1992	800	--तदैव--	1/93 से 3/96	65.00
		जनवरी 1993	1000	--तदैव--	2/94 से 3/96	54.17
3.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम कानपुर	जुलाई 1984	100	आहरण के एक वर्ष बाद	8/85 से 3/96	26.67
		दिसम्बर 1984	100		1/86 से 3/96	25.62
4.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम, लखनऊ	अक्टूबर 1991	812	मार्च 1992 तक	4/92 से 3/96	81.20
5.	उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ	नवम्बर 1989	40	आहरण की तिथि से एक वर्ष तक	12/90 से 3/96	18.67
		नवम्बर 1989	100	चार छमाही किश्तों में		
		नवम्बर 1989	150	आहरण के तीन वर्ष बाद तीन छमाही किश्तों में	12/92 से 3/96	12.50
		अक्टूबर 1991	338	मार्च 1992 तक	4/92 से 3/96	33.80
	योग		4090			347.63

9.8.3 (ख) अपूर्ण / विलम्ब से निर्गत स्वीकृति पत्र

निम्नलिखित मामलों में, ऋणों की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृति पत्र , ऋणों की वापसी / ब्याज की अदायगी आदि की शर्तो एवं प्रतिबन्धों को संम्मिलित किये बिना ही निर्गत किये गये या बिलम्ब से निर्गत किये गये । इसके परिणामस्वरुप 25.07 लाख रुपए ब्याज की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	ऋण की धनराशि (लाख रुपए में)	स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि	शर्तो एवं प्रतिबन्धों के जारी करने की तिथि	ब्याज की हानि (लाख रुपए में)
1.	उ0प्र0 सहकारी संघ लि0 , लखनऊ	9.03	मई 1993	मार्च 1995	1.82
2.	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 , कानपुर	25.00	मार्च 1989	अभी तक जारी नहीं किया गया	20.25
3.	उ0प्र0 सहकारी मिल संघ, कानपुर	40.00	मार्च 1993	--तदैव--	3.00
	योग				**25.07**

9.8.4 दण्डात्मक ब्याज का आरोपित न किया जाना

ऋण की शर्तो एवं प्रतिबन्धों में वर्णित निर्धारित तिथि तक यदि ऋणी द्वारा ऋण की वापसी एवं ब्याज की अदायगी नही की जाती तो ऋण की संम्पूर्ण धनराशि पर 2.5 प्रतिशत या 3 प्रतिशत वार्षिक, जैसा भी मामला हो, दण्डात्मक ब्याज वसूला जाता है ।

उद्योग , सहकारिता एवं गन्ना विभाग और स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच से यह प्रकाश में आया कि 59 मामलों में ऋण प्राप्त कर्ताओं ने पुर्नभुगतान की देय तिथियों का अनुपालन नहीं किया। अतः वे 2.5 या 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मार्च 1996 तक 391.06 लाख रुपए के दण्डात्मक ब्याज के दायी थे । उर्पयुक्त विभागों द्वारा दण्डात्मक ब्याज के आरोपण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

9.8.5 उपयोग में न लाये गये ऋणों पर ब्याज का न लगाया जाना

यदि ऋण को बिना उपयोग किये ऋणी द्वारा वापस किया जाता है या रखा जाता है या सक्षम अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत इसको किसी अन्य ऋणी को हस्तान्तरित किया जाता है तो ऋण के संम्पूर्ण अवरुद्ध अवधि के लिए ऋण लेने वाले से निर्धारित दर पर ब्याज वसूली योग्य है ।

नमूना जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि 2 मामलों में ऋणों को या तो हस्तान्तरित कर दिया गया या उनका उपयोग नही किया गया फिर भी उन पर न तो ब्याज आरोपित किया गया और न ही वसूला गया , जैसा नीचे दर्शाया गया है ।

(i) 26 जून 1987 को शासन से प्राप्त 2.50 करोड़ रुपए के ऋण को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ ने अपने पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा कर दिया, जिसमें से 1.50 करोड़ रुपए अपनी एक इकाई (पुवांया इकाई) को भुगतान कर दिया और अवशेष 1.00 करोड़ रुपए संघ के पास रहा। चूँकि पुवांया इकाई ऋण की धनराशि को उपयोग करने में असमर्थ रही अतः 50 लाख रुपए शासन को वापस कर दिया और बचे हुये 1.00 करोड़ रुपए एवं ब्याज 148.50 लाख रुपए को इक्विटीशेयर में शासन के नाम परिवर्तित कर दिया गया (जुलाई 1994) । इस प्रकार 1 अप्रैल 1993 से 12 जुलाई 1994 तक की अवधि का ब्याज 22.45 लाख रुपए की मांग नही की गयी ।

संघ के पास अवशेष 1.00 करोड़ रुपए की धनराशि को किसान सहकारी मिल नानपारा को उन्ही पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों पर दिनांक 31 मार्च 1989 को हस्तान्तरित कर दिया गया । किन्तु धनराशि के संघ के पास रहने की अवधि का ब्याज 30.88 लाख रुपए को न तो विभाग द्वारा आरोपित किया गया और न ही वसूला गया । इसके फलस्वरुप 53.33 लाख रुपए के सकल ब्याज की हानि हुई ।

(ii) दैवी आपदा योजना के अन्तर्गत "कृषि ऋण निधि " को सुदृढ करने के उद्देश्य से शासन ने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को जुलाई 1992 में 1.50 करोड़ रुपए का ऋण इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया था कि उपयोग में न लाये गये ऋण को 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित तुरन्त वापस कर दिया जायेगा । निबंधक, सहकारी समितियां ने ऋण को अगस्त 1992 को आहरित किया और इसे अपने पर्सनल लेजर एकाउन्ट (पी0 एल0 ए0) में जुलाई 1993 तक रखा और इसे अगस्त 1993 में बैंक के स्वामित्व में दे दिया । इसमें से केवल 94.38 लाख रुपए की धनराशि का ही बैंक द्वारा उपयोग हो सका और 55.62 लाख रुपए अवशेष रहा । अवशेष धनराशि को वापस कराने तथा 14.45 लाख रुपए के ब्याज को जो सितम्बर 1993 से जनवरी 1996 की अवधि के लिए देय था जब तक ऋणी के पास ऋण था, को आरोपित/वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी ।

9.8.6 गलत दर/दोषपूर्ण गणना के लागू किये जाने से ब्याज का कम वसूल / न वसूल किया जाना

उद्योग निदेशक व निबंधक सहकारी समितियां के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि

259.17 लाख रुपए की धनराशि विभिन्न त्रुटियों के कारण जैसा कि नीचे दर्शाया गया है कम जमा की गई:

(क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 की अवधि में , ऋण के दो मामलों में, एक 9 करोड़ रुपए के लिए और दूसरा 7 करोड़ रुपए के लिए, जो उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ को दिये गये थे क्रमशः 18.5 प्रतिशत तथा 19.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभार्य था जब कि इस पर क्रमशः 6.25 प्रतिशत तथा 6.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित किया गया। इस प्रकार , ब्याज की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरुप क्रमशः 71.78 लाख रुपए के ब्याज की धनराशि (25 अगस्त 1992 से 13 अप्रैल 1993 तक) तथा 47.77 लाख रुपए के ब्याज की धनराशि (19 अगस्त 1993 से 14 फरवरी 1994 तक) कम आरोपित हुयी ।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1986-87 की अवधि में 1613 लाख रुपए की धनराशि के 16 ऋण प्रदेशीय इडंस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश लखनऊ को स्वीकृत तथा भुगतान किये गये मूल धन की किश्तों का भुगतान तो किया गया था किन्तु इन ऋणों पर ब्याज 925.41 लाख रुपए के स्थान पर 815.40 लाख रुपए आगणित किया गया । इसके फलस्वरुप 110.01 लाख रुपए ब्याज की कम वसूली हुई।

(ग) वर्ष 1970-71 से 1985-86 की अवधि में 203 लाख रुपए की धनराशि के 9 ऋण उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर को स्वीकृत तथा भुगतान किया गया । ऋणों के मूलधन की किश्तों का भुगतान तो किया गया किन्तु उन ऋणों पर त्रुटिवश 281.02 लाख रुपए के स्थान पर 259.25 लाख रुपए के ब्याज की गणना की गयी। इसके फलस्वरुप 21.77 लाख रुपए ब्याज की कम वसूली हुयी ।

(घ) नियमानुसार ऋण पर ब्याज की गणना आहरण तिथि से वापसी की तिथि तक की जानी चाहिए। यह देखा गया कि वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान 114.00 लाख रुपए की धनराशि के 6 ऋण भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (बीडा) भदोही को दिये गये । इन सभी मामलों में , ब्याज की गणना आहराण के प्रथम वर्ष को छोड़ते हुये की गयी जिसके फलस्वरुप 7.84 लाख रुपए का ब्याज कम आरोपित हुआ। विवरण निम्नवत है :

क्रम संख्या	ऋण की धनराशि (लाख रुपए मे)	ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)	स्वीकृति/ आहरण की तिथि	ब्याज की गणना में छोड़ी गयी अवधि	कम आरोपित ब्याज की धनराशि (लाख रुपए में)
1.	31.00	6%	31.3.86	1.4.86 से 31.3.87	1.86
2.	25.00	10%	31.3.87	1.4.87 से 31.3.88	2.50
3.	10.00	6%	27.11.87	28.11.87 से 27.11.88	0.60

क्रम संख्या	ऋण की धनराशि (लाख रुपए मे)	ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)	स्वीकृति/ आहरण की तिथि	ब्याज की गणना में छोड़ी गयी अवधि	कम आरोपित ब्याज की धनराशि (लाख रुपए में)
4.	10.00	6%	21.9.88	22.9.88 से 21.9.89	0.60
5.	20.00	6%	31.3.89	1.4.89 से 31.3.90	1.20
6.	18.00	6%	5.10.89	6.10.89 से 5.10.90	1.08
	114.00				7.84

(ड़.) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तीन ऋण प्राप्तकर्ताओं * को स्वीकृत ऋण की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार बकाया ऋण 712.10 लाख रुपए तथा 30 सितम्बर, 1987 , 31 दिसम्बर, 1992 तथा 31 मार्च, 1993 तक उस पर अर्जित 623.49 लाख रुपए के ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया । किन्तु शासन ने बकाया ऋण 712.10 लाख रुपए तथा ब्याज 578.59 लाख रुपए को ही इक्विटी में परिवर्तित किया । इस प्रकार अवशेष 44.90 लाख रुपए को न तो इक्विटी में परिवर्तित किया गया और न ही ऋणी से वसूल किया गया।

9.8.7 अनुबन्धों का निष्पादन न होने के कारण ब्याज की वसूली न होना

चार ऋण प्राप्तकर्त्ताओ ** द्वारा राज्य सरकार से उन लोगो को स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर अर्जित 2419.44 लाख रुपए के ब्याज / दण्डात्मक ब्याज को माफ करने/इक्विटी में परिवर्तन करने / अनुदान में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया गया । उनके अनुरोध को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (फरवरी 1993 एवं मार्च 1995 के मध्य) ।

---

* 1. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, लखनऊ
2. उत्तर प्रदेश राज्य वेयर हाऊसिंग निगम लिमिटेड , लखनऊ
3. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, लखनऊ (नानपारा इकाई)

** 1. उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लखनऊ
2. उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात निगम कानपुर
3. उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन कानपुर
4. उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ कानपुर

नमूना जांच में यह देखा गया कि ऋण प्राप्त कर्ताओं से बिना कोई अनुबन्ध (शर्त एवं प्रतिबन्ध सम्मिलित करते हुये) किये ही इन ऋणों का भुगतान कर दिया गया । परिणामस्वरुप जब उनके माफी/इक्विटी में परिवर्तन आदि के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया तो ऋण प्राप्त कर्ताओं ने कोई धनराशि अदा नही किया और विभाग द्वारा भी उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नही की जा सकी ।

9.8.8 ऋण के इक्विटी/अनुदान में परिवर्तन के दौरान ब्याज की हानि

(क) शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य कपड़ा निगम कानपुर की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण निगम की प्रदत्त पूंजी तथा प्राधिकृत पूंजी की स्थिति को सुनिश्चित किये बिना ही 31.41 करोड़ रुपए के ऋण को 1 अक्तूबर 1992 से इक्विटी में परिवर्तित कर दिया (31 मार्च 1993) । प्रस्तावित परिवर्तन से प्रदत्त पूंजी प्राधिकृत पूंजी से अधिक हो गयी जिससे शेयर आबंटित नहीं किये जा सके । अन्ततः निगम ने अपने प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि कर दी और 28 जून 1993 को शेयर्स आबंटित किये गये किन्तु 1 अक्टूबर 1992 से 27 जून 1993 की अवधि का ब्याज 405.96 लाख रुपए न तो इक्विटी में परिवर्तित किया गया और न ही ऋणी से वसूल किया गया ।

(ख) वेयर हाऊसिंग निगम अधिनियम 1962 के अनुसार, राज्य सरकार को बिना केन्द्रीय वेयर हाऊसिंग निगम की पूर्वानुमति के कोई अंश - पूंजी उत्तर प्रदेश राज्य वेयर हाऊसिंग निगम को अवमुक्त नहीं करना चाहिए क्योकि शेयर का आवंटन अग्रेतर से मैचिंग शेयर की प्राप्ति पर ही किया जाता है ।

शासन ने बिना केन्द्रीय वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन का अनुमोदन प्राप्त किये तथा बिना ऋण प्राप्तकर्ता की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित किये ही राज्य वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन का 90.70 लाख रुपए (50.00 लाख् रुपए का ऋण एवं 40.70 लाख रुपए का ब्याज) को 31दिसम्बर 1992 से इक्विटी शेयर्स में परिवर्तित (31 मार्च 1994) कर दिया । केन्द्रीय वेयर हाउसिंग निगम द्वारा अधिकृत पूंजी की कमी के कारण मैचिंग शेयर मुक्त नही किया गया जिसके फलस्वरुप शेयरों का आंवटन नही किया जा सका । परिणामस्वरुप जनवरी 1993 से जनवरी 1996 तक की अवधि के लिए 20.81 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

(ग) शासनादेश (मार्च 1983) के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को दिये गये 250 लाख रुपए के ऋण में से केवल 100 लाख रुपए के ऋण को ही उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अनुदान में परिवर्तित किया जाना था।

यह देखा गया (अप्रैल 1996) कि 100 लाख रुपए के बजाय संम्पूर्ण ऋण की धनराशि अर्थात 250 लाख रुपए को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया । इसके फलस्वरुप 243.75 लाख रुपए के ब्याज (मार्च 1996 तक आगणित) की हानि हुई ।

(घ) उत्तर प्रदेश वेयर हाऊसिंग निगम को वितरित (मार्च 1988) 25 लाख रुपए के ऋण को इक्विटी में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करते समय सरकार ने निर्देशित किया (मार्च 1991) कि केन्द्रीय वेयर हाऊसिंग निगम द्वारा मैचिंग शेयर की स्वीकृति प्रदान करने तक ब्याज को जमा किया जाये । मैचिंग शेयर दिनांक 14 फरवरी 1992 को स्वीकृत किया गया लेकिन अप्रैल 1988 से मार्च 1991 तक अर्जित 12.60 लाख रुपए के ब्याज को जमा किये बिना ही उक्त ऋण को 31 मार्च 1991 को "शेयर खाते" में स्थान्तरित कर दिया गया । निर्देश का पालन न करने के कारण 1 अप्रैल 1991 से मैचिंग शेयर की स्वीकृति तिथि (14 फरवरी 1992) तक 2.96 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुयी ।

9.8.9 अनधिकृत रुप से ब्याज का रोका जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार, वसूल किये गये संम्पूर्ण राजस्व को बिना अनावश्यक विलम्ब के कोषागार या बैंक में जमा कर देना चाहिए । " ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण योजना" के क्रियान्वयन हेतु प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (पिकप) लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा अभिकर्ता नियुक्त किया गया (नवम्बर 1972) । अप्रैल 1975 से मार्च 1995 तक की अवधि के दौरान पिकप द्वारा दोषी उद्यमियों से कुल 5.64 करोड़ रुपए का दण्डात्मक ब्याज वसूल किया गया किन्तु मार्च 1996 तक केवल 4.47 करोड़ रुपए ही कोषागार में जमा किये गये और 1.17 करोड़ रुपए पिकप के पास अवशेष रहा । इस प्रकार निर्धारित प्रकिया के पालन न करने के फलस्वरुप 1.17 करोड़ रुपए सरकारी लेखे के बाहर रहे ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 1996) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1996) ।

पी० मुखर्जी

लखनऊ
दिनांक 30 जनवरी, 1997

(पी0 मुखर्जी)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-II
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक 4 फरवरी, 1997

(वी0 के0 शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

P.S.U.P. 9 A.G.—23-12-96—1,800 Books (Offset).